बहारे शरीअत
1 से 10
मुसन्निफ
अमजद अ़ली आज़
हिन्दी तर्जमा
अमीनुल क़ादरी बरेलवी
नाशिर
क़ादरी दारुल इशाअ़त
दो मीनार मस्जिद
एजाज़ नगर, पुराना शहर बरेली

किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

PDF BY :
WASEEM AHMED RAZA KHAN AZHARI & TEAM
+91-8109613336

बहारे शरीअ़त

दूसरा हिस्सा

मुसन्निफ़
सदरूश्शरीअ़ा मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली—53
Mob:—9312106346

नाम किताब बहारे शरीअ़त (दूसरा हिस़्सा)

मुसन्निफ़ स़दरुश्शरीअ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रह़मह

हिन्दी तर्जमा **मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी**

कम्प्यूटर कम्पोज़िंग मौलाना मुहम्मद शफ़ीकुल ह़क़ रज़वी

क़ीमत जिल्द अव्वल 500/

तादाद 1000

इशाअ़त 2010 ई.

मिलने के पते :

1 मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली
2 फ़ारूक़िया बुक डिपो ,मटिया मह़ल ,दिल्ली
3 नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
4 अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर
5 चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर
6 क़ादरी दारुल इशाअ़त, मस्तफ़ा मस्जिद वैलकम दिल्ली–53 मो:– 9312106346
7 मकतबा रह़मानिया रज़विया दरगाह आ़ला ह़ज़रत बरेली शरीफ़

फ़ेहरिस्त

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْاَ حَدِ الصَّمَدِ الْمُتَفَرِّدُ فِیْ ذَاتِهٖ وَ صِفَاتِهٖ فَلَا مِثْلَ لَهٗ وَ لَا ضِدَّ لَهٗ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ الْاَتَمَّانِ الْاَكْمَلَانِ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ حَبِيْبِهٖ سَيِّدِ الْاِنْسِ وَ الْجَانِ،الَّذِیْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ ، هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ،وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مَاتَعَاقَبَ الْمَلْوَانِ ،وَ عَلٰى مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ،لَاسِيَّمَا الائمة الْمُجْتَهِدِيْنَ ،خُصُوْصًا عَلٰى اَفْضَلِهِمْ وَ اَعْلَمِهِمْ اَلْاِمَامِ الْاَعْظَمِ ، وَالْهُمَامِ الْاَفْخَمِ ،اَلَّذِیْ سَبَقَ فِیْ مِضْمَارِ الْاِجْتِهَادِ كُلَّ فَارِسٍ ،وَصَدَقَ عَلَيْهِ لَوْكَانَ الْعِلْمُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهٗ رَجُلٌ مِّنْ اَبْنَاءِ فَارِسٍ،سَيِّدَ نَا اَبِیْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ ،ثَبَّتَنَا اللّٰهُ بِهٖ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِی الْاٰخِرَةِ ،وَاَعْطَانَا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةً فَاخِرَةً وَ عَلَيْنَا لَهُمْ وَ بِهِمْ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ،وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

तम्हीद

एक वह ज़माना था कि हर मुसलमान इतना इल्म रखता जो उसकी ज़रूरियात को काफ़ी हो और अल्लाह के फ़ज़्ल से बहुत मुसलमान ऐसे मौजूद थे जो न मालूम होता उन से बा–आसानी दरयाफ़्त कर लेते हत्ता कि हज़रते उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने हुक्म फ़रमादिया था हमारे बाज़ार में वही ख़रीद व फ़रोख़्त करें जो इल्मे दीन जानते हों ,इस हदीसे पाक को तिर्मिज़ी ने अ़ला इब्ने अ़ब्दुर्रहमान इब्ने याकूब से रिवायत किया उन्होंने अपने बाप से और याकूब के बाप ने अपने बाप से। फिर जिस क़दर ज़मानए नुबुव्वत से दूरी होती गई उसी क़द्र इल्म की कमी होती रही। अब वह ज़माना आगया कि अ़वाम तो अ़वाम बहुत वह जो उ़लमा कहलाते हैं रोज़मर्रा के ज़रूरी मसाइल हत्ता कि फ़राइज़ व वाजिबात से नावाक़िफ़ और जितना जानते हैं उस पर भी अ़मल करने से दूर कि उन को देख कर अ़वाम को सीखने और अ़मल करने का मौक़ा मिलता। इसी क़िल्लते इल्म व बे परवाही का नतीजा है कि बहुत से ऐसे मसाइल का जिन से वाक़िफ़ नहीं इन्कार कर बैठते हैं हालाँकि न ख़ुद इल्म रखते हैं कि जान सकें न सीखने का शौक़ कि जानने वाले से दरयाफ़्त करें न उलमा की ख़िदमत में हाज़िर होते हैं कि उनकी सोहबत से कुछ सीखें।

आसान ज़ुबान में अभी तक कोई ऐसी किताब शाए न हुई है कि रोज़मर्रा के ज़रूरी मसाइल की ज़रूरियात को पूरा कर सके इसी कमी को पूरा करने के लिए फ़क़ीर (सदरूश्शरीआ मौलाना अमजद अ़ली रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह)ने अल्लाह तआ़ला पर भरोसा कर के इस काम को शुरू किया हालाँकि मैं खूब जानता हूँ कि न मेरा यह मन्सब न मैं इस काम के लाइक़ न इतनी फ़ुरसत कि पूरा वक़्त दे कर इस काम को अन्जाम दूँ।

وَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِيْمِ

तर्जमा :– "और अल्लाह हम को काफ़ी है और क्या ही बेहतर वकील और नहीं है कोई ताक़त और नहीं है कोई कुव्वत मगर अल्लाह बलन्द व बरतर की जानिब से"।

(1)इस किताब मे पूरी कोशिश की गई है कि इस की इबारत आसान हो और समझने में कोई दिक्कत न हो और कम इल्म लोग औरतें ओर बच्चे भी इस किताब से फ़ायदा हासिल कर सकें फिर भी इल्म बहुत मुश्किल चीज़ है यह मुमकिन नहीं कि इल्मी दुश्वारियाँ बिल्कुल जाती रहें। किताब पढने पर बहुत से ऐसे मौके आयेंगे कि इल्म वालों से समझने की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन इतना फ़ायदा तो जरूर होगा कि इल्म वालों की तरफ़ तवज्जोह होगी।

(2) इस किताब में मसाइल की दलीलें न लिखी जायेंगी कि अव्वल तो दलीलों को समझना हर शख़्स का काम नही दूसरे दलीलों की वजह से ऐसी उलझन पड़ जाती है कि मसअ्ला समझना दुश्वार हो जाता है लिहाजा हर मसअ्ले में हुक्म बयान कर दिया जायेगा और अगर किसी साहब को दलाइल का शौक़ हो तो वह फ़तावाए रज़विया शरीफ़ का मुतालआ (पढ़ा) करें कि उसमें हर मसअ्ले की ऐसी तहकीक़ की गई है जिसकी नज़ीर आज दुनिया में मौजूद नहीं और उस में हजारहा ऐसे मसाइल मिलेंगें जिनसे उलमा के कान भी आशना नहीं।

3.कोशिश ऐसी की गई है कि इस किताब में इख़्तिलाफ़ का बयान न होगा कि अवाम के सामने जब दो मुख़तलिफ़ बातें पेश हों तो हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हों जाते हैं कि किस पर अमल किया जाये और बहुत सी ख्वाहिश के बंदे ऐसे भी होते हैं कि जिसमें अपना फ़ायदा देखते हैं उसे इख़्तियार कर लेते हैं यह समझ कर नहीं कि यही हक़ है बल्कि यह ख़याल कर के कि इस में अपना मतलब हासिल होता है फिर जब कभी दूसरे में अपना फ़ायदा देखा तो उसे इख़्तियार कर लिया और यह नाजाइज है कि यह शरीअ़त की पैरवी नहीं बल्कि नफ़्स की पैरवी है। लिहाज़ा हर मसअ्ले मे सही हुक्म बयान कर दिया जायेगा कि हर शख़्स उस पर अ़मल कर सके अल्लाह तआ़ला तौफीक दे और मुसलमानों को इस से फ़ायदा पहुँचाये।

وَ مَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنِيْب وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى حَبِيْبِهِ الْمُخْتَارِ وَ اٰلِهِ الْاَطْهَارِ ،وَ صَحْبِهِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ ،وَ خُلَفَائِهِ الْاَخْتَانِ مِنْهُمُ الْاَصْهَارِ،وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ،وَهَا اَنَا اَشْرَعُ فِى الْمَقْصُوْدِ بِتَوْفِيْقِ الْمَلِكِ الْمَعْبُوْدِ ـ

अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है:–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

तर्जमा :–"और आदमी मैंने इसी लिए पैदा किये कि वह मेरी इबादत करें"। हर थोड़ी सी अ़क्ल वाला भी जानता है जो चीज़ जिस काम के लिए बनाई जाये उस काम में न आये तो बेकार है तो इन्सान जो अपने ख़ालिक़ और मालिक को न पहचाने उस की बंदगी व इबादत न करे वह नाम का आदमी है हक़ीक़तन वह आदमी नहीं बल्कि एक बेकार चीज़ है,तो मालूम हुआ कि इबादत ही से आदमी आदमी है और इसी में दुनिया और आख़िरत की भलाई है। लिहाज़ा हर इन्सान के लिए इबादत की किस्में ,अरकान,शराइत और अहकाम का जानना ज़रूरी है बग़ैर इल्म के अ़मल नामुमकिन है। इसी वजह से इल्म सीखना फर्ज़ है इबादत की अस्ल ईमान है, बग़ैर ईमान इबादत बेकार कि जड़ ही नही तो सब बेकार,दरख़्त उसी वक्त फल फूल लाता है कि उस की जड़ क़ाइम हो जड जुदा हो जाने के बाद आग की खुराक होजाता है इसी तरह काफ़िर लाख इबादत करे उस का सारा किया धरा बर्बाद और वह जहन्नम का ईंधन।

अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

وَقَدِمْنَا اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا

तर्जमा :– "काफ़िरों ने जो कुछ किया हम उस के साथ यूँ पेश आये कि उसे बिखरे हुए ज़र्रे की त़रह़ कर दिया।"

जब आदमी मुसलमान हो लिया तो उस के ज़िम्मे दो क़िस्म की इबादतें फ़र्ज़ हैं एक वह जिसका तअ़ल्लुक़ हाथ पैरों वग़ैरा से है। दूसरा वह जिसका तअ़ल्लुक़ दिल से है दूसरी क़िस्म के अह़काम वग़ैरह इल्मे सुलूक़ में बयान होते हैं और पहली क़िस्म से फ़िक़्ह बह़स करता है और इस किताब में मैं पहली किस्म को ही बयान करना चाहता हूँ फ़िर जिस इबादत को ज़ाहिरी बदन से तअ़ल्लुक़ है वह दो क़िस्म की हैं या वह मुआ़मला कि बन्दे और ख़ास उसके रब के दरमियान है। बन्दों के आपस में किसी काम का बनाव–बिगाड़ नहीं जैसे नमाज़े पंज गाना ,रोज़ा कि हर शख़्स बिना दूसरे के उन्हें अदा कर सकता है चाहे दूसरे को शिरकत की ज़रूरत हो जैसे नमाज़े जमाअ़त व जुमा़ व ईदैन में कि बे–जमाअ़त नामुमकिन है मगर उस से सब का मक़सूद सिर्फ़ मअ़बूदे बरह़क़ की इबादत है न कि अपने किसी काम का बनाना। दूसरी क़िस्म वह है कि बन्दों के आपस में तअ़ल्लुक़ात ही की इस्लाह (या़नी भलाई)उस में मद्दे नज़र है जैसे निकाह़ या ख़रीद व फ़रोख़्त वग़ैरा। पहली क़िस्म को इबा़दत कहते हैं और दूसरी क़िस्म को मुआ़मलात।

पहली क़िस्म में अगरचे कोई दुनियावी नफ़अ़ बज़ाहिर न हो और मुआ़मलात में ज़रूर दुनियावी फ़ायदे ज़ाहिर में मौजूद हैं बल्कि ज़ाहिरी फ़ायदे ही ज़्यादा नज़र आते हैं मगर इबादत दोनों हैं जब कि मुआ़मलात भी अगर ख़ुदा व रसूल के हुक्म के मुवाफ़िक़ किये जायें तो सवाब पायेगा वरना गुनाह और अ़ज़ाब का सबब है पहली क़िस्म या़नी इबादत चार हैं पहली नमाज़,रोज़ा,ह़जऔर ज़कात, इन सब में सब से ज़्यादा अहम नमाज़ है और यह इबादत अल्लाह को बहुत मह़बूब है। लिहाज़ा हम को चाहिए कि सब से पहले इसी को बयान करें मगर नमाज़ पढ़ने से पहले नमाज़ी का पाक होना बहुत ज़रूरी है क्यूँकि पाकी व त़हारत नमाज़ की कुंजी है। लिहाज़ा त़हारत के मसाइल बयान होंगे उस के बा़द नमाज़ के मसाइल बयान होंगे।

त़हारत या़नी पाकी का बयान

नमाज़ के लिये पाकी ऐसी जरूरी चीज़ है कि बिना पाकी के नमाज़ होती ही नहीं बल्कि जान बूझ कर बग़ैर त़हारत नमाज़ अदा करने को हमारे उलमा कुफ़्र लिखते हैं। और क्यों न हो कि उस बेवुज़ू या बेग़ुस्ल नमाज़ पढ़ने वाले ने इबादत की बे अदबी और तौहीन की नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जन्नत की कुंजी नमाज़ है और नमाज़ की कुंजी त़हारत है।

इस ह़दीस को इमाम अ़हमद ने जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया कि एक रोज़ नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम सुबह़ की नमाज़ में सूरए रूम पढ़ रहे थे, बीच में शुबह हुआ। नमाज़ के बा़द इरशाद फ़रमाया कि उन लोगों का क्या ह़ाल है जो हमारे साथ नमाज़ पढ़ते हैं और अच्छी त़रह़ त़हारत नहीं करते। उन्हीं की वजह से इमाम को क़िरअ़त में शुबह पड़ता

है। इस हदीस को नसई ने शबीब इब्ने अबी रूह से उन्होंने एक सहाबी से रिवायत किया कि जब बग़ैर कामिल तहारत के नमाज़ पढ़ने की यह नहूसत है तो बे तहारत नमाज़ पढ़ने की नहूसत का क्या पूछना। तिर्मिज़ी में है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तहारत निस्फ़ (आधा) ईमान है। यह हदीस हसन है।

तहारत की दो किस्में हैं :– 1. सुगरा 2. कुबरा . तहारते सुगरा वुजू है। और तहारते कुबरा गुस्ल। जिन चीज़ों में सिर्फ़ वुजू लाज़िम होता है उन को हदसे असग़र और जिन चीज़ों से नहाना फ़र्ज़ हो उन को हदसे अकबर कहा जाता है। अब आप के सामने फ़िक़्ह में बोले जाने वाले कुछ अलफ़ाज़ की तारीफ़ लिखी जाती है।

फ़र्ज़े एअ्तिक़ादी :– वह फ़र्ज़ है जो दलीले क़तई से साबित हो यानी ऐसी दलील से साबित हो जिसमें कोई शक न हो उसका इन्कार करने वाला हनफ़ी इमामों के नज़दीक मुतलक़ काफ़िर है और अगर यह एअ्तिक़ादी फ़र्ज़ आम ख़ास पर खुला हुआ दीने इस्लाम का मसअला हो और उसका कोई इन्कार करे तो वह ऐसा काफ़िर है कि जो उसके कुफ़्र में शक करे वह ख़ुद काफ़िर है। बहरहाल जो किसी फ़र्ज़े एअ्तिक़ादी को बिना किसी सही शरई मजबूरी के जानबूझ कर एक बार भी छोड़े वह फ़ासिक़,गुनाहे कबीरा का मुरतकिब और जहन्नम के अज़ाब का मुस्तहिक़ है जैसे नमाज़ रुकू, सजदा।

फ़र्ज़े अमली :– वह फ़र्ज़ है जिसका सुबूत ऐसा क़तई तो न हो मगर शरई दलीलों से मुजतहिद की नज़र में यक़ीन है कि बिना उस के किये आदमी बरीउज़्ज़िम्मा न होगा यहाँ तक कि अगर वह किसी इबादत के अन्दर फ़र्ज़ है तो वह इबादत बिना उस के बातिल व बेकार होगी और उसका बिलावजह इन्कार फ़िस्क़ व गुमराही है। हाँ अगर कोई शरई दलीलों में नज़र रखने वाला शरई दलीलों से उसका इन्कार करे तो कर सकता है। जैसे मुजतहिद इमामों के इख़्तिलाफ़ात कि एक इमाम किसी चीज़ को फ़र्ज़ कहते हैं और दूसरे नहीं। जैसे हनफ़ियों के नज़दीक वुजू में चौथाई सर का मसह करना फ़र्ज़ है और शाफ़िई मज़हब में एक बाल का और मालिकी मज़हब में पूरे सर का मसह फ़र्ज़ है हनफ़ियों के नज़दीक वुजू में बिस्मिल्लाह शरीफ़ का पढ़ना और नियत करना सुन्नत है लेकिन हम्बली और शाफ़िई मज़हब में फ़र्ज़ है और इसके अलावा और बहुत सी मिसालें हैं। इस फ़र्ज़े अमली में हर आदमी उसी की पैरवी करे जिसका वह मुक़ल्लिद है। अपने इमाम के ख़िलाफ़ बिना शरई ज़रूरत के दूसरे इमाम की पैरवी जाइज़ नहीं।

वाजिबे एअ्तिक़ादी :– वाजिबे एअ्तिक़ादी वह है कि दलीले ज़न्नी से उसकी ज़रूरत साबित हो। फ़र्ज़े अमली और वाजिबे अमली इसी की दो क़िस्में हैं और वह इन्हीं दोनों में मुन्हसिर है यानी घिरी हुई है।(दलीले ज़न्नी वह दलील है जिस के दुरुस्त और ना दुरुस्त होने पर फ़ैसला मुश्किल हो)

वाजिबेअमली :– वह वाजिबे एअ्तिक़ादी है कि बिना उसके किये भी बरीउज़्ज़िम्मा होने का एहतिमाल(शक)हो मगर ग़ालिबे ज़न (ग़ालिब गुमान) उस की ज़रूरत पर है और अगर किसी इबादत में उसका बजा लाना ज़रूरी हो तो इबादत बे उसके नाक़िस (अधूरी) रहेगी मगर अदा हो जायेगी। मुजतहिद दलीले शरई से वाजिब का इन्कार कर सकता है और किसी वाजिब का एक बार भी जान बूझ कर छोड़ना सग़ीरा गुनाह है और कई बार छोड़ना गुनाहे कबीरा है।

सुन्नते मुअक्कदा :– वह जिस को हुजूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो अलबत्ता बयाने जवाज़ (जाइज़ होने के बयान) के वास्ते कभी छोड़ भी दिया हो या वह कि उस के करने की ताकीद की हो मगर छोड़ने का रास्ता बिल्कुल बन्द न किया हो इसी सुन्नते मुअक्कदा का छोड़ना गुनाह और करना सवाब है और कभी छोड़ने पर इताब और उस की आ़दत सज़ा का मुस्तहक़ होता है।

सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा :– वह है कि शरीअ़त की नज़र में ऐसी चीज़ हो कि उसके छोड़ने को नापसन्द रखे मगर इस ह़द तक नहीं कि शरीअ़त उस पर अ़ज़ाब की वईद फ़रमाये। इस बात से आम है कि हुजूर ने उसको हमेशा किया है या नहीं। उस का करना सवाब और न करना अगरचे आदत के तौर पर हो अ़ज़ाब का सबब नहीं।

मुस्तह़ब :– वह कि शरीअ़त की नज़र में उसका करना पसन्द हो मगर उसके छोडने पर कुछ नापसन्दी न हो चाहे हुजूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उसे किया या करने के लिये फ़रमाया या आ़लिमों ने पसंद किया हो अगरचे उसका ज़िक्र ह़दीस में न आया हो फ़िर भी उसका करना और न करने पर कुछ नहीं।

मुबाह :– वह है जिसका करना और न करना बराबर हो।

ह़रामे क़तई :– यह फ़र्ज़ का मुक़ाबिल(विलोम)है। इसका एक बार भी जान बूझ कर करना गुनाहे कबीरा है। इसका करने वाला फ़ासिक़ है और इससे बचना फ़र्ज़ और सवाब है।

मकरूहे तह़रीमी :– यह वाजिब का मुक़ाबिल है। इसके करने से इबादत नाक़िस़ यानी अधूरी हो जाती है और करने वाला गुनाहगार होता है अगरचे इसका गुनाह ह़राम से कम है और चन्द बार इसका करना गुनाहे कबीरा है।

इसाअ़त :– जिसका करना बुरा और कभी कभी करने वाला इताबे इलाही का मुस्तह़क़ और बराबर करने वाला अ़ज़ाब का मुस्तह़क़ है और यह सुन्नते मुअक्किदा के मुक़ाबिल है।

मकरूहे तन्ज़ीही :– जिसका करना शरीअ़त को पसंद नहीं मगर इस हद तक नहीं कि उस पर अ़ज़ाब की वईद आये यह सुन्नते ग़ैर मुअक्किदा के मुक़ाबिल है।

ख़िलाफ़े औला :– वह कि जिसका न करना बेहतर था अगर किया तो कुछ ह़रज और अ़ज़ाब नहीं। यह मुस्तह़ब का मुक़ाबिल है।

इन बातों के बताने के लिये मुख़्तलिफ़ किताबों में मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ मिलेंगे मगर यही सबका निचोड़ है।

وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيْراً مُبَارَكاً فِيْهِ مُبَارَكاً عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضٰى

वुज़ू का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि :–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ
اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

तर्जमा :– " ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो (और वुजू न हो)तो अपने मुँह और कोहनियों तक हाथों को धोओ और सरों का मसह करो और टख़नों तक पाँव धोओ"।

मुनासिब मालूम होता है कि अब वुजू की फ़ज़ीलत में चन्द ह़दीसें लिखी जायें फिर उसके मुतअ़ल्लिक़ अहकामे फ़िक़्ही का बयान हो ।

हदीस न.1 :– इमाम बुख़ारी और इमाम मुस्लिम ने ह़ज़रते अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि क़ियामत के दिन मेरी उम्मत इस ह़ालत में बुलाई जायेगी कि मुँह,हाथ और पैर वुजू की वजह से चमकते होंगे तो जिस से होसके चमक ज़्यादा करे।

हदीस न.2 :– सही मुस्लिम में हज़रते अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है कि हुज़ूर सय्यदे आ़लम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फ़रमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बता दूँ कि जिसके सबब अल्लाह तआ़ला ख़ताये माफ़ कर दे और दर्जे बलंद करे। सहाबा ने अ़र्ज़ किया हाँ या रसूलल्लाह! हुज़ूर ने फ़रमाया जिस वक़्त वुजू नागवार होता है उस वक़्त अच्छी तरह पूरा वुजू करना और मस्जिदों की तरफ़ ज़्यादा जाना और एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का इन्तेज़ार करना इसका सवाब ऐसा है जैसा काफ़िरों की सरहद पर इस्लामी शहरों की हिमायत के लिये घोड़ा बाँधने का सवाब है।

हदीस न.3 :– इमाम मालिक व नसई अ़ब्दुल्लाह सनाबिही रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मुसलमान बन्दा जब वुजू करता है तो कुल्ली करने से उसके मुँह के गुनाह गिर जाते हैं और जब नाक में पानी डाल कर नाक साफ़ किया तो नाक के गुनाह निकल गये और जब मुँह धोया तो उसके चेहरे के गुनाह निकले यहाँ तक कि पलकों के निकले और जब हाथ धोये तो हाथों के गुनाह निकले यहाँ तक कि हाथों के नाख़ूनों से निकले और जब सर का मसह किया तो सर के गुनाह निकले यहाँ तक कि कानों से निकले और जब पाँव धोए तो पाँवों की ख़तायें निकलीं यहाँ तक कि नाख़ूनों से फ़िर उसका मस्जिद में जाना और नमाज़ इस पर ज़्यादा (सवाब) है।

हदीस न.4 :– बज़्ज़ाज़ ने हसन असनाद के साथ रिवायत की कि हज़रते उ़समान ग़नी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अपने गुलाम हमरान से वुजू के लिये पानी माँगा और सर्दी की रात में बाहर जाना चाहते थे। हमरान कहते हैं कि मैं पानी लाया उन्होंने मुँह हाथ धोये तो मैंने कहा अल्लाह आपको किफ़ायत करे रात तो बहुत ठंडी है उस पर उन्होंने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सुना है। कि जो बंदा अच्छी तरह पूरा वुजू करता है अल्लाह तआ़ला उस के अगले पिछले गुनाह बख़्श देता है।

हदीस न.5 :– तबरानी ने औसत में हज़रते अमीरूल मोमिनीन मौला अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो सख़्त सर्दी में कामिल वुजू करे उसके लिये दूना सवाब है।

हदीस न.6 :– इमामे अहमद इब्ने हम्बल ने हजरते अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की

कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो एक–एक बार वुजू करे तो यह ज़रूरी बात है और जो दो–दो बार करे तो उसको दूना सवाब है और जो तीन–तीन बार धोये तो यह मेरा और अगले नबियों का वुजू हैं।

हदीस न.7 :– सही मुस्लिम में उक़बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जो मुसलमान वुजू करे और अच्छा वुजू करे फ़िर खड़ा हो और ज़ाहिर व बातिन से अल्लाह की तरफ़ ध्यान देकर दो रकअ़त नमाज़ पढ़े तो उसके लिये जन्नत वाजिब हो जाती है।

हदीस न.8 :– मुस्लिम में हज़रते अमीरूल मोमिनीन फ़ारूक़े आज़म उमर इब्ने ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम में से जो कोई वुजू करे कामिल वुजू करे फ़िर पढ़े :–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

तर्जमा :– "मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं वह अकेला है उस का कोई शरीक नहींऔर मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस के बन्दे और उसके रसूल हैं।"

तो उसके लिये जन्नत के आठों दरवाज़े खोल दिये जाते हैं जिस दरवाज़े से चाहे दाख़िल हो जाये।

हदीस :– न.9 तिर्मिज़ी ने हज़रते अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो मोमिन आदमी वुजू पर वुजू करे उसके लिए दस नेकियाँ लिखी जायेंगी।

हदीस न.10 :– इब्ने खुज़ैमा अपनी सहीह में रावी हैं कि अ़ब्दुल्लाह इब्ने बुरीदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक दिन सुबह को हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रते बिलाल को बुलाया और फ़रमाया कि ऐ बिलाल किस अ़मल (काम)के सबब तू जन्नत में मुझ से आगे–आगे जा रहा था,मैं रात जन्नत में गया तो तेरे पाँव की आहट अपने आगे पाई। बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अ़र्ज़ की कि या रसूलल्लाह जब मैं अज़ान कहता हूँ तो दो रकअ़त नमाज़ पढ़ लिया करता हूँ और मेरा जब कभी वुजू टुटता वुजू कर लिया करता। हुज़ूर ने फ़रमाया इसी वजह से ।

हदीस न.11 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा सईद इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी उसका वुजू नहीं यानी पूरा वुजू नहीं। उसके मअ़नी यह हैं जो दूसरी हदीस में इरशाद फ़रमाया।

हदीस न.12 :– दारे कुतनी और बैहक़ी में अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया है कि जिसने बिस्मिल्लाह कह कर वुजू किया उसका सर से पाँव तक सारा बदन पाक हो गया और जिसने बग़ैर बिस्मिल्लाह वुजू किया उसका उतना ही बदन पाक होगा जितने पर पानी गुज़रा।

हदीस न.13 :– इमाम बुख़ारी और मुस्लिम हज़रते अबू हूरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत

करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जब कोई सोकर उठे तो वुज़ू करे और तीन बार नाक साफ़ करे क्योंकि शैतान उसके नथने पर रात गुज़ारता है।

हदीस न.14 :– तबरानी बइसनादे हसन हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर यह बात न होती कि मेरी उम्मत पर शाक़ (भारी)होगा तो मैं उनको वुज़ू के साथ मिस्वाक करने का हुक्म फ़रमा देता (यानी फ़र्ज़ कर देता और कुछ रिवायतों में फ़र्ज़ का लफ़्ज़ भी आया है)

हदीस न.15 :– इसी तबरानी की एक रिवायत में है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक किसी नमाज़ के लिये तशरीफ़ न ले जाते जब तक कि मिस्वाक न कर लेते।

हदीस न.16 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में हज़रते आइशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर बाहर से जब घर में तशरीफ़ लाते सब से पहला काम मिस्वाक करना होता।

हदीस न.17 :– इमाम अहमद हज़रते इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मिस्वाक का इन्तिज़ाम रखो कि वह सबब है मुँह की सफ़ाई और रब तबारक व तआला की रज़ा का।

हदीस न.18 :– अबू नईम हज़रते जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दो रकअतें जो मिस्वाक करके पढ़ी जायें बे मिस्वाक की सत्तर रकअतों से अफ़ज़ल हैं।

हदीस न.19 :– एक और रिवायत में है कि जो नमाज़ मिस्वाक कर के पढ़ी जाये वह उस नमाज़ से सत्तर हिस्से अफ़ज़ल है जो बिना मिस्वाक के पढ़ी जाये।

हदीस न.20 :– मिश्कात शरीफ़ में हज़रते आइशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि दस चीज़ें फ़ितरत से हैं (यानी उनका हुक्म हर शरीअत में था) 1. मूछे कतरना 2. दाढ़ी बढ़ाना 3. मिस्वाक करना 4. नाक में पानी डालना 5. नाखुन तराशना 6. उँगलियों को धोना 7. बग़ल के बाल दूर करना 8. नाफ़ के नीचे के बाल मूँडना 9. इस्तिन्जा करना (नजासत निकलने की जगह को पाक करना) 10. कुल्ली करना।

हदीस न.21 :– हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बन्दा जब मिस्वाक कर लेता है फ़िर नमाज़ को खड़ा होता है तो फ़रिश्ता उसके पीछे खड़े होकर क़िरात सुनता है फिर उससे क़रीब होता है यहाँ तक कि अपना मुँह उसके मुँह पर रख देता है।

मशाइख़े किराम फ़रमाते हैं कि जो मोमिन आदमी मिस्वाक की आदत रखता हो तो मरते वक़्त उसे कलिमा पढ़ना नसीब होगा और जो अफ़यून (अफ़ीम) खाता हो मरते वक़्त उसे कलिमा नसीब न होगा।

अहकामे फ़िक़्ही

वह आयते करीमा जो ऊपर लिखी गई है उससे यह साबित है कि वुज़ू में चार फ़र्ज़ हैं :–

1. मुँह धोना 2. कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना 3. सर का मसह़ करना 4. टख़नों समेत दोनों पाँव का धोना।

फ़ायदा :– किसी उ़ज़्व के धोने के यह मअ़नी हैं कि उस उ़ज़्व के हर ह़िस्से पर कम से कम दो–दो बूँदें पानी बह जाये। भीग जाने या तेल की त़रह़ पानी चुपड़ लेने या एक आध बूँद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे न उससे वुज़ू या गुस्ल अदा हो। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है लोग इसकी त़रफ़ ध्यान नहीं देते और नमाज़े अकारत जाती हैं यानी बरबाद होती हैं।

बदन में कुछ जगह ऐसी हैं कि जब तक उनका ख़ास ख़्याल न किया जाये उन पर पानी नहीं बहेगा जिसकी तशरीह़ हर उ़ज़्व में की जायेगी किसी जगह मौज़ए ह़दस(हदस की जगह)पर तरी पहूँचने को मसह़ कहते हैं।

मुँह धोना :– लम्बाई में शुरू पेशानी से (यानी सर में पेशानी की त़रफ़ का वह ह़िस्सा जहाँ से आ़म तौर पर बाल जमने शुरू होते हैं।)ठोड़ी तक और चौड़ाई में एक कान से दूसरे कान तक मुँह है इस ह़द के अन्दर चमड़े के हर ह़िस्से पर एक बार पानी बहाना फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– जिस के सर के अगले ह़िस्से के बाल गिर गये या जमे नहीं उस पर वहीं तक मुँह धोना फ़र्ज़ है जहाँ तक आ़दत के मुवाफ़िक़ बाल होते हैं और अगर आ़दत के ख़िलाफ़ किसी के नीचे तक बाल जमे हों तो उन ज़्यादा बालों का जड़ तक धोना फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– मूँछों, भवों या बच्ची (यानी वह बाल जो नीचे के होंट और ठोड़ी के बीच में होते हैं) के बाल ऐसे घने हों कि खाल बिल्कुल न दिखाई दे तो चमड़े का धोना फ़र्ज़ नहीं और अगर उन जगहों के बाल घने न हों तो जिल्द का धोना भी फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– अगर मूँछे बढ़कर लबों को छुपा लें तो अगरचे मूँछें घनी हों उनको हटाकर लब का धोना फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– दाढ़ी के बाल अगर घने न हों तो चमड़े का धोना फ़र्ज़ है और अगर घने हों तो गले की त़रफ़ दबाने से जिस क़द्र चेहरे के घेरे में आयें उनका धोना फ़र्ज़ है और जड़ों का धोना फ़र्ज़ नहीं और जो ह़ल्क़े से नीचे हों उनका धोना ज़रूरी नहीं और अगर कुछ ह़िस्से में घने हों और कुछ छिदरे हों तो जहाँ घने हों तो वहाँ बाल और जहाँ छिदरे हों उस जगह जिल्द (खाल)का धोना फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– लबों का ह़िस्सा जो आ़दत में लब बन्द करने के बाद ज़ाहिर रहता है उसका धोना फ़र्ज़ है अगर कोई ख़ूब ज़ोर से लब बन्द कर ले कि उस में का कुछ ह़िस्सा छुप गया कि उस पर पानी न पहुँचा न कुल्ली की कि धुल जाता तो वुज़ू न हुआ। हाँ वह ह़िस्सा जो आ़म त़ौर पर आ़दत में मुँह बन्द करने से ज़ाहिर नहीं होता उस का धोना फ़र्ज़ नहीं।

मसअ्ला :– रूख़सार (गाल)और कान के बीच जो जगह है जिसे कन्पटी कहते हैं उसका धोना फ़र्ज़ है। हाँ उस ह़िस्से में जितनी जगह दाढ़ी के घने बाल हों वहाँ बालों का और जहाँ बाल न हों तो जिल्द का धोना फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– नथ का सूराख़ अगर बन्द न हो तो उस में पानी बहाना फ़र्ज़ है अगर तंग हो तो पानी डालने में नथ को हिलाये वरना ज़रूरी नहीं ।

मसअला :– आँखों के ढेले और पपोटों की अन्दरूनी सतह़ का धोना कुछ ज़रूरी नहीं बल्कि न चाहिये कि उस से नुक़सान है।

मसअला :– मुँह धोते वक़्त आँखें जोर से मींच लीं कि पलक के क़रीब एक हल्की सी तहरीर बन्द हो गई और उस पर पानी न बहा और वह आ़दत में बन्द करने से ज़ाहिर रहती हो तो वुज़ू हो जायेगा मगर ऐसा करना नहीं चाहिये और अगर कुछ ज़्यादा धुलने से रह गया तो वुज़ू न होगा।

मसअला :– आँख के कोए पर पानी बहना फ़र्ज़ है मगर सुर्मे का जिर्म (कण) कोए या पलक में रह गया और वुज़ू कर लिया लेकिन पता न चला और नमाज़ पढ़ ली तो ह़रज नहीं नमाज़ हो गई और वुज़ू भी हो गया और अगर मा़लूम है तो उसे छुड़ा कर पानी बहाना ज़रूरी है।

मसअला :– पलक का हर बाल पूरा धोना फ़र्ज़ है और अगर उस में कीचड़ वग़ैरा कोई सख़्त चीज़ जम गई हो तो उसका छुड़ाना फ़र्ज़ है।

2. हाथ धोना :– (इस हुक्म में कोहनियाँ भी शमिल हैं)

मसअला :– अगर कोहनियों से नाख़ून तक कोई जगह ज़र्रा भर भी धुलने से रह जायेगी तो वुज़ू न होगा।

मसअला :– हर क़िस्म के जाइज़ नाजाइज़ गहने,छल्ले,अगूँठियाँ,पहुँचियाँ,कंगन,काँच और लाख वग़ैरा की चूड़ियाँ और रेशम के लच्छे वग़ैरा अगर इतने हों कि नीचे पानी न बहे तो उतार कर धोना फ़र्ज़ हैं और अगर सिर्फ़ हिलाकर धोने से पानी बह जाता हो तो हिलाना ज़रूरी है और अगर ढीले हों कि बिना हिलाये भी नीचे पा़नी बह जायेगा तो कुछ ज़रूरी नहीं।

मसअला :– हाथों की आठों घाईयाँ, उंगलियों की करवटों और नाख़ूनों के अन्दर जो जगह ख़ाली है और कलाई का हर बाल जड़ से नोक तक उन सब पर पानी बह जाना ज़रूरी है। अगर कुछ भी रह गया या बालों की जड़ों पर पानी बह गया और किसी एक बाल पर पानी न बहा तो वुज़ू न हूआ मगर नाखुनों के अन्दरू का मैल मुआ़फ़ है।

मसअला :– अगर किसी की छह उंगलियाँ हैं तो सबका धोना फ़र्ज़ है और अगर एक मोढ़े पर दो हाथ निकले तो जो पूरा है उसका धोना फ़र्ज़ है और दूसरे का धोना फ़र्ज़ नहीं मुस्तह़ब है मगर उस दूसरे हाथ का वह ह़िस्सा जो पूरे हाथ के फ़र्ज़ की जगह से मिला हो उतने का धोना फ़र्ज़ है

3. सर का मस़ह करना :– (चौथाई सर का मसह़ करना फ़र्ज़ है।)

मसअला :– मस़ह करने के लिए हाथ तर होना चाहिये चाहे साथ में तरी उ़ज़्व (अंगो)के धोने के बा़द रह गई हो या नये पा़नी से हाथ तर कर दिया हो।

मसअला :– किसी उ़ज़्व के मसह़ के बा़द जो हाथ में तरी बाक़ी रह जायेगी वह दूसरे उ़ज़्व के मसह़ के लिये काफ़ी न होगी।

मसअला :– सर पर बाल न हों तो जिल्द की चौथाई और जो बाल हों तो ख़ास़ सर के बालों की चौथाई का मसह़ फ़र्ज़ है और सर का मसह़ इसी को कहते हैं।

मसअला :– इमामे (पगड़ी) टोपी और दुपठ्ठे पर मसह़ काफ़ी नहीं हाँ अगर टोपी या दुपट्टा इतना बारीक हो कि तरी फूट कर चौथाई सर को तर कर दे तो मसह़ हो जायेगा।

मसअला :– सर से जो बाल लटक रहे हों उस पर मसह़ करने से मसह़ न होगा।

4. पाँव धोना :– चौथा फ़र्ज़ पाँव को गट्टों समेत एक बार धोना है। छल्ले और पाँव के गहनों का वही हुक्म है जो ऊपर बताया गया है।

मसअ्ला :– कुछ लोग किसी बीमारी की वजह से पाँव के अँगूठों में इतना खींच कर तागा बाँध लेते हैं कि पानी का बहना तो दर किनार तागे के नीचे तर भी नहीं होता उनको इससे बचना ज़रूरी है नहीं तो ऐसी सूरत में वुज़ू नहीं होता

मसअ्ला :– घाईयों और उंगलियों की करवटें,तलवे,एड़ियाँ,कोंचे सबका धोना फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– बदन के जिन आज़ा का धोना फ़र्ज है उन पर पानी बह जाना शर्त है। यह ज़रूरी नहीं कि क़स्द और इरादे से पानी बहाये बल्कि अगर बिना इख़्तियार भी उन पर पानी बह जाये (जैसे पानी बरसा और वुज़ू के हर हिस्से से दो दो क़तरे बह गये) तो वुज़ू के हिस्से धुल गये और सर का चौथाई हिस्सा धुल गया तो ऐसी सूरत में वुज़ू की शर्तें पूरी हो गईं या कोई आदमी तालाब में गिर पड़ा और वुज़ू के हिस्से पर पानी गुज़र गया तो भी वुज़ू हो गया ।

मसअ्ला :– जिस चीज़ की आदमी को आम या ख़ास तौर पर ज़रूरत पड़ती रहती है अगर उसमें ज़्यादा एहतियात की जाये तो हरज हो तो वह माफ़ है। नाखूनों के अन्दर या ऊपर या और किसी धोने की जगह पर उस के लगे रह जाने से अगरचे जिर्मदार हो अगरचे उस के नीचे पानी न पहुँचे अगरचे सख़्त चीज़ हो वुज़ू हो जायेगा जैसे पकाने गूँधने वालों के लिये आटा, रंगरेज, के लिये रंग का जिर्म,औरतों के लिये मेंहदी का जिर्म,लिखने वालों के लिये रोशनाई का जिर्म,मज़दूर के लिए गारा मिट्टी आम लागों के लिये कोए या पलक में सुर्मे का जिर्म इसी तरह बदन का मैल मिट्टी,गुबार मक्खी ,मच्छर की बीट वग़ैरा

मसअ्ला :– किसी जगह छाला था और वह सूख गया उसकी खाल जुदा कर के पानी बहाना ज़रूरी नहीं बल्कि उसी छाले की खाल पर पानी बहा लेना काफ़ी है फिर उस को जुदा कर दिया तो अब भी उस पर पानी बहाना ज़रूरी नहीं।

मसअ्ला :– मछली का सिन्ना अगर वुज़ू के हिस्से पर चिपका रह गया तो वुज़ू न होगा कि पानी उस के नीचे न बहेगा।

वुज़ू की सुन्नतें

मसअ्ला :– वुज़ू पर सवाब पाने के लिये अल्लाह तआला का हुक्म बजा लाने की नियत से वुज़ू करना ज़रूरी है नहीं तो वुज़ू तो हो जायेगा सवाब नहीं होगा।

मसअ्ला :– वुज़ू बिस्मिल्लाह से शुरू करे और अगर वुज़ू से पहले इस्तिन्जा करे तो इस्तिन्जा करने से पहले भी बिस्मिल्लाह कहे मगर पाख़ाने में जाने बदन खोलने से पहले कहे कि नजासत की जगह में पाख़ाने में और बदन खोलने के बाद अल्लाह का ज़िक्र मना है।

मसअ्ला :– वुज़ू शुरू यूँ करे कि पहले हाथों को गट्टों तक तीन–तीन बार धोये अगर पानी बड़े बर्तन में हो और कोई छोटा बर्तन भी नहीं कि उसमें पानी उंडेल कर हाथ धोये तो उसे चाहिये कि बायें हाथ की उंगलियाँ मिलाकर सिर्फ़ उंगलियाँ पानी में डाले हथेली का कोई हिस्सा पानी में न पड़े और पानी निकाल कर दाहिना हाथ गट्टे तक तीन बार धोये फिर दाहिने हाथ को जहाँ तक धोया है बिला तकल्लुफ़ पानी में डाल सकता है और उस से पानी निकाल कर बायाँ हाथ धोये यह

उस सूरत में है कि हाथ में कोई नजासत न लगी हो वर्ना बर्तन में हाथ डालना किसी तरह जाइज़ नही अगर नापाक हाथ बर्तन में डालेगा तो पानी नापाक हो जायेगा।

मसअला :– अगर छोटे बर्तन में पानी है या पानी तो बड़े बर्तन में है मगर वहाँ कोई छोटा बर्तन भी मौजूद है और उसने बे धोये हाथ पानी में डाल दिया बल्कि उंगली का पोरा या नाख़ून डाला तो वह सारा का सारा पानी वुज़ू के क़ाबिल न रहा जैसा कि हिदाया,फ़तहुल क़दीर और फ़तावा क़ाज़ी खाँ में है क्यूँकि वह पानी मुस्तअ्मल (इस्तेमाल किया हुआ) हो जाता है।

यह उस वक़्त है कि जितना हाथ पानी में पहुँचा उस का कोई हिस्सा बे धुला हो वर्ना अगर पहले हाथ धो चुका और उस के बाद हदस न हुआ (वुज़ू टूटने का सबब न पाया गया) तो जिस क़द्र हिस्सा धुला हुआ हो उतना पानी में डालने से मुस्तअ्मल न होगा अगरचे कोहनी तक हो बल्कि ग़ैर–जुनुब (जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ न हो यानी पाक शख़्स) ने अगर कुहनी तक हाथ धो लिया तो उसके बाद बग़ल तक डाल सकता है कि अब उस के हाथ पर कोई हदस बाक़ी नहीं। हाँ जुनुब कुहनी से ऊपर उतना ही हिस्सा डाल सकता है जितना धो चुका है कि उस के सारे बदन पर हदस है।

मसअला :– जब सोकर उठे तो पहले हाथ धोये इस्तिन्जे से पहले भी और बाद भी कम से कम तीन–तीन बार दाहिने, बायें, ऊपर, नीचे के दाँतों में मिस्वाक करे और हर बार मिस्वाक को धो ले। मिस्वाक न तो बहुत सख़्त हो न बहुत नर्म और मिस्वाक पीलू ज़ैतून या नीम वग़ैरा कड़वी लकड़ी की हो,मेवे या ख़ुश्बूदार फूल के पेड़ की न हो छंगुलिया के बराबर मोटी और ज़्यादा से ज़्यादा एक बालिश्त लम्बी हो और इतनी छोटी भी न हो कि मिस्वाक करने में परेशानी हो जो मिस्वाक एक बालिश्त से ज़्यादा हो उस पर शैतान बैठता है। मिस्वाक जब करने के क़ाबिल न रहे तो उसे दफ़न कर देना चाहिए या किसी ऐसी जगह रख दे कि किसी नापाक जगह न गिरे क्यूँकि एक तो वह सुन्नत के अदा करने का ज़रिआ है इसलिये उसकी ताज़ीम चाहिए। दूसरे यह कि मुसलमानों के थूक को नापाक जगह गिरने से बचाना चाहिए इसीलिए पाख़ाने में थूकने को हमारे उलमा अच्छा नहीं समझते।

मसअला :– मिस्वाक दाहिने हाथ से करना चाहिये और मिस्वाक इस तरह हाथ मे ली जाये कि छंगुलिया मिस्वाक के नीचे और बीच की तीन उंगलियाँ ऊपर और अँगूठा सिरे पर नीचे हो और मुट्ठी न बँधे।

मसअला :– दाँतों की चौड़ाई में मिस्वाक करे लम्बाई में नहीं चित लेट कर मिस्वाक न करे।

मसअला :– पहले दाहिने जानिब के ऊपर के दाँत मांझे फिर बाईं जानिब के ऊपर के दाँत फिर दाहिनी तरफ़ के नीचे के दाँत और फिर बाईं तरफ़ के नीचे के।

मसअला :– जब मिस्वाक करना हो तो उसे धो लें और मिस्वाक करने के बाद भी उसे धो डालें, ज़मीन पर पड़ी न छोड़ें बल्कि खड़ी रखें और उसे इस तरह खड़ी रखें कि उस के रेशे वाला हिस्सा ऊपर रहे।

मसअला :– फिर तीन चुल्लू पानी से तीन कुल्लियाँ करे कि हर बार मुँह के अन्दर हर हिस्से पर पानी बह जाये और रोज़ादार न हो तो ग़रारा करे।

मसअला :– फिर तीन चुल्लू से तीन बार नाक में पानी चढ़ाये कि जहाँ तक नर्म गोश्त होता है हर बार उस पर पानी बह जाये और रोज़ादार न हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुँचाये और यह

दोनों काम दाहिने हाथ से करे फिर बायें हाथ से नाक साफ़ करे ।

मसअ्ला :– मुँह धोते वक़्त दाढ़ी का ख़िलाल करे अगर एहराम बाँधे हुए हो तो ख़िलाल न करे ख़िलाल का तरीक़ा यह होगा कि उंगलियों को गले की तरफ़ से दाख़िल करे और सामने निकाले।

मसअ्ला :– हाथ पाँव की उंगलियों का ख़िलाल करे पाँव की उंगलियों का ख़िलाल बायें हाथ की छँगुलिया से करे इस तरह कि दाहिने पाँव में छँगुलिया से शूरू करे और अँगूठे पर ख़त्म करे और बायें पाँव में अँगूठे से शुरू कर के छंगुलिया पर ख़त्म करे और अगर बे ख़िलाल किये पानी उंगलियों के अन्दर से न बहता हो तो ख़िलाल फ़र्ज़ है यानी पानी पहुँचाना अगरचे बे ख़िलाल हो जैसे घाईयाँ खोलकर ऊपर से पानी डाल दिया या पाँव हौज़ में डाल दिया।

मसअ्ला :– वुज़ू के जो हिस्से धोने के हैं। उनको तीन–तीन बार हर मरतबा इस तरह धोये कि कोई हिस्सा न रह जाये नहीं तो सुन्नत अदा न होगी।

मसअ्ला :– अगर यूँ किया कि पहली मरतबा कुछ धुल गया और दूसरी बार कुछ और तीसरी बार कुछ कि तीनों बार में पूरा उज़्व धुल गया तो यह एक ही बार धोना होगा इस तरह वुज़ू तो हो जायेगा लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ है क्योंकि इसमें चुल्लूओं की गिनती नहीं बल्कि पूरा उ़ज़्व धोने की गिनती है कि उ़ज़्व का धोना तीन बार हो अगरचे कितने ही चुल्लूओं से धोना पड़े।

मसअ्ला :– पूरे सर का एक बार मसह़ करना और कानों का मसह़ करना और तरतीब कि पहले मुँह फिर हाथ धोये फ़िर सर का मसह़ करे फिर पाँव धोये अगर तरतीब के ख़िलाफ़ वुज़ू किया था और कोई सुन्नत छोड़ गया तो वुज़ू तो हो जायेगा लेकिन ऐसा करना बुरा है और अगर सुन्नते मुअक्कदा के छोड़ने की आदत डाली तो गुनहगार है और दाढ़ी के जो बाल मुँह के दायरे से नीचे हैं उनका मसह़ सुन्नत और धोना मुस्तह़ब है और वुज़ू के हिस्सों को इस तरह धोना कि पहले वाला उ़ज़्व सूखने न पाये।

वुज़ू के मुस्तह़ब्बात

बहुत से वुज़ू के मुस्तह़ब भी ऊपर ज़िक्र हो चुके और जो कुछ बाक़ी रह गये हैं वह लिखे जाते हैं।

मसअ्ला :– दाहिनी तरफ़ से शूरू करे मगर दोनों रुख़सार कि इन दोनों को साथ ही साथ धोयेंगे ऐसे ही दोनों कानों का मसह़ साथ ही साथ होगा। हाँ अगर किसी के एक ही हाथ हो तो मुँह धोने और मसह़ करने में भी दाहिने से पहल करे। उंगलियों की पुश्त से गर्दन का मसह़ करना। वुज़ू करते वक़्त क़ाबे की तरफ़ ऊँची जगह बैठना। वुज़ू का पानी पाक जगह गिराना। पानी गिरते वक़्त वुज़ू के हिस्सों पर हाथ फेरना ख़ास कर जाड़े में। पहले तेल की तरह पानी चुपड़ लेना ख़ास कर जाड़े में। अपने हाथ से पानी भरना। दूसरे वक़्त के लिये पानी भर कर रखना। वुज़ू करने में बग़ैर ज़रूरत दूसरे से मदद न लेना। अँगूठी पहने हुए हो तो उसको हिलाना जब कि ढीली हो ताकि उसके नीचे पानी बह जाये। अगर ढीली न हो तो उसका हिलाना फ़र्ज़ है। कोई मजबूरी न हो तो वक़्त से पहले वुज़ू करना। इत्मिनान से वुज़ू करना। आ़म लोगों में जो मशहूर है कि वुज़ू जवानों की तरह और नमाज़ बूढ़ों की तरह यानी वुज़ू जल्दी करे लेकिन ऐसी जल्दी न चाहिए कि जिससे कोई सुन्नत या मुस्तह़ब छूट जाये। कपड़ों को टपकते क़तरों से महफ़ूज़ रखना। कानों का मसह

करते वक़्त भीगी छंगुलियाँ कानों के सूराख़ में दाख़िल करना। जो आदमी पूरे तौर पर वुज़ू करता हो कि कोई जगह बाक़ी न रह जाती हो उसे कोयों ,टख़नों, एड़ियों,तल्वों,कूंचों,घाईयों और कुहनियों का ख़ास तौर पर ख़्याल रखना मुस्तहब है और बे-ख़्याली करने वालों को तो फ़र्ज़ है कि अकसर देखा गया है कि यह जगहें सूखी रह जाती हैं और यह बात बे-ख़्याली से होती है और ऐसी बे-ख़्याली हराम है और इन बातों का ख़्याल रखना फ़र्ज़ है। वुज़ू का बर्तन मिट्टी का हो ताँबे वग़ैरा का हो तो भी हरज नहीं मगर उस पर क़लई हो। अगर वुज़ू का बर्तन लोटे की क़िस्म से हो तो उसे बाईं तरफ़ रखे और तश्त की क़िस्म से हो तो दाहिनी तरफ़। आफ़ताबे (लोटा) में दस्ता लगा हो तो दस्ते को तीन बार धो लें और हाथ उस के दस्ते पर रखे। दाहिने हाथ से कुल्ली करना और नाक में पानी डालना। बायें हाथ से नाक साफ़ करना। बायें हाथ की छंगुलिया नाक में डालना। पाँव को बायें हाथ से धोना। मुँह धोने में माथे के सिरे पर ऐसा फैला कर पानी डालें कि ऊपर का भी कुछ हिस्सा धुल जाये।

तम्बीह :- बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि नाक,आँख या भवों पर चुल्लू डाल कर सारे मुँह पर हाथ फेर लेते हैं और यह समझते हैं कि मुँह धुल गया हालाँकि पानी का ऊपर चढ़ना कोई मअ़नी नहीं रखता इस तरह धोनें में मुँह नहीं धुलता और वुज़ू नहीं होता। दोनों हाथों से मुँह धोना। हाथ पाँव धोने में उंगलियों से शूरू करना। चेहरे और हाथ पाँव की रौशनी वसीअ् करना यानी जितनी जगह पर पानी बहाना फ़र्ज़ है उसके आस पास कुछ बढ़ाना जैसे आधे बाज़ू और आधी पिंडली तक धोना सर में मसह का मुस्तहब तरीक़ा यह है कि अँगूठे और कलिमे की उंगली के सिवा एक हाथ की बाक़ी तीन उंगलियों का सिरा दूसरे हाथ की तीन उंगलियों के सिरे से मिलायें और पेशानी के बाल या खाल पर रख कर गुद्दी तक इस तरह ले जायें कि हथेलियाँ सर से जुदा रहें वहाँ से हथेलियों से मसह करता वापस लाये और कलिमे की उंगली के पेट से कान के अन्दरूनी हिस्से का मसह करें और अँगूठे के पेट से कान की बैरूनी सतह (बाहरी हिस्सा) का और उंगलियों की पुश्त से गर्दन का मसह करना। हर उज़्व धोकर उस पर हाथ फेर देना चाहिए कि बूँदें बदन या कपड़े पर न टपकें, ख़ास कर जब मस्जिद में जाना हो कि क़तरों का मस्जिद में टपकना मकरूहे तहरीमी है। बहुत भारी बर्तन से कमज़ोर आदमी वुज़ू न करे क्योंकि बे एहतियाती से पानी गिरेगा। ज़ुबान से कह लेना कि वुज़ू करता हूँ। हर उज़्व के धोते या मसह करते वक़्त वुज़ू की नियत का हाज़िर रहना।

वुज़ू की दुआये

वुज़ू में जो दुआयें पढ़ी जाती हैं उनका पढ़ना मुस्तहब है नीचे मुस्तहब दुआयें लिखी जाती हैं।

1 . **वुज़ू करते वक़्त बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ें** और वह यह है :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

तर्जमा :- "अल्लाह के नाम से शूरू जो बहुत मेहरबन रहमत वाला।"और दूरूद शरीफ़ पढ़े जैसे:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

अल्लाह हुम्म सल्लि अ़ला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिव व आलिही व असहाबिही अजमईन।

तर्जमा :- "ऐ अल्लाह तू रहमत नाज़िल फ़रमा हमारे सरदार और हमारे मौला मुहम्मद(सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम) पर और उनकी आल,असहाब सब पर।"

2 . **दूसरा कलिमा पढ़े** और बिस्मिल्लाह,दुरूद शरीफ़ और यह कलिमा हाथ धोते वक़्त पढ़ना मुस्तहब

है दूसरा कलिमा यह है:–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ حْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ.

अश्हदु अल लाइलाह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरीका लहू व अश्हदु अन्न सय्यदिना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू।

तर्जमा :– "मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं और गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) उसके बन्दे और रसूल हैं।

3. कुल्ली करते वक़्त यह दुआ पढ़ें ।:– اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى تِلَاوَتِ الْقُرْاٰن وَ ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ

अल्लाहुम्मा अइन्नी अला तिलावतिलकुर्आनि व ज़िकरिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका।

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह तू मेरी मदद कर कि क़ुर्आन की तिलावत और तेरा ज़िक्र और शुक्र करूँ और तेरी अच्छी इबादत करूँ। "

4. नाक में पानी डालते वक़्त यह दुआ पढ़े :– اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِىْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرِحْنِىْ رَائِحَةَ النَّارِ.

अल्लाहुम्मा अरिहनी राइहतलेजन्नति वला तुरिहनी राइहतन्नारि।

तर्जमा :– "ऐ अल्लाए तू मुझे जन्नत की खुशबू सुंघा और जहन्नम की बू से बचा"

5. और मुँह धोते वक़्त यह दुआ पढ़े :– اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ

अल्लाहुम्म बय्यिद वजही यौमा तबयद्दु वजूहून व तसवद्दु वजूहुन।

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह तू मेरे चेहरे को उजला कर,जिस दिन कि कुछ मुँह सफ़ेद होंगे और कुछ सियाह होंगे।"

6. सीधा हाथ धोते वक़्त यह हुआ पढ़े :– اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

"अल्लाहुम्म अअ्तिनी किताबी बियमीनी व हासिबनी हिसाबन यसीरन"।

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह मेरा नामए आमाल दाहिने हाथ में दे और मुझ से आसान हिसाब कर।"

7. बायाँ हाथ धोते वक़्त यह दुआ पढ़े :– اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ وَلَا مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ

अल्लाहुम्म ला तुअ्तिनी किताबी बिशिमाली वला मिन वराइ ज़हरी।

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह मेरा नामए आमाल न बायें हाथ में दे और न पीठ के पीछे से"।

8. सर का मसह करते वक़्त यह दुआ पढ़े :– اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلَّ عَرْشِكَ

अल्लाहुम्म अज़िल्लनी तहता अर्शिका यौमा ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्ल अर्शिका।

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह तू मुझे अपने अर्श के साये के साये में रख जिस दिन तेरे अर्श के साए के सिवा कहीं साया न होगा।

9. कानों का मसह करते वक़्त यह दुआ पढ़ें :– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ

अल्लाहुम्मजअलनी मिनल्लज़ीना यसतमिऊनल कौला फ़यत्तबिऊना अहसनहू।

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह तू मुझे उनमें कर दे जो बात सुनते हैं और अच्छी बात पर अमल करते हैं"।

10. गर्दन का मसह करते वक़्त यह दुआ पढ़ें :– اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ

अल्लाहुम्मअअ्तिक़ रक़बती मिनन्नारि।

तर्जमा : – " ऐ अल्लाह मेरी गर्दन आग से आज़ाद कर।

11. **दाहिना पाँव धोते वक़्त यह दुआ पढ़े** :– اَللّٰھُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِیْ عَلَی الصِّرَاطِ یَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ

अल्लाहुम्म सब्बित क़दमी अलस्सिराति यौमा तज़िल्लुलअक़दामु।

तर्जमा :–" ऐ अल्लाह मेरा क़दम पुलसिरात पर साबित रख जिस दिन कि उस पर क़दम फिसलें"।

12. **बायाँ पाँव धोते वक़्त यह दुआ पढ़े** :– اَللّٰھُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِیْ مَغْفُوْرًا وَّ سَعْیِیْ مَشْکُوْرًا وَّ تِجَارَتِیْ لَنْ تَبُوْرَ

अल्लाहुम्मजअल ज़मबी मग़फूरन व सअ़ई मश्कूरन व तिजारती लन तबूरा.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को बख़्श दे और मेरी कोशिश कामयाब कर और मेरी तिजारत हलाक न हो" या सब जगह दुरूद शरीफ़ ही पढ़े और यही अफ़ज़ल है और वुज़ू से फ़ारिग़ होते ही यह दुआ पढ़े। :– اَللّٰھُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ التَّوَّابِیْنَ وَ اجْعَلْنِیْ مِنَ الْمُتَطَھِّرِیْنَ

अल्लाहुम्मजअ़लनी मिनत्तव्वाबीना वजअ़लनी मिनलमुततहहिरीना

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह तू मुझे तौबा करने वालों और पाक लोगों में कर दे"।

और बचा हुआ पानी खड़े होकर पी ले कि इस से मर्ज़ दूर होते हैं और आसमान की तरफ़ मुँह करके यह कहे।

سُبْحٰنَکَ اللّٰھُمَّ وَ بِحَمْدِکَ اَشْھَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَ اَتُوْبُ اِلَیْکَ

सुब्हानका अल्लाहुम्म व बिहम्दिका अश्हदु अलला इलाह इल्ला अन्ता असतग़फिरुका व अतूबु इलैका

तर्जमा :– " तू पाक है ऐ अल्लाह और मैं तेरी हम्द करता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई मअ़बूद नहीं तुझ से मुआफ़ी चाहता हूँ और तेरी तरफ़ तौबा करता हूँ"

वुज़ू के हिस्से बिला ज़रूरत न पोंछें और बिला ज़रूरत न सुखायें। कुछ भीगा रहने दें कि यह नमी क़यामत के दिन नेकी के पल्ले में रखी जायेगी। हाथ न झटकें। वुज़ू के बाद मियानी पर पानी छिड़क लें कि यह वसवसे से बचने का ज़रिया है। मक़रूह वक़्त न हो तो दो रकअ़त नफ़्ल नमाज़ पढ़े इस नमाज़ को तहीयतूल वुज़ू कहते हैं।

वुज़ू में मकरूह चीज़ें

1. औरत के वुज़ू या गुस्ल के बचे हुए पानी से वुज़ू करना। 2. वुज़ू के लिये नजिस जगह(नापाक जगह) बैठना 3. नजिस जगह वुज़ू का पानी गिराना 4. मस्जिद के अन्दर वुज़ू करना 5 वुज़ू के किसी उज़्व से लोटे वग़ैरा में पानी का क़तरा टपकाना 6. पानी में रेंठ या खंखार डालना 7. क़िब्ले की तरफ़ थूक या खंखार डालना या कुल्ली करना 8. बे ज़रूरत दुनिया की बात करना 9. ज़्यादा पानी ख़र्च करना 10. इतना कम ख़र्च करना कि सुन्नत अदा न हो 11. मुँह पर पानी मारना। 12. मुँह पर पानी डालते वक़्त फूँकना 13. एक हाथ से मुँह धोना कि यह राफ़ज़ियों और हिन्दुओं का तरीक़ा है 14. गले का मसह करना 15. बायें हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना। 16. दाहिने हाथ से नाक साफ़ करना 17. अपने वुज़ू के लिये कोई लोटा वग़ैरा ख़ास कर लेना। 18. तीन नये पानियों से तीन बार सर का मसह करना 19. जिस कपड़े से इस्तिन्जे का पानी ख़ुश्क किया हुआ हो उस से वुज़ू के हिस्से पोंछना 20. धुप के गर्म पानी से वुज़ू करना 21 होंट या आँखे ज़ोर से बंद करना और अगर कुछ सूखा रह जाये तो वुज़ू न होगा। हर सुन्नत का छोड़ना मकरूह है ऐसे ही हर मकररूह का छोड़ना सुन्नत है।

वुज़ू के मुतफ़र्रिक (विभिन्न) मसाइल

मसअ्ला :– अगर वुज़ू न हो तो नमाज़ ,सजदए तिलावत,नमाज़े जनाज़ा और क़ुर्आन शरीफ़ छूने के लिए वुज़ू करना फर्ज़ है।

मसअ्ला :– तवाफ़ के लिए वुज़ू वाजिब है।

मसअ्ला :– गुस्ले जनाबत से पहले और जुनुब को खाने, पीने, सोने और अज़ान, इक़ामत और जुमा और अरफ़ा में ठहरने और सफ़ा और मरवा के दरमियान सई के लिए वुज़ू कर लेना सुन्नत है।

मसअ्ला :– सोने के लिए और सोने के बाद और मय्यत के नहलाने या उठाने के बाद और सोहबत से पहले और जब गुस्सा आ जाये उस वक़्त और ज़बानी क़ुर्आन शरीफ़ पढ़ने पढ़ाने, और जुमा ईद बक़रईद के अलावा बाक़ी खुतबों के लिए,दीनी किताबों को छूने के लिये,सत्रे ग़लीज़ यानी पेशाब पख़ाने की जगह को छूने के बाद,झुट बोलने,गाली देने, बुरी बात कहने ,काफ़िर से बदन छू जाने, सलीब या बुत छूने,कोढ़ी या सफ़ेद दाग़ वाले से छू जाने, बग़ल खुजलाने से जब कि उसमें बदबू हो,ग़ीबत करने, कहकहा लगाने यानी ज़ोर से हँसने से,लग्व यानी बेहूदा अशआर पढ़ने,ऊँट का गोश्त खाने, किसी औरत के बदन से अपना बदन बिना रूकावट के छू जाने से और वुज़ू वाले आदमी के नमाज़ पढ़ने के लिए इन सब सूरतों में वुज़ू करना मुस्तहब है।

मसअ्ला :– जब वुज़ू जाता रहे वुज़ू कर लेना मुस्तहब है।

मसअ्ला :– नाबालिग़ पर वुज़ू फ़र्ज़ नहीं है मगर उन्हें वुज़ू कराना चाहिए ताकि आदत हो और वुज़ू करना आ जाये और वुज़ू के मसअ्लों से आगाह हो जायें।

मसअ्ला :– लोटे की टोटी न ऐसी तंग हो कि पानी मुश्किल से गिरे और न ऐसी फैली हुई हो कि ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाये। बल्कि दरमियानी हो।

मसअ्ला :– चुल्लू में पानी लेते वक़्त ध्यान रखें कि पानी न गिरे कि फुजूल ख़र्ची होगी। ऐसा ही जिस काम के लिए चुल्लू में पानी लें उसका अन्दाज़ रखें ज़रूरत से ज़्यादा न लें जैसे नाक में पानी डालने के लिये आधा चुल्लू काफ़ी है तो पूरा चुल्लू न लें कि फुजूल ख़र्ची है।

मसअ्ला :– हाथ, पाँव, सीना और पीठ पर बाल हों तो हड़ताल वग़ैरा से साफ़ कर डालें या तरशवा लें नहीं तो पानी ज़्यादा ख़र्च होगा।

फ़ाइदा :– वलहान एक शैतान का नाम है जो वुज़ू में वस्वसा डालता है उसके वस्वसे से बचने के लिए बेहतरीन तदबीरें यह हैं :–

1. अल्लाह तआला की तरफ़ रुजू यानी तवज्जोह करना।
2. और यह पढ़ना चाहिए :– اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْم

तर्जमा :–"मैं अल्लाह की पनाह माँगता हूँ शैतान मरदूद से"। 3.और यह पढ़ना चाहिए وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ

तर्जमा :– "और नहीं है कोई ताक़त और कुव्वत अल्लाह के सिवा।"4.और सूरए नास पढ़ना चाहिए

5. और यह पढ़ना चाहिए :–اٰمَنْتُ بِاللّٰہِ وَ رَسُوْلِہٖ

तार्जम :–"मैं ईमान लाया अल्लाह और उसके रसूल पर।" 6 .और यह पढ़ना चाहिए

هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ

तर्जमा :–"वही अव्वल है वही आख़िर है वह ज़ाहिर है और बातिन (छिपा हुआ) है और वह हर चीज़ का जानने वाला है। 7. और यह पढ़ना चाहिए :–

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ وَ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

तर्जमा :– "अल्लाह पाक है मालिक और ख़ल्लाक़ है अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें ले जाये और एक नई मख़लूक़ ले आये और यह अल्लाह पर कुछ दुश्वार नहीं।"

इन दुआओं के पढ़ने से वसवसा जड़ से कट जायेगा और वसवसे का बिल्कुल ख़्याल न करने से भी वसवसा दूर हो जाता है यानी शैतान जो बार बार दिल में वसवसे डाले तो जब तक यक़ीन न हो उन वसवसों की तरफ़ ध्यान न दे,यूँ समझे कि कोई पागल बक रहा है। इस से भी वसवसा कट जाता है।

वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें का बयान

मसअ्ला :– पेशाब, पाख़ाना वदी मजी मनी कीड़ा और पथरी मर्द या औरत के आगे पीछे से निकलें तो वुज़ू जाता रहेगा।

मसअ्ला :–अगर मर्द का ख़तना नहीं हुआ है और सूराख़ से इन चीजों में से कोई चीज़ निकली मगर अभी ख़तने की खाल के अन्दर ही है जब भी वुज़ू जाता रहा।

मसअ्ला :– यूँही औरत के सूराख़ यानी पेशाब की जगह से कोई नजासत (नापाकी)निकली मगर ऊपर की खाल के अन्दर है फिर भी वुज़ू जाता रहेगा।

मसअ्ला :– औरत के आगे से ऐसी रतूबत जिसमें खून की मिलावट न हो उससे वुज़ू नहीं टुटता अगर कपड़े में लग जाये तो कपड़ा पाक है।

मसअ्ला :– मर्द या औरत के पीछे से अगर हवा निकले तो वुज़ू टूट जाता है।

मसअ्ला :– मर्द या औरत के आगे से हवा निकली या पेट में ऐसा ज़ख़्म हो गया कि झिल्ली तक पहुँचा उससे हवा निकली तो वुज़ू नहीं जायेगा।

मसअ्ला :– औरत के दोनों मक़ाम फ़ट कर एक हो गये तो उसे जब हवा निकले चाहे आगे से ही निकलने का शुब्हा हो फ़िर भी इहतियात़ यही है कि वुज़ू कर ले।

मसअ्ला :– अगर मर्द ने पेशाब के सूराख़ में कोई चीज़ डाली फ़िर वह उस में से लौट आई तो वुज़ू नहीं जायेगा

मसअ्ला :– अगर हुक़ना (ऐनिमा) लिया और दवा बाहर आ गई या कोई चीज़ पाख़ाने की जगह में डाली और वह बाहर निकल आई तो वुज़ू टूट जायेगा।

मसअ्ला :– मर्द अगर ज़कर (लिंग) के सूराख़ में रूई रखे और रूई ऊपर से सूखी है मगर जब निकाली तो तर निकली ऐसी सूरत में रूई निकालते ही वुज़ू टुट जायेगा। इसी त़रह औरत का ह़ाल है कि उसने पेशाब की जगह में कपड़ा रखा और ऊपर से कोई तरी नहीं लेकिन जब कपड़े को बाहर निकाला तो कपड़ा खून या किसी और नजासत से तर निकला तो अब वुज़ू टुट जायेगा।

मसअ्ला :– खून, पीप या पीला पानी कहीं से निकल कर बहा और उस बहने में ऐसी जगह पहुँचने की सलाहियत थी जिसका वुज़ू या गुस्ल में धोना फ़र्ज़ है तो वुज़ू जाता रहा अगर सिर्फ़ चमका या उभरा और बहा नहीं जैसे सुई की नोंक या चाक़ू का किनारा लग जाता है और उभर या चमक

जाता है या ख़िलाल किया या मिस्वाक की या उंगली से दांत मांझा या दाँत से कोई चीज़ काटी उस पर खून का असर पाया या नाक में उंगली डाली उस पर खून की सुर्खी आगई मगर वह खून बहने के लाइक़ नहीं था तो वुजू नहीं टूटा और अगर बहा ऐसी जगह बहकर नहीं आया जिसका धोना फ़र्ज़ हो तो वुजू नहीं टूटा जैसे आँख में दाना था और टूट कर अन्दर ही फैल गया बाहर नहीं निकला या कान के अन्दर दाना टूटा और उसका पानी सूराख़ से बाहर न निकला तो इन सूरतों में वुजू बाक़ी रहेगा।

मसअ्ला :– जख़्म में से खून वग़ैरा निकलता रहा और यह बार बार पोंछता रहा कि बहने की नौबत न आई तो ध्यान करे कि अगर न पोंछता तो बह जाता या नहीं अगर बह जाता तो वुजू टूट गया वर्ना नहीं ऐसे ही अगर मिट्टी या राख डाल कर सुखाता रहा तो उसका भी वही हुक्म है।

मसअ्ला :–फ़ोड़ा या फुन्सी निचोड़ने से खून बहा अगरचे ऐसा हो कि न निचोड़ता तो न बहता जब भी वुजू जाता रहेगा

मसअ्ला :– आँख ,कान,नाफ़,और छाती वग़ैरा में दाना या नासूर या कोई बीमारी हो इन वजहों से जो आँसू या पानी बहे तो वुजू टूट जायेगा।

मसअ्ला :– ज़ख़्म से या नाक कान या मुँह से कीड़ा या ज़ख़्म से कोई गोश्त का टूकड़ा (जिस पर खून पीप या कोई और चीज़ जो बहने वाली न थी) कट कर गिरी तो वुजू नहीं टूटेगा।

मसअ्ला :– कान में तेल डाला था और एक दिन बा़द कान या नाक से निकला तो वुजू नहीं टूटेगा ऐसे ही अगर मुँह से निकला वुजू नहीं टुटेगा। हाँ अगर यह मा़लूम हो कि दिमाग़ से उतर कर मेदे में गया और मेदे से आया है तो वुजू टूट जायेगा।

मसअ्ला :– छाला नोच डाला अगर उसमें का पानी बह गया तो वुजू जाता रहा वरना नहीं।

मसअ्ला :– थूक के साथ अगर मुँह से खून निकला अगर ,खून थूक से ज्यादा है तो वुजू टुट जायेगा वरना नहीं ।

फ़ायदा :– थूक के ज़्यादा और कम होने की पहचान यह है कि थूक का रंग अगर सुर्ख़ हो जाये तो खून ज़्यादा समझा जाएगा और अगर पीला रहे तो कम।

मसअ्ला : – अगर जोंक या बड़ी किल्ली ने खून चूसा और इतना पी लिया कि अगर खुद निकलता तो बह जाता तो वुज़ू टूट जाएगा वर्ना नहीं

मसअ्ला :– अगर छोटी किल्ली, जूँ ,खटमल, मच्छर और पिस्सू ने खून चूसा तो वुजू नहीं जायेगा।

मसअ्ला :– अगर नाक सा़फ़ की और उसमें से जमा हुआ खून निकला तो वुजू नहीं टूटेगा।

मसअ्ला :– नारू यानी वह बीमारी जिसमें बदन से धागे की त़रह एक चीज़ निकलती है उस से रतूबत बहे तो वुजू जाता रहेगा और डोरा निकला तो वुजू बाक़ी है।

मसअ्ला :– अंधे की आँखों से मर्ज़ की वजह से जो रतूबत निकलती है उस से वुजू टूट जाता है।

मसअ्ला :– खून, पानी, खाना या पित की मूँह भर कै़ हो तो उससे वुजू टूट जाता है।

फ़ाइदा :– मुँह भर कर कै़ का मत़लब यह है कि उसका आसानी से रुकना मुश्किल हो।

मसअ्ला :– बलग़म की कै़ अगर ज़्यादा भी हो तो उस से वुजू नहीं टूटेगा ।

मसअ्ला :– अगर खून से थूक ज़्यादा न हो तो बहते खून की कै़ से वुजू टूट जाता है और जमा

हुआ खून है तो वुजू नहीं जाएगा जब तक मुँह भर कर न हो।

मसअला :– पानी पिया और पानी मेदे में उतर गया और वही पानी साफ़ कै में आया अगर मुँह भर है तो वुजू टूट जायेगा और वह पानी भी नजिस है और अगर सीने तक पहुँचा था और उच्छू (फन्दा) लगा और निकल आया तो न वह पानी नापाक है और न उससे वुजू जायेगा।

मसअला :– अगर थोड़ी–थोड़ी कई बार कै हुई और सबको मिलाकर मुँह भर है तो अगर एक ही मतली से है तो वुजू टूट जायेगा और अगर मतली जाती रही और उसका असर दूर हो गया और फ़िर नये सिरे से मतली शुरू हुई और कै आई और दोनों मर्तबा की अलग–अलग मुँह भर नहीं मगर दोनों जमा की जाायें तो मुँह भर हो जाये तो इससे वुजू नहीं टूटेगा। फ़िर अगर यह कै एक ही जगह में हो तो वुजू कर लेना बेहतर है।

मसअला :– कै में सिर्फ़ कीड़े या साँप निकलें तो वुजू नहीं टूटेगा और अगर उसके साथ कुछ पानी भी है तो देखा जायेगा कि रतूबत या पानी मुँह भर है या नहीं अगर मुँह भर है तो वुजू टूट जायेगा वरना नहीं।

मसअला :– सो जाने से वुजू जाता रहता है जब कि दोनों सुरीन (चूतड़)खूब न जमें हों और न ऐसी हालत पर सोया हो जिस से ग़ाफ़िल होकर नींद न आ सके जैसे उकरू बैठ कर सोया या चित या पट या करवट लेट कर या एक कोहनी पर तकिया लगा कर या बैठ कर सोया मगर एक करवट को झुका हुआ कि एक या दोनों सुरीन उठे हुए हों या नंगी पीठ पर सवार है और जानवर ढाल पर उतर रहा है या दो ज़ानू बैठा और पेट रानों पर रखा कि दोनों सुरीन जमे न रहें या चार ज़ानू है और सर रानों या पिंडलियों पर है या जिस तरह औरतें सजदा करती हैं उसी हालत पर सो गया इन सब सूरतों में वुज़ू जाता रहेगा और अगर नमाज़ में इन सूरतों में से किसी सूरत पर जान बूझ कर सोया तो वुज़ू भी गया और नमाज़ भी गई वुज़ू कर के सिरे से नियत बाँधे और अगर बिला इरादा सोया तो वुज़ू कर के जिस रुक्न में सोया था वहाँ से अदा करेगा और नमाज़ का दोबारा पढ़ना बेहतर है।

मसअला : – दोनों सुरीन (चूतड़)ज़मीन या कुर्सी या बैंच पर हैं और दोनों पाँव एक तरफ़ फैले हुये या दोनों सुरीन पर बैठा है और घुटने खड़े हैं और हाथ पिंडलियों को घेरे हुए हों चाहे ज़मीन पर हों,दो ज़ानू सीधा बैठा हो या चार ज़ानू पालथी मारे या ज़ीन पर सवार हो या नंगी पीठ पर सवार हो मगर जानवर चढ़ाई पर चढ़ रहा है या रास्ता बराबर है या खड़े खड़े सो गया या रुकूअ की सूरत पर या मर्दों के मसनून सजदे की शक्ल पर तो इन सूरतों में वुजू नहीं जायेगा और अगर नमाज़ में यह सूरतें पेश आईं तो न वुजू जाये न नमाज़,हाँ अगर पूरा रुक्न,सोते ही में अदा किया तो उसका लौटाना ज़रूरी है और अगर जागते में शुरू किया फिर सो गया तो अगर जागते में रुक्न के पूरा होने की मिक़दार अदा कर चुका है तो वही काफ़ी है नहीं तो पूरा कर लें।

मसअला :– गर्म तन्दूर के किनारे पांव लटकाये बैठ कर सो गया तो वुजू कर लेना मुनासिब है।

मसअला :– बीमार लेट कर नमाज़ पढ़ रहा था अगर नींद आ गई तो वुजू टुट जायेगा।

मसअला :– ऊँघने या बैठे–बैठे झोकें लेने से वुजू नहीं जाता

मसअला :– नमाज वग़ैरा के इन्तिज़ार में कभी कभी नींद आ जाती है और नमाज़ी नींद को दूर

करना चाहता है तो कभी ऐसा ग़ाफ़िल हो जाता है कि उस वक़्त जो बातें हुईं उनकी उसे बिल्कुल ख़बर नहीं बल्कि दो तीन आवाज़ों में उसकी आँख खुली और अपने ख़्याल में वह यह समझता है कि सोया न था तो उसके इस ख़्याल का एअ्तिबार नहीं अगर कोई मोअ्तबर आदमी कहे कि तू ग़ाफ़िल था यहाँ तक कि तू ऐसा ग़ाफ़िल था कि तुझे पुकारा गया लेकिन तूने जवाब नहीं दिया या बातें पूछी जायें और वह न बता सके तो उस पर वुज़ू लाज़िम है।

फ़ाइदा :– आम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के सोने से उनका वुज़ू नहीं टूटता उनकी आँखें सोती हैं और दिल जागते हैं नींद के अलावा दूसरी चीज़ों से नबियों के वुज़ू टूटते हैं या नहीं इस में इख़्तिलाफ़ है। सही यह है कि वुज़ू जाता रहता है यह नजासत की वजह से नहीं बल्कि उनकी अज़मते शान की वजह से है कि उनके फ़ुज़लात तैय्यब और पाक हैं जिनका खाना पीना हमारे लिऐ हलाल और बरकत का सबब हैं।

मसअ्ला :– बेहोशी, जुनून,ग़शी और इतना नशा कि चलने में पाँव लड़खड़ायें इन चीज़ों से वुज़ू टूटता है।

मसअ्ला :– रुकूअ् सजदे वाली नमाज़ में अगर बालिग़ आदमी इतनी ज़ोर से हँसे कि आस पास वाले सुन लें तो वुज़ू टूट जायेगा और नमाज़ भी फ़ासिद हो जायेगी और अगर इतनी ज़ोर से हँसा कि खुद उसने ही सुना और आस पास वाले न सुन सकें तो वुज़ू नहीं जायेगा नमाज़ जाती रहेगी।

मसअ्ला :– और अगर मुस्कुराया कि दाँत निकले और आवाज़ बिल्कुल नहीं निकली तो उस से न तो नमाज़ जायेगी और न वुज़ू टूटेगा।

मसअ्ला :– मुबाशरते फ़ाहिशा यानी मर्द आपने ज़कर (लिंग) को तुन्दी यानी तेज़ी की हालत में औरत की शर्मगाह या किसी मर्द की शर्मगाह से मिलाये या औरत औरत आपस मिलायें जब कि बीच में कोई कपड़ा वग़ैरा न हो तो इस से वुज़ू टूट जाता है।

मसअ्ला :– अगर मर्द ने अपने आले को जिसमें तेज़ी न थी औरत की शर्मगाह से लगाया तो औरत का वुज़ू जाता रहेगा लेकिन मर्द का वुज़ू नहीं जायेगा।

मसअ्ला :– बड़ा इस्तिंजा ढेले से करके वुज़ू किया अब याद आया कि पानी से न किया था और अब इस्तिंजा पानी से करना चाहता है तो अगर इस्तिंजा मसनून तरीक़े से यानी पाँव फ़ैला कर साँस का ज़ोर नीचे को दे कर इस्तिंजा करेगा तो वुज़ू जाता रहेगा और वैसे करेगा तो न जायेगा मगर वुज़ू कर लेना मुनासिब है।

मसअ्ला :– फ़ुड़िया बिल्कुल अच्छी होगई उसकी मुर्दा खाल बाक़ी है जिसमें ऊपर मुँह और अन्दर ख़ला है यानी पीप वग़ैरा न हो अगर उसमें अन्दर पानी भर गया फ़िर दबा कर निकाला तो न वुज़ू जायेगा और न पानी नापाक होगा और अगर उसमें खून वग़ैरा की कुछ तरी बाक़ी है तो वुज़ू भी जायेगा और पानी भी नापाक होगा।

मसअ्ला :– आम लोगों में जो मशहूर है कि घुटना या सत्र (यानी वह जगह जिसका छुपाना फ़र्ज़ है यानी पर्दे की जगह)खुलने या अपना या पराया सत्र देखने से वुज़ू जाता रहता है। इसकी कोई अस्ल नहीं हाँ वुज़ू के आदाब में से है कि नाफ़ से ज़ानू के नीचे तक सब सत्र छुपा हो बल्कि इस्तिंजा के बाद फ़ौरन छुपालेना चाहिए कि बिला ज़रूरत सत्र का खुला रहना मना है और

दूसरों के सामने सत्र खोलना हराम है।

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

जो रतूबत इन्सान के बदन से निकले और उससे वुज़ू न टूटे वह नजिस नहीं जैसे खून कि बह कर न निकले या थोड़ी कै जो मुँह भर न हो वह पाक है।

मसअ्ला :– ख़ारिश या फुड़ियों में जब कि बहने वाली रतूबत न हो और सिर्फ़ चिपक हो अगर कपड़ा उस से बार बार छुकर कितना ही सन जाए पाक है।

मसअ्ला :– सोते में राल जो मुँह से गिरे चाहे वह पेट से आये या बदबूदार हो पाक है और मुर्दे के मुँह से जो पानी बहे वह नजिस है।

मसअ्ला :– आँख दुखते में जो आँसू बहता है नजिस है और उससे वुज़ू टूट जाता है इससे बचना बहुत ज़रूरी है। (इस मसअ्ले से बहुत से लोग ग़ाफ़िल हैं,अकसर देखा गया है कि कुर्ते वग़ैरह से इस हालत में आँख पोंछ लिया करते हैं और अपने ख़्याल में उसे और आँसू के जैसा समझते हैं। यह उनकी सख़्त ग़लती है और अगर ऐसा किया तो कुर्ता वग़ैरा नापाक हो जायेगा)

मसअ्ला :– दूध पीते बच्चे ने दूध डाल दिया अगर यह मुँह भर है तो नजिस है। दिरहम से ज़्यादा जिस जगह लग जाये उसे नापाक कर देगा लेकिन अगर यह दूध मेदे से नहीं आया बल्कि सीने तक पहुँच कर पलट आया तो पाक है।

मसअ्ला :– वुज़ू के दरमियान में अगर रियाह़ यानी गैस निकले या कोई ऐसी बात हो जिससे वुज़ू जाता है तो नये सिरे से फ़िर वुज़ू करे क्यूँकि वह पहले धुले हुए बे–धूले हो गये।

मसअ्ला :– चुल्लू में पानी लेने के बा़द अगर ह़दस हुआ या़नी पेशाब पाखाना या रियाह़ वग़ैरा चीज़ें निकलीं तो वह पानी बेकार हो गया और वह किसी उ़ज़्व के धोने के काम नहीं आ सकता।

मसअ्ला :– मुँह में इतना खून निकला कि थूक लाल हो गया अगर लोटे या कटोरे को मुँह से लगाकर कुल्ली के लिए पानी लिया तो लोटा कटोरा और सब पानी नापाक हो गया। चुल्लू से पानी लेकर कुल्ली करे और फ़िर हाथ धोकर कुल्ली के लिये पानी ले।

मसअ्ला :– अगर वुज़ू के दरमियान किसी उ़ज़्व के धोने में शक हो जाये और यह ज़िन्दगी का पहला वाक़िआ़ हो तो उसको धो ले और अगर अक्सर शक पड़ता है तो उसकी त़रफ़ तवज्जोह न करे ऐसे ही अगर वुज़ू के बा़द शक हो तो उसका कुछ ख़्याल न करे।

मसअ्ला :– जो आदमी बावुज़ू (वुज़ू से था)अब उसे शक है कि वुज़ू है या टूट गया तो वुज़ू करने की उसे ज़रूरत नहीं,हाँ कर लेना बेहतर है जब कि यह शक वसवसे के त़ौर पर न हुआ करता हो और अगर वसवसा है तो उसे हर्गिज़ न माने इस सूरत में एह़तियात समझकर एह़तियात करना एह़तियात नहीं बल्कि शैत़ान की इत़ाअ़त है।

मसअ्ला :– और अगर बेवुज़ू (बग़ैर वुज़ू) था अब उसे शक है कि मैंने वुज़ू किया या नहीं तो वह बिला वुज़ू है उसको वुज़ू करना ज़रूरी है।

मसअ्ला : – यह मा़लूम है कि वुज़ू के लिए बैठा था और यह याद नहीं कि वुज़ू किया था या नहीं तो उसे वुज़ू करना ज़रूरी है।

मसअ्ला :– यह याद है कि पाख़ाना या पेशाब के लिये बैठा था मगर यह याद नहीं कि किया भी या नहीं तो उस पर वुज़ू फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– यह याद है कि कोई उज़्व (अंग) धोने से रह गया मगर मालूम नहीं कि कौन उज़्व था तो बायाँ पाँव धो ले।

मसअ्ला :– अगर मियानी में तरी लगी देखी मगर यह नहीं मालूम कि पानी है या पेशाब तो अगर यह उम्र का पहला वाक़िआ है तो वुज़ू कर ले और अगर बार–बार ऐसे शुबहे पड़ते हैं तो उसकी तरफ़ तवज्जोह न करें कि यह शैतानी वसवसा है।

गुस्ल यानी नहाने का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि :– وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

तर्जमा :– "अगर तुम जुनुब हो तो ख़ूब पाक हो जाओ यानी गुस्ल करो और फ़रमाता है कि :–

حَتّٰى يَطْهُرْنَ

तर्जमा :– " यहाँ तक कि वह हैज़ वाली औरतें अच्छी तरह पाक हो जायें। और अल्लाह तआला फ़रमाता है कि :–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَ لَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا

तर्जमा :–"ऐ ईमान वालों नशे की हालत में नमाज़ के क़रीब न जाओ यहाँ तक कि समझने लगो जो कहते हो और न जनाबत्त की हालत में जब तक गुस्ल न कर लो मगर सफ़र की हालत में कि यहाँ पानी न मिले तो गुस्ल की जगह तयम्मुम है"।

हदीस न.1 :– सहीह बुख़ारी और मुस्लिम में हज़रते आइशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की गई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जनाबत का गुस्ल फ़रमाते तो शुरूआत ऐसे करते कि पहले हाथ धोते, फ़िर नमाज़ का सा वुज़ू करते फिर उंगलियाँ पानी में डाल कर उन से बालों की जड़ें तर फ़रमाते फिर सर पर तीन लप पानी डालते फिर तमाम जिल्द पर पानी बहाते।

हदीस न.2 :– इन्हीं किताबों में इब्ने अब्बास रदियल्ललाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रते मैमूना रदियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़रमाया कि नबी सल्लल्लाहु तआला तआला अलैहि वसल्लम के नहाने के लिए मैंने पानी रखा और कपड़े से पर्दा किया हुज़ूर ने हाथों पर पानी डाला और उनको धोया और फिर पानी डालकर हाथों को धोया फिर दाहिने हाथ से बायें पर पानी डाला फिर इस्तिंजा फ़रमाया फिर हाथ ज़मीन पर मार कर मला और धोया फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला और मुँह और हाथ धोये फिर सर पर पानी डाला और तमाम बदन पर बहाया फिर उस जगह से अलग होकर पाँव मुबारक धोये। उसके बाद मैंने (बदन पोंछने के लिए) एक कपड़ा दिया तो हुज़ूर ने न लिया और हाथों को झाड़ते हुए तशरीफ़ ले गये।

हदीस न.3 :– बुख़ारी और मुस्लिम में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि अन्सार की एक औरत ने रसुलूल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हैज़ के

बाद नहाने का सवाल किया।हुज़ूर ने उसको गुस्ल का तरीक़ा बताया फिर फ़रमाया कि मुश्क लगा हुआ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर उससे तहारत कर। उसने अर्ज़ किया कैसे उससे तहारत करूँ। फ़रमाया सुब्हानल्लाह उससे तहारत कर उम्मुल मोमिनीन फ़रमाती हैं कि मैंने उसे अपनी तरफ़ खींच कर कहा कि उससे ख़ून के असर को साफ़ कर।

हदीस न.4 :– इमाम मुस्लिम ने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की फ़रमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं अपने सर की चोटी मज़बूत गूँधती हूँ तो क्या गुस्ले जनाबत के लिए उसे खोल डालूँ। फ़रमाया नहीं तुझको यही किफ़ायत करता है कि सर पर तीन लप पानी डाल ले फिर अपने ऊपर पानी बहा ले पाक हो जायेगी यानी जब कि बालों की जड़ें तर हो जायें और अगर इतनी सख़्त गुंधी हों कि जड़ों तक पानी न पहूँचे तो खोलना फ़र्ज़ है।

हदीस न.5 :– अबू दाऊद, इब्ने माजा और तिर्मिज़ी अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि हर बाल के नीचे जनाबत है तो बाल धोओ और जिल्द को साफ़ करो।

हदीस न.6 :– और अबू दाऊद ने हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलूल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जो शख़्स गुस्ले जनाबत में एक बाल की जगह बे धोये छोड़ देगा आग से ऐसे–ऐसा किया जायेगा (यानी अज़ाब दिया जायेगा) हज़रते अली फ़रमाते हैं कि इसी वजह से मैंने अपने सर के साथ दुश्मनी कर ली तीन बार यही फ़रमाया यानी सर के बाल मुंडा डाले कि बालों की वजह से कोई जगह सूखी न रह जाये।

हदीस न.7 :– असहाबे सुनने अरबआ ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वुज़ू नहीं फ़रमाते।

हदीस न.8 :– अबू दाऊद ने हज़रते याला रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को मैदान में नहाते देखा फिर मिम्बर पर तशरीफ़ ले जाकर अल्लाह की हम्द और सना के बाद फ़रमाया कि अल्लाह तआला हया फरमाने वाला और पर्दापोश है हया और पर्दा करने को दोस्त रखता है जब तुम में कोई नहाये तो उसे पर्दा करना लाज़िम है।

हदीस न.9 :– बहुत सी किताबों में बहुतेरे सहाबए किराम से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रमाते हैं कि जो अल्लाह और पिछले दिन (क़ियामत) पर ईमान लाया हम्माम में बग़ैर तहबन्द के न जाये और जो अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाया अपनी बीवी को हम्माम में न भेजे।

हदीस न.10 :– उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने हम्माम में जाने के बारे में सरकारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा फ़रमाया औरतों के लिए हम्माम में ख़ैर नहीं। अर्ज़ की तहबन्द बाँध कर जाती हैं,फ़रमाया अगर्चे तहबन्द कुर्ते और ओढ़नी के साथ जायें।

हदीस न.11 :– बुख़ारी और मुस्लिम में रिवायत है कि, उम्मुल, मोमिनीन, उम्मे सुलैम, रदियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि उम्मे सुलैम रदियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह। अल्लाह तआला हक़ बयान करने से हया नहीं फ़रमाता तो क्या जब औरत को इहतिलाम हो तो

उस पर नहाना है? फ़रमाया हाँ जबकि पानी (मनी)देखे। उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने मुँह ढाँक लिया और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह! क्या औरत को इहतिलाम होता है ?फ़रमाया हाँ ऐसा न हो तो किस वजह से बच्चा माँ की तरह होता है।

फ़ाइदा :– उम्महातुल मोमिनीन को अल्लाह तआला ने हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमते आलिया में हाज़िरी से पहले भी इहतिलाम से महफ़ूज़ रखा था इसलिये कि इहतिलाम में शैतान दख़्ल देता है और शैतान की मुदाख़िलत से अज़वाजे मुतह्हरात पाक हैं इसी लिए उनको हज़रते उम्मे सुलैम के इस सवाल पर तअज्जुब हुआ।

हदीस न.12 :– अबू दाऊद और तिर्मिज़ी हज़रते आइशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि मर्द तरी पाये और इहतिलाम याद न हो। फ़रमाया गुस्ल करे और उस आदमी के बारे में पूछा गया कि ख़्वाब का यकीन है और तरी (असर) नहीं पाता। फ़रमाया उस पर ग़ुस्ल नहीं। उम्मे सुलैम ने अर्ज़ की कि औरत तरी को देखे तो उस पर गुस्ल है? फ़रमाया हाँ औरतें मर्दों की तरह हैं।

हदीस न.13 :– तिर्मिज़ी में उन्हीं से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मर्द के ख़तने की जगह (हशफ़ा) औरत के मक़ाम में ग़ायब हो जाये तो गुस्ल वाजिब हो जायेगा।

हदीस न.14 :– सहीह बुख़ारी और मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हज़रते उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा कि उनको रात में नहाने की ज़रूरत हो जाती है। फ़रमाया वुज़ू कर लो और उज़्वे तनासुल (लिंग) को धो लो फ़िर सो रहो।

हदीस न.15 :– बुख़ारी और मुस्लिम में आइशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि फ़रमातीं हैं कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब नहाने की ज़रूरत होती और खाने या सोने का इरादा करते तो नमाज़ की तरह वुज़ू करते।

हदीस न.16 :– मुस्लिम में अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जब तुम में कोई अपनी बीवी के पास जाकर दोबारा जाना चाहे तो वुज़ू कर ले।

हदीस न.17 :– तिर्मिज़ी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसुलुल्लाह सल्ल–ल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हैज़ वाली और जुनुबी औरतें क़ुर्आन में से कुछ नपढ़ें।

हदीस न.18 :– अबू दाऊद ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि हुज़ूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उन घरों का रुख़ मस्जिद से फेर दो कि मैं मस्जिद को हैज़ वाली और जुनुबी (जिनको नहाने की ज़रूरत हो) औरतों के लिये हलाल नहीं करता।

हदीस न.19 :– अबू दाऊद ने हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मलाइका उस घर में नहीं जाते जिस घर में तस्वीर,कुत्ता और जुनुबी हों।

हदीस न.20 :– अम्मार इब्ने यासिर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि फ़रिश्ते तीन शख़्सों से क़रीब नहीं होते 1. काफ़िर का मुर्दा 2. ख़ुलूक़ (यह एक तरह की ख़ुश्बू ज़ाफ़रान से बनाई जाती है) जो मर्दों पर हराम है 3. और जुनुबी मगर यह कि वुज़ू कर ले।

हदीस न.21 :– इमामे मालिक ने रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो ख़त अम्र इब्ने हज़्म को लिखा था कि क़ुर्आन न छुए मगर पाक शख़्स।

हदीस न.22 :– इमाम बुख़ारी और इमामे मुस्लिम ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो जुमे को आये चाहिए कि वह ग़ुस्ल कर ले।

ग़ुस्ल के मसाइल

ग़ुस्ल के फ़र्ज़ होने के असबाब बाद में लिखे जायेंगे,पहले ग़ुस्ल की हक़ीक़त बयान की जाती है ग़ुस्ल के तीन जुज़ हैं अगर उनमें से एक में भी कमी हुई ग़ुस्ल न होगा चाहें यूँ कहो कि ग़ुस्ल के तीन फ़र्ज़ हैं।

1. कुल्ली करना :– मुँह के हर पुर्ज़े गोशे होंट से हल्क़ की जड़ तक हर जगह पानी बह जाये अक्सर लोग यह जानते हैं कि थोड़ा सा पानी मुँह में लेकर उगल देने को कुल्ली कहते हैं अगर्चे ज़ुबान की जड़ और हल्क़ के किनारे तक न पहुँचे। ऐसे ग़ुस्ल न होगा न इस तरह नहाने के बाद नमाज़ जाइज़ बल्कि फ़र्ज़ है कि दाढ़ों के पीछे गालों की तह में दाँतों की जड़ और खिड़कियों में ज़ुबान की हर करवट में हल्क़ के किनारे तक पानी बहे।

मसअला :– दाँतों की जड़ों या खिड़कियें में कोई ऐसी चीज़ जमी हो जो पानी बहने से रोके तो उसका छुड़ाना ज़रूरी है अगर छुड़ाने में नुक़सान न हो जैसे छालियों के दाने,गोश्त के रेशे और अगर छुड़ाने में नुक़सान और हर्ज हो जैसे बहुत पान खाने से दाँतों की जड़ों में चूना जम जाता है या औरतों के दाँतों में मिस्सी की रेखें कि उनके छीलने में दाँतों या मसूढ़ों के नुक़सान का ख़तरा है तो माफ़ है।

मसअला :– ऐसे ही हिलता हुआ दाँत तार से या उखड़ा हुआ दाँत किसी मसाले वग़ैरा से जमाया गया और पानी तार या मसाले के नीचे न बहे तो मुआफ़ है या खाने या पान के रेज़े दांत में रह गये कि उसकी निगहदाश्त (देख रेख)में हरज़ है, हाँ मालूम होने के बाद उसको जुदा करना और धोना ज़रूरी है जब कि उनकी वजह से पानी पहुँचने में रुकावट हो।

2. नाक में पानी डालना :– यानी दोनों नथनों में जहाँ तक नर्म जगह है धुलना,कि पानी को सूँघ कर ऊपर चढ़ाये बाल बराबर भी धुलने से न रह जाये,नहीं तो ग़ुस्ल नहीं होगा अगर नाक के अन्दर रेंठ सूख गई है तो उसका छुड़ाना फ़र्ज़ है।

मसअला :– बुलाक़ का सूराख़ अगर बन्द न हो तो उसमें पानी पहुँचाना ज़रूरी है फिर अगर तंग है तो बुलाक़ का हिलाना ज़रूरी है वर्ना नहीं।

3. तमाम बदन पर पानी बहाना :– यानी सर के बालों से पाँवों के तलवों तक जिस्म के हर पुर्ज़े हर रोंगटे पर पानी बह जाना फ़र्ज़ है। अकसर लोग बल्कि कुछ पढ़े लिखे लोग यह करते हैं और समझते हैं कि ग़ुस्ल हो गया हालाँकि कुछ उज़्व ऐसे हैं कि जब तक उनकी ख़ास तौर पर इहतियात न कीजिए तो नहीं धुलेंगे और ग़ुस्ल न होगा लिहाज़ा तफ़सील से बयान किया जाता है।

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से किताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा **01** से **10**) हिंदी में पीडीएफ **[PDF]** में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी
+91-8109613336

वुज़ू के उ़ज़्वों में एहतियात की जो जगहें हैं हर उ़ज़्व के बयान में उनका ज़िक्र कर दिया गया है उनका गुस्ल में भी लिहाज़ ज़रूरी है और उनके अ़लावा गुस्ल की ख़ास़ बातें नीचे लिखी जाती हैं।

1. सर के बाल गुंधे न हों तो हर बाल पर जड़ से नोंक तक पानी बहना और गुंधे हों तो मर्द पर फ़र्ज़ है कि उनको खोलकर जड़ से नोक तक पानी बहाये और औ़रत पर सिर्फ़ जड़ तर कर लेना ज़रूरी है खोलना ज़रूरी नहीं। हाँ अगर चोटी इतनी सख़्त गुंधी हो कि बे खोले जड़ें तर न होंगी तो खोलना ज़रूरी है।

2. कानों में बाली वग़ैरह ज़ेवर के सुराख़ का वही हुक्म है जो नाक में नथ के सूराख़ का हुक्म वुज़ू में बयान हुआ। 3. भवों और मूछों और दाढ़ी के बाल का जड़ से नोक तक और उनके नीचे की खाल का धुलना ज़रूरी है। 4. कान का हर पुर्ज़ा और उसके सूराख़ का मुँह धोना ज़रूरी है।
5. कानों के पीछे के बाल हटा कर पानी बहायें। 6. ठोड़ी और गले का जोड़ कि बे मुँह उठाये न धुलेगा। 7. बग़लें बे हाथ उठाये न धुलेंगी। 8. बाज़ू का हर पहलू।
9. पीठ का हर ज़र्रा। 10. और पेट की बलटें उठाकर धोये। 11. नाफ़ को उंगली डाल कर धोये जब कि पानी बहने में शक हो। 12. जिस्म का हर रोंगटा जड़ से लेकर नोक तक।
13. रान और पेडू का जोड़। 14. रान और पिंडली का जोड़ जब बैठ कर नहाये ।
15. दोनों चूतड़ के मिलने की जगह ख़ास़ कर जब ख़ड़े होकर नहाये। 16. रानों की गोलाई।
17. पिंडलियों की करवटें धोये। 18. ज़कर और फ़ोतों के मिलने की जगहें बे जुदा किये न धुलेंगी।
19. फ़ोतों की निचली सतह़ जोड़ तक धोये। 20. फ़ोतों के नीचे की जगह जोड़ तक। 21. जिसका ख़तना न हुआ हो तो अगर खाल चढ़ सकती हो तो चढ़ाकर धोये और खाल के अन्दर पानी चढ़ाये। औ़रतों को ख़ास़ कर यह एहतियात ज़रूरी है। 22. ढलकी हुई पिस्तान को उठाकर धोना ज़रूरी है। 23. पिस्तान और पेट के जोड़ की धारी पर पानी बहाना। 24. औ़रतें अपने पेशाब के बाहर की हर जगह, हर कोनें,हर टुकड़े,नीचे ऊपर ध्यान से धोयें,अन्दर उंगली डाल कर धोना वाजिब नहीं, मुस्तह़ब है। ऐसे ही औ़रत अगर हैज़ और निफ़ास से फ़ारिग़ होकर गुस्ल करती है तो एक पुराने कपड़े से अन्दर के ख़ून का असर साफ़ कर लेना मुस्तह़ब है।
25. माथे पर अफ़शा लगाई हो तो उसका छुड़ाना ज़रूरी है।

मसअ्ला :– बाल में गिरह पड़ जाये तो गिरह खोलकर उस पर पानी बहाना ज़रूरी नहीं।

मसअ्ला :– किसी ज़ख़्म पर पट्टी वग़ैरा बँधी हो कि उस के खोलने में ह़रज हो या किसी जगह मरज़ या दर्द की वजह से पानी बहने से नुक़स़ान होगा तो उस पूरे उ़ज़्व को मसह़ करे और न हो सके तो पट्टी पर मसह़ काफ़ी है और पट्टी ज़रूरत की जगह से ज़्यादा न रखी जाये नहीं तो मसह़ काफ़ी न होगा और अगर पट्टी ज़रूरत की ही जगह पर बँधी हो जैसे बाज़ू पर एक त़रफ़ ज़ख़्म है और पट्टी बाँधने के लिये बाज़ू की उतनी सारी गोलाई पर होना उसका ज़रूरी है तो उसके नीचे बदन का वह ह़िस्सा भी आयेगा जिसे पानी नुक़स़ान नहीं करता तो अगर खोलना मुमकिन न हो अगर्चे यूँही कि खोलकर फिर वैसे न बाँध सकेगा और उसमें नुक़स़ान का ख़त़रा है तो सारी पट्टी पर मसह़ कर ले काफ़ी है बदन का वह अच्छा ह़िस्सा भी धोने से माफ़ हो जायेगा।

मसअला :– जुकाम या आँखों में सूजन वग़ैरा हो और यह गुमान सही हो कि सर से नहाने में मर्ज़ बढ़ जायेगा या दूसरे मर्ज़ पैदा हो जायेंगे तो कुल्ली करे नाक में पानी डाले और गर्दन से नहा ले और सर के हर ज़र्रे पर भीगा हाथ फेर ले ग़ुस्ल हो जायेगा। सेहत के बाद सर धो डाले बाक़ी ग़ुस्ल के लौटाने की ज़रूरत नहीं।

मसअला :– पकाने वाले के नाख़ून में आटा और लिखने वाले के नाख़ून पर सियाही और आम लोगों के लिये मक्खी,मच्छर की बीट अगर लगी हो तो ग़ुस्ल हो जायेगा। हाँ मालूम होने के बाद उसका हटाना और उस जगह को धोना ज़रूरी है और पहले जो नमाज़ पढ़ी हो गई।

ग़ुस्ल की सुन्नतें

ग़ुस्ल के मसाइल के बाद अब ग़ुस्ल की सुन्नतें लिखी जाती हैं।

1. ग़ुस्ल की नियत करना।
2. पहले दोनों हाथों को गट्टों तक तीन–तीन बार धोना।
3. चाहे नजासत हो या न हो पेशाब,पाखाने की जगह का धोना ।
4. बदन पर जहाँ कहीं नजासत हो उसको दूर करना।
5. फिर नमाज़ की तरह वुज़ू करना मगर पाँव नहीं धोना चाहिये हाँ अगर चौकी या पत्थर या तख़्ते पर नहाये तो पाँव धो ले।
6. फिर पूरे बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ ले ख़ास कर जाड़े के मौसम में।
7. फिर तीन बार दाहिने मोंढे पर पानी बहायें ।
8. फिर बायें मोंढे पर तीन बार।
9. फिर सर और तमाम बदन पर तीन बार पानी बहाये।
10. फिर नहाने की जगह से अलग हट कर अगर पाँव नहीं धोये थे तो धो लें।
11. नहाने में क़िब्ला रुख़ न हो।
12. तमाम बदन पर हाथ फेरे।
13. तमाम बदन को मले।
14. ऐसी जगह नहाये कि उसे कोई न देखे और अगर यह न हो सके तो नाफ़ से घुटने तक का छिपाना ज़रूरी है अगर इतना भी न हो सके तो तयम्मुम करे मगर ऐसा कम होता है।
15. ग़ुस्ल में किसी तरह की बात न करे ।
16. और न कोई दुआ पढ़े। नहाने के बाद तौलिया या रूमाल से बदन पोंछ डालें तो कोई हर्ज नहीं।

मसअला :– ग़ुस्लख़ाने की छत न हो या नंगे बदन नहाये बशर्ते कि इहतियात की जगह हो तो कोई हर्ज नहीं हाँ औरतों को बहुत ज़्यादा इहतियात की ज़रूरत है।

17. औरतों को बैठ कर नहाना बेहतर है।
18. नहाने के बाद फ़ौरन कपड़े पहन लें जितनी चीज़ें वुज़ू में सुन्नत और मुस्तहब हैं उतनी ही नहाने में भी हैं मगर सत्र खुला हो तो क़िब्ले को मुँह करना नहीं चाहिये और तहबन्द बाँधे हो तो हर्ज नहीं।

मसअ्ला :– अगर बहते पानी जैसे दरिया या नहर में नहाया तो थोड़ी देर उसमें रुकने से तीन बार धोने और तरतीब और वुज़ू यह सब सुन्नतें हैं अदा हो गयीं इसकी भी ज़रूरत नहीं कि बदन के उ़ज़्व को तीन बार ह़रकत दे और तालाब वग़ैरा ठहरे पानी में नहाया तो बदन का तीन बार ह़रकत देने या जगह बदलने से तसलीस यानी तीन बार धोने की सुन्नत अदा हो जायेगी। मेंह में ख़ड़ा हो गया तो यह बहते पानी में खडे होने के हुक्म में है। बहते पानी में वुज़ू किया तो वही थोड़ी देर उस में उ़ज़्व को रहने देना और ठहरे पानी में ह़रकत देना तीन बार धोने के क़ाइम मक़ाम है।

मसअ्ला :– सब के लिये गुस्ल या वुज़ू में पानी की एक मिक़दार मुक़र्रर नहीं जिस त़रह़ अ़वाम में मशहूर है यह महज़ बात़िल है। क्योंकि एक लम्बा चौड़ा आदमी दूसरा दुबला पतला,एक के तमाम बदन पर बाल और दूसरे का बदन साफ़ एक की घनी दाढ़ी दूसरा बग़ैर बाल का, एक के सर पर बड़े–बड़े बाल दुसरा मुंडा हुआ और इसी तरह दूसरी चीज़ों में फ़र्क़ है तो सबके लिये पानी की एक मिक़दार कैसे मुमकिन है।

मसअ्ला :– औरत का ह़म्माम में जाना मकरूह है और मर्द जा सकता है मगर पर्दे का लिहाज़ ज़रूरी है। लोगों के सामने सत्र खोलना ह़राम है बग़ैर ज़रूरत सुबह़ तड़के ह़म्माम को न जाये कि इस त़रह़ एक छुपी हुई बात लोगों पर जाहिर करना होगा।

गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज़ होता है?

1 :– मनी का अपनी जगह से शहवत (सम्भोग की ख़्वाहिश की ह़ालत को शहवत में होना कहते हैं) के साथ जुदा होकर उ़ज़्व से निकलना गुस्ल के फ़र्ज़ होने का सबब है।

मसअ्ला :– अगर मनी शहवत के साथ जुदा न हुई बल्कि बोझ उठाने या ऊँचाई से गिरने की वजह से निकली तो नहाना वाजिब नहीं हाँ वुज़ू जाता रहेगा।

मसअ्ला :– अगर मनी अपनी जगह से शहवत के साथ निकली मगर उस आदमी ने अपने आले (लिंग) को ज़ोर से पकड़ लिया कि बाहर न हो सकी फिर शहवत खत्म होने के बा़द उसने छोड़ दिया। अब मनी बाहर हुई तो अगर्चे मनी का बाहर निकलना शहवत से न हुआ मगर चुँकि अपनी जगह से शहवत के साथ निकली है लिहाज़ा गुस्ल वाजिब है इसी पर अ़मल है।

मसअ्ला :– अगर मनी कुछ निकली और पेशाब करने या सोने या चालीस क़दम चलने से पहले नहा लिया और नमाज़ पढ़ ली अब बाक़ी मनी निकली तो नहाना ज़रूरी है क्योंकि यह उसी मनी का हि़स्सा है जो अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा हुई थी और पहले जो नमाज़ पढ़ी थी वह हो गई उसके लौटाने की ज़रूरत नहीं और अगर चालीस क़दम चलने या पेशाब करने या सोने के बा़द गुस्ल किया फिर मनी बिला शहवत के निकली तो गुस्ल ज़रूरी नहीं और यह पहली का बक़िया नहीं कही जायेगी।

मसअ्ला :– अगर मनी पतली पड़ गई कि पेशाब के वक़्त या वैसे ही कुछ क़तरे बिला शहवत निकल आये तो गुस्ल वाजिब नहीं अलबत्ता वुज़ू टुट जायेगा।

2 :– एह़तिमाल या़नी सोते से उठा और बदन या कपड़े पर तरी पाई और इस तरी के मनी या मज़ी होने का यक़ीन या एह़तिमाल(शक)हो तो गुस्ल वाजिब है अगर्चे ख़्वाब याद न हो और अगर यक़ीन है कि यह न मनी है और न मज़ी बल्कि पसीना या पेशाब या वदी या कुछ और है तो अगर्चे

एहतिलाम याद हो और इन्ज़ाल (यानी मनी का निकलना) का मज़ा ध्यान में हो गुस्ल वाजिब नहीं
और अगर मनी न होने पर यक़ीन करता है और मज़ी का शक है तो अगर ख़्वाब में एहतिलाम होना
याद नहीं तो गुस्ल नहीं वरना है।
मसअ्ला :– अगर एहतिलाम याद है मगर उसका कोई असर कपड़े वग़ैरा पर नहीं तो गुस्ल वाजिब
नहीं होगा।
मसअ्ला :– अगर सोने से पहले शहवत थी आला क़ाइम था अब जागा और एहतिलाम का असर
पाया और मज़ी होने का ज़्यादा गुमान है और एहतिलाम याद नहीं तो गुस्ल वाजिब नहीं जब तक
कि उसके मनी होने का ज़्यादा गुमान हो जाये और अगर सोने से पहले शहवत ही न थी या थी
मगर सोने से पहले दब चुकी थी और जो निकला उसे साफ़ कर चुका था तो मनी के यक़ीन की
ज़रूरत नहीं बल्कि मनी के एहतिमाल(शक) से ही गुस्ल वाजिब हो जायेगा। यह मसअ्ला ज़्यादा
वाक़ेअ् होता है और लोग इससे बे ख़बर हैं इसलिये इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
मसअ्ला :– बीमारी वग़ैरह से बेहोशी आई या नशे में बेहोश हुआ और होश आने के बाद कपड़े या
बदन पर मज़ी मिली तो वुज़ू वाजिब होगा गुस्ल नहीं और सोने के बाद ऐसा देखा तो गुस्ल
वाजिब है मगर उसी शर्त पर कि सोने से पहले शहवत न थी।
मसअ्ला :– किसी को ख़्वाब हुआ और मनी बाहर न निकली थी कि आँख खुल गई और आले को
पकड़ लिया कि मनी बाहर न हुई फिर जब तुन्दी यानी तेज़ी जाती रही छोड़ दिया अब निकली तो
गुस्ल वाजिब हो गया।
मसअ्ला :– नमाज़ में शहवत थी और मनी उतरती मालूम हुई मगर अभी बाहर न निकली थी कि
नमाज़ पूरी होगई अब निकली तो गुस्ल वाजिब होगा मगर नमाज़ होगई।
मसअ्ला :– खड़े या बैठे या चलते हुए सो गया जब आँख खुली तो मज़ी पाई ऐसी सूरत में गुस्ल
वाजिब है।
मसअ्ला :– रात को एहतिलाम हुआ जागा तो कोई असर न पाया वुज़ू कर के नमाज़ पढ़ ली अब
उसके बाद मनी निकली तो गुस्ल अब वाजिब हुआ लेकिन नमाज़ हो गई।
मसअ्ला :– औरत को ख़्वाब हुआ तो जब तक मनी फ़र्जे दाख़िल (औरत के पेशाब की जगह)
से न निकली गुस्ल वाजिब नहीं।
मसअ्ला :– मर्द और औरत एक चारपाई पर सोये और उठने के बाद बिस्तर पर मनी पाई गई और
उनमें से हर एक एहतिलाम का इन्कार करता है तो एहतियात यह होना है कि दोनों गुस्ल कर लें
और यही सही है।
मसअ्ला :– अगर लड़का एहतिलाम के साथ बालिग़ हुआ तो उस पर गुस्ल वाजिब है।
3 :– हश्फ़ा यानी ज़कर का सर औरत के आगे या पीछे या मर्द के पीछे दाख़िल होना तो दोनों पर
गुस्ल वाजिब करता है चाहे शहवत के साथ हो या बग़ैर शहवत। इन्ज़ाल हो या न हो (यानी मनी
निकली हो या न निकली हो) शर्त यह है कि दोनों मुकल्लफ़ यानी आक़िल, बालिग़ हों और अगर
एक बालिग़ हो तो उस बालिग़ पर फ़र्ज़ है और नाबालिग़ पर फ़र्ज़ नहीं फिर भी गुस्ल का हुक्म
दिया जायेगा मसलन मर्द बालिग़ है लड़की नाबालिग़ तो मर्द पर फ़र्ज़ है और नाबालिगा लड़की को

भी नहाने का हुक्म है और लड़का नाबालिग़ है और औरत बालिग़ा है तो औरत पर फ़र्ज़ है और लड़के को भी नहाने का हुक्म दिया जायेगा।

मसअ्ला :– अगर ह़श्फ़ा काट डाला हो तो बाक़ी उ़ज़्व तनासुल में का अगर ह़श्फ़े की बराबर दाख़िल हो गया जब भी वही हुक्म है जो ह़श्फ़ा दाख़िल होने का है।

मसअला :– अगर चौपाया या मुर्दा या ऐसी छोटी लड़की से कि जिसकी मिस्ल से सोह़बत न की जा सकती हो वत़ी की तो जब तक इन्ज़ाल न हो ग़ुस्ल वाजिब नहीं।

मसअला :– औरत की रान में जिमाअ़ किया और इन्ज़ाल के बा़द मनी फ़र्ज में गई या कुँवारी से जिमाअ़ किया और इन्ज़ाल भी हो गया मगर बुकारत का पर्दा ज़ाइल नहीं हुआ तो औरत पर नहाना वाजिब नहीं। हाँ अगर औरत के ह़मल रह जाये तो अब ग़ुस्ल वाजिब होने का हुक्म है और मुजामअ़त के वक़्त से जब तक ग़ुस्ल नहीं किया है उस पर तमाम नमाज़ों का दोहराना ज़रूरी है।

मसअ्ला :– औरत ने अपनी फ़र्ज में उंगली या जानवर या मुर्दे का ज़कर या और कोई चीज़ रबड़ या मिट्टी वग़ैरा की कोई चीज़ ज़कर की त़रह़ बनाकर डाली तो जब तक मनी न निकले ग़ुस्ल वाजिब नहीं। अगर जिन्न आदमी की शक्ल बनकर आया और औरत से जिमाअ़ किया तो ह़श्फ़े के ग़ायब होने ही से ग़ुस्ल वाजिब होगया। आदमी की शक्ल पर नहो तो जब तक औरत को इन्ज़ाल न हो ग़ुस्ल वाजिब नहीं यूँही अगर मर्द ने परी से जिमाअ़ किया और वह उस वक़्त इन्सानी शक्ल में नहीं तो बग़ैर इन्ज़ाल ग़ुस्ल वाजिब नहीं होगा और अगर इन्सानी शक्ल में है तो सिर्फ़ ह़श्फ़ा ग़ायब होने से ग़ुस्ल वाजिब हो जायेगा।

मसअ्ला :– जिमाअ़ के ग़ुस्ल के बा़द औरत के बदन से मर्द की बाक़ी मनी निकली तो उससे ग़ुस्ल वाजिब नहीं होगा अलबत्ता वुज़ू जाता रहेगा।

फ़ायदा :– इन तीनों वजहों से जिस पर नहाना फ़र्ज़ हो उसको जुनुब और उन असबाब (वजहों) को जनाबत कहते हैं।

4 :– हैज़ से फ़ारिग़ होना 5 :– निफ़ास का ख़त्म होना।

मसअ्ला :– बच्चा पैदा हुआ और ख़ून बिल्कुल न आया तो स़ही यह है कि ग़ुस्ल वाजिब है हैज़ और निफ़ास की तफ़सील हैज़ के बयान में आयेगी इन्शाअल्लाह।

मसअ्ला :– काफ़िर मर्द और औरत पर नहाना ज़रूरी था इसी ह़ालत में दोनों मुसलमान हुए तो सही यह है कि उन पर ग़ुस्ल वाजिब है हाँ अगर इस्लाम लाने से पहले ग़ुस्ल कर चुके हों या किसी त़रह़ तमाम बदन पर पानी बह गया हो तो सिर्फ़ नाक में बांसे तक पानी चढ़ाना काफ़ी है क्यूँकि यही वह चीज़ है जो काफ़िरों से अदा नहीं होती,पानी के बड़े–बड़े घूँट पीने से कुल्ली का फ़र्ज़ अदा हो जाता है और अगर यह भी बाक़ी रह गया हो तो उसे भी करे। ग़र्ज़ जितने आज़ा का ग़ुस्ल में धुलना फ़र्ज़ है,जिमाअ़ वग़ैरा असबाब के बा़द अगर वह सब कुफ़्र की ह़ालत में ही धुल चुके थे तो इस्लाम के बा़द दोबारा ग़ुस्ल करना ज़रूरी नहीं वर्ना जितना हिस्सा बाक़ी हो उतने को धोलेना फ़र्ज़ है और मुस्तह़ब तो यह है कि इस्लाम के बा़द पूरा ग़ुस्ल करे।

मसअ्ला :– मुसलमान मय्यत का नहलाना मुसलमानों पर फ़र्ज़े किफ़ाया है अगर एक ने नहला दिया तो सब के सर से उतर गया और अगर किसी ने नहीं नहलाया तो सब गुनाहगार होंगे।

मसअ्ला :– पानी में मुसलमान का मुर्दा मिला उसका भी नहलाना फ़र्ज़ है फिर अगर निकालने वाले ने गुस्ल के इरादे से मुर्दे को निकालते वक़्त गोता दिया तो गुस्ल हो गया नहीं तो अब नहलायें।

मसअ्ला :– पाँच वक़्तों में नहाना सुन्नत है :–1 .जुमा 2. ईद 3 .बक़रईद 4. अ़रफ़े के दिन 5. एहराम बाँधते वक़्त। **इन सब के लिए नहाना मुस्तहब है** 1.मैदाने अ़रफ़ात में ठहरने के वक़्त 2.मुज़दलफ़ा में ठहरने के वक़्त 3.ह़रम शरीफ़ में हाज़िरी के लिए 4.हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के रौज़े पर हाज़िरी के लिए 5.तवाफ़ के वक़्त 6. मिना में दाख़िल होने के लिए 7.जमरों पर कंकरियाँ मारने के लिये (तीनों दिन) 8. शबेबरात में 9. शबे क़द्र में 10. अ़रफ़े की रात में 11. मीलाद शरीफ़ की मजलिस के लिये। 12.दूसरी नेक मजलिसों में ह़ाज़िर होने के लिये 13. मुर्दा नहलाने के बाद 14.पागल के पागलपन जाने के बाद 15. बेहोशी से फ़ायदे के बाद 16.नशा जाते रहने के बाद 17. गुनाह से तौबा करने लिए 18. नया कपड़ा पहनने के लिए 19.सफ़र से आने वाले के लिए 20. इस्तेहाज़ा का ख़ून बन्द होने के बाद 21. नमाज़े कुसूफ़ 22. नमाज़े ख़ुसूफ़ 23. नमाज़े इस्तिस्का 24. नमाज़े ख़ौफ़ 25. अंधेरी 26. सख़्त आँधी के लिए 27. और अगर बदन पर नजासत लगी और यह पता न चल सका कि नजासत किस जगह है तो इन तमाम सूरतों में गुस्ल मुस्तह़ब है।

मसअ्ला :– हज करने वाले पर दसवीं ज़िलहिज्जा को पाँच गुस्ल हैं। 1.मुज़दलफ़ा में ठहरने 2.मिना में दाख़िल होने 3.जमरे पर कंकरियाँ मारने 4.मक्के में दाखिल होने 5.और कअ़्बा शरीफ़ के तवाफ़ करने के लिए गुस्ल है जबकि न. 3,4, और 5. यह तीन पिछले काम भी दसवीं ही को करें और जुमे का दिन है तो जुमे का गुस्ल करें ऐसे ही अगर अ़रफ़ा या ईद जुमे के दिन पड़े तो यहाँ वालों पर दो गुस्ल होंगे।

मसअ्ला :– जिस पर चन्द गुस्ल हों सब की नियत से एक गुस्ल कर लिया तो सब अदा हो जायेंगे और सबका सवाब मिलेगा।

मसअ्ला :– अगर औ़रत पर नहाना ज़रूरी हो और उसने अभी गुस्ल नहीं किया है और इसी बीच उसे हैज़ शुरू हो गया तो चाहे अब नहा ले या हैज़ ख़त्म होने के बाद नहाये उसे इख़्तियार है।

मसअ्ला :– अगर किसी पर गुस्ल वाजिब हो और वह जुमा या ईद के दिन नहाया और जुमा और ईद वग़ैरा की नियत कर ली तो सब अदा हो गये और उसी गुस्ल से जुमे और ईद की नमाज़ पढ़ सकता है।

मसअ्ला :– औ़रत को नहाने या वुज़ू के लिये पानी मोल लेना पड़े तो उसकी क़ीमत शौहर के ज़िम्मे है जबकि औ़रत पर गुस्ल और वुज़ू वाजिब हो या बदन से मैल दूर करने के लिए नहाये।

मसअ्ला :– जिस पर गुस्ल वाजिब है उसे चाहिए कि नहाने में देर न करे ह़दीस शरीफ़ में है कि जिस घर में जुनुबी हो उसमें रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते और अगर इतनी देर कर चुका कि नमाज़ का आख़िरी वक़्त आ गया तो अब फ़ौरन नहाना फ़र्ज़ है क्यूँकि अगर देर करेगा तो गुनाहगार होगा।

और अगर खाना खाना चाहता है या औ़रत से जिमाअ़ करना चाहता है तो वुज़ू कर ले या हाथ मुँह धो ले या कुल्ली कर ले और अगर वैसे ही खा पी लिया तो गुनाह नहीं मगर मकरूह है और मुहताजी लाता है और बे नहाये या बे वुज़ू किये जिमा कर लिया तो भी गुनाह नहीं मगर

जिस को एहतिलाम हुआ हो बे नहाये उसे औरत के पास न जाना चाहिए।

मसअ्ला :– रमज़ान में अगर रात को जुनुब हुआ तो अच्छा यही है कि फ़ज्र तुलू होने से पहले नहा ले ताकि रोज़े का हर हिस्सा जनाबत से ख़ाली हो और अगर नहीं नहाया तो भी रोज़ा तो हो ही जायेगा मगर अच्छा यह है कि ग़रारा कर ले और नाक में जड़ तक पानी चढ़ा ले। यह दोनों काम फ़ज्र से पहले कर ले कि रोज़े में न हो सकेंगे और अगर नहाने में इतनी देर की कि दिन निकल आया और नमाज़ क़ज़ा कर दी तो यह और दिनों में भी गुनाह है और रमज़ान में तो और ज़्यादा।

मसअ्ला :– जिसको नहाने की ज़रूरत हो उसको मस्जिद में जाना, तवाफ़ करना, क़ुर्आन शरीफ़ छूना,अगर्चे उसका सादा हाशिया या जिल्द या चोली छुए या बे छुये देख कर,या ज़ुबानी पढ़ना ,या किसी आयत का लिखना या आयत का तावीज़ लिखना या ऐसा तावीज़ छूना या ऐसी अँगूठी पहनना जिस में हुरूफ़े मुक़त्तआत हों, हराम है।

मसअ्ला :– अगर क़ुर्आन शरीफ़ जुज़दान में हो तो जुज़दान पर हाथ लगाने में हरज नहीं ऐसे ही रुमाल वग़ैरा किसी ऐसे कपड़े से पकड़ना जो न अपना ताबे हो न क़ुर्आन मजीद का तो जाइज़ है कि कुर्ते की आस्तीन,दुपट्टे के आँचल से यहाँ तक कि चादर का एक कोना उसके मोंढे पर है तो दूसरे कोने से छूना हराम है क्योंकि यह सब उसके ताबे हैं और जैसे चोली क़ुर्आन शरीफ़ के ताबेअ् है तो उसका छूना भी हराम है।

मसअ्ला :– आगर क़ुर्आन की आयत दुआ की नियत से या तबर्रुक के लिए पढ़े जैसे بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

तर्जमा :– "अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला"या अल्लाह तआला का शुक्र अदा करने या छींक आने के बाद اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ पढ़े।

तर्जमा :– "सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का" या परेशानी की ख़बर पर यह आयत पढ़े।

اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

तर्जमा :– हम अल्लाह के लिए हैं और हमको उसी की तरफ़ फिरना है। या अल्लाह की तारीफ़ की नियत से पूरी सुरए फ़ातिहा या आयतुल कुर्सी या सुरए हश्र की पिछली तीन आयतें هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ पढीं।

और इन सब सूरतों में क़ुर्आन शरीफ़ पढ़ने की नियत न हो तो कुछ हर्ज नहीं। ऐसे ही तीनों कुल बग़ैर कुल के लफ़्ज़ बनियत सना पढ़ सकता है और लफ़्ज़े कुल के साथ नहीं पढ़ सकता अगर्चे सना ही की नियत से हो क्यूँकि इस सूरत में उनका क़ुर्आन होना तय है इसमें नियत को कुछ दख़ल नहीं।

मसअ्ला :– बे वुज़ू को क़ुर्आन मजीद या उसकी किसी आयत का छूना हराम है बिना छुये ज़ुबानी देख कर पढ़े तो कोई हर्ज नहीं।

मसअ्ला :– रुपये पर आयत लिखी हो तो उन सबको यानी बे वुज़ू वालों जिन पर नहाना ज़रूरी है और हैज़ और निफ़ास वालियों को उसका छूना हराम है। हाँ अगर थैली में हो तो थैली उठाना

जायज़ है। ऐसे ही जिस बर्तन या गिलास पर सूरत या आयत लिखी हो उसका छूना भी उनको हराम है और उसका इस्तेअ्माल सब को मकरूह मगर जबकि ख़ास शिफ़ा की नियत हो।

मसअ्ला :– कुर्आन शरीफ़ देखने में उन सब पर कुछ ह़र्ज नहीं अगरचे हुरूफ़ पर नज़र पड़े और अल्फ़ाज़ समझ में आयें और ख़्याल में पढ़े जायें।

मसअ्ला :– और उन सब को फ़िक़्ह, तफ़सीर और ह़दीस की किताबों का छूना मकरुह है और अगर उनको किसी कपड़े से छूना चाहे अगरचे उसको पहने या ओढ़े हुए हो तो कोई ह़र्ज नहीं मगर उन किताबों में आयत की जगह हाथ रखना ह़राम है।

मसअ्ला :– इन सब को तोरात, ज़बूर इन्जील को पढ़ना छूना मकरूह है।

मसअ्ला :– दुरूद शरीफ़ और दुआओं के पढ़ने में उन्हें कुछ ह़र्ज नहीं मगर अच्छा यह है कि वुज़ू या कुल्ली कर के पढ़ें।

मसअ्ला :– उन सब को अज़ान का जवाब देना जाइज़ है।

मसअ्ला :– मुस्ह़फ़ शरीफ़ (कुर्आन) अगर ऐसा हो जाये कि पढ़ने के काम में न आये तो उसे कफ़ना कर लह़द खोद कर, ऐसी जगह दफ़न करें जहाँ पैर पड़ने का ख़तरा न हो।

मसअ्ला :– काफ़िर को मुसह़फ़ न छूने दिया जाये और हुरूफ़ों को उससे बचाया जाये।

मसअ्ला :– कुर्आन सब किताबों से ऊपर रखें फ़िर तफ़सीर फ़िर ह़दीस फ़िर बाक़ी दीनियात मरतबे के एअ्तिबार से।

मसअ्ला :– किताब पर कोई दूसरी चीज़ न रखी जाये यहाँ तक कि क़लम दवात और यहाँ तक कि स़न्दूक़ जिस में किताब हो उस पर भी कोई चीज़ न रखी जाये।

मसअ्ला :– मसाइल या दीनियात की किताबों के वरक़ों में पुड़िया बाँधना। जिस दस्तरख़्वान पर कुछ लिखा हुआ हो उसको काम में लाना या बिछौने पर कुछ लिखा हो तो उसको काम में लाना मना है।

पानी का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا

तर्जमा :– "आसमान से हमने पाक करने वाला पानी उतारा"।

और फ़रमाता है :– وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ

तर्जमा :– "आसमान से तुम पर पानी उतारता है कि तुम्हें उससे पाक करे और शैतान की पलीदगी तुम से दूर करे"।

ह़दीस न.1 :– इमामे मुस्लिम ने ह़ज़रते अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्ला स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम में से कोई शख़्स जनाबत की ह़ालत में रुके हुए पानी में म नहाये (य़ानी थोड़े पानी में जो दह–दरदा न हो इसलिए कि दह–दर–दह बहते पानी के हुक्म में है)लोगों ने कहा तो ऐ अबू हुरैरह! कैसे करे कहा उसमें से लेले

ह़दीस न.2 :– सुनने अबू दाऊद व तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में ह़कम इब्ने अ़म्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इस बात से मना फ़रमाया कि

औरत की तहारत से बचे हुए पानी से मर्द वुजू करे।

हदीस न.3 :– इमामे मालिक व अबू दाऊद और तिर्मिज़ी अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम दरिया का सफ़र करते हैं और अपने साथ थोड़ा सा पानी ले जाते हैं तो अगर उससे वुजू करें तो प्यासे रह जायेंगे तो क्या समुद्र के पानी से हम वुजू करें फ़रमाया उस का पानी पाक है और उस का मरा हुआ जानवर हलाल है यानी मछली।

हदीस न.4 :– अमीरुल मोमिनीन हज़रते फ़ारूके आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि धूप के गर्म पानी से गुस्ल मत करो कि वह बर्स पैदा करता है।

किस पानी से वुजू जाइज़ है और किस से नहीं

तम्बीह :– जिस पानी से वुजू जाइज़ है उससे गुस्ल भी जाइज़ और जिससे वुजू नाजाइज़ है उस से गुस्ल भी नाजाइज़ है।

मसअला :– मेंह,नदी, नाले,चश्में,समुन्दर,दरिया, कुँयें, बर्फ़ और ओले के पानी से वुजू जाइज़ है।

मसअला :– जिस पानी में कोई चीज़ मिल गई कि बोल चाल में उसे पानी न कहें बल्कि उसका कोई और नाम हो गया जैसे शर्बत या पानी में कोई ऐसी चीज़ डालकर पकायें जिस से मक़सूद मैल काटना न हो जैसे शोरबा, चाय,गुलाब या और अर्क़ उससे वुजू और गुस्ल जाइज़ नहीं।

मसअला :– आगर ऐसी चीज़ मिलायें या मिलाकर पकायें जिस से मक़सद मैल काटना हो जैसे साबुन या बेरी के पत्ते तो वुजू जाइज़ है। ज़ब तक पानी का पतलापन बाक़ी रहे और अगर पानी सत्तू की तरह गाढ़ा हो गया तो वुजू जाइज़ नहीं।

मसअला :– और अगर पानी में कोई पाक चीज़ मिली जिससे रंग या बू या मज़े में फ़र्क़ आ गया मगर उसका पतलापन न गया जैसे रेता,चूना या थोड़ी ज़ाफ़रान तो वुजू जाइज़ है और जो ज़ाफ़रान का रंग इतना आ जाये कि कपड़ा रंगने के क़ाबिल हो जाये तो वुजू जाइज़ नहीं यूँही पुड़िया के रंग का हुक्म है और अगर इतना दूध मिलगया कि दूध का रंग ग़ालिब न हुआ तो वुजू जाइज़ है, वरना नहीं। ग़ालिब मग़लूब की पहचान यह है कि जब तक यह कहें कि पानी है जिस में कुछ दूध मिल गया तो वुजू जाइज़ है और जब उसे लस्सी कहें तो वुजू नाजाइज़ और अगर पत्ते गिरने या पुराने होने की वजह से रंग बदले तो कुछ हर्ज नहीं लेकिन अगर पत्तों से पानी गाढ़ा हो गया तो उस पानी से वुजू जाइज़ नहीं।

मसअला :– बहता पानी कि उसमें तिनका डाल दें तो बहा ले जाये वह पानी पाक और पाक करने वाला है। नजासत पड़ने से नापाक न होगा जब तक कि उस नजासत से पानी का रंग, बू और मज़ा न बदले और अगर नजिस चीज़ से रंग या, बू और मज़ा बदल जाये तो पानी नापाक हो जायेगा। अब यह उस वक़्त पाक होगा कि नजासत नीचे बैठ कर उसके औसाफ़ ठीक हो जायें या पाक पानी इतना मिले कि नजासत को बहा ले जाये या पानी के रंग,बू और मज़ा ठीक हो जाये और अगर पाक चीज़ ने रंग,मज़ा और बू को बदल दिया तो उससे वुजू करना और नहाना जाइज़ है जब तक दूसरी चीज़ न हो जाये।

मसअ्ला :– मुर्दा जानवर नहर की चौड़ाई में पड़ा हो और उसके ऊपर से पानी बहता है और जो पानी उससे मिल कर बहता है उस से कम है,जो उसके ऊपर से बहता है या ज़्यादा है या बराबर हर जगह से वुज़ू जाइज़ है यहाँ तक कि किसी वस्फ़ में तब्दीली न आये।

मसअ्ला :– छत के परनाले से बारिश का पानी गिरे वह पाक है अगर्चे उस पर जगह–जगह नजासत पड़ी हो अगर्चे नजासत परनाले के मुँह पर हो, अगर्चे जो पानी नजासत से मिलकर गिरता हो वह आधे से कम या बराबर या ज़्यादा हो जब तक नजासत से पानी के किसी हालत में तब्दीली न आये। यही सही है और इसी पर एअ्तिमाद है और अगर मेंह रुक गया और पानी का बहना ख़त्म हो गया तो अब वह ठहरा हुआ पानी और जो छत से टपके नजिस है।

मसअ्ला :– ऐसे ही नालियों से बरसात का बहता पानी पाक है जब तक नजासत का रंग, बू या मज़ा उसमें जाहिर न हो रहा उससे वुज़ू करना अगर उस पानी में दिखाई पड़ने वाले नजासत के ज़र्रे ऐसे बहते जा रहे हों कि जो चुल्लू लिया जायेगा उसमें एक आध ज़र्रा नजासत का भी ज़रूर होगा जब तो हाथ में लेते ही नापाक हो गया। उससे वुज़ू हराम है वरना जाइज़ है और बचना बेहतर है।

मसअ्ला :– नाली का पानी कि बारिश के बाद ठहर गया अगर उसमें नजासत के टुकड़े मालूम हों या रंग और बू का पता चले तो नापाक वर्ना पाक है।

मसअ्ला :– दस हाथ लम्बा दस हाथ चौड़ा जो हौज़ हो उसे दह–दर–दह कहते हैं। ऐसे ही बीस हाथ लम्बा पाँच हाथ चौड़ा या पच्चीस हाथ लम्बा चार हाथ चौड़ा। ग़र्ज़ कुल लम्बाई चौड़ाई सौ हाथ हो तो वह दह–दर–दह है यानी उसका क्षेत्रफल सौ हाथ हो। अगर हौज़ गोल हो तो उसकी गोलाई लगभग साढ़े पैतींस हाथ हो। सौ हाथ लम्बाई न हो तो छोटा हौज़ है उसके पानी को थोड़ा कहेंगे अगर्चे कितना ही गहरा हो।

तम्बीह :– हौज़ के बड़े छोटे होने में खुद उस हौज़ की नाप का एअ्तिबार नहीं बल्कि जो उसमें पानी है उसकी ऊपरी सतह देखी जायेगी अगर हौज़ बड़ा है मगर अब पानी कम होकर दह–दर–दह न रहा तो वह इस हालत में बड़ा हौज़ नहीं कहा जायेगा और हौज़ उसी को न कहेंगे जो मस्जिदों और ईदगाहों में बना लिये जाते हैं बल्कि हर वह गड्ढा जिसकी पैमाइश सौ हाथ हो वह बड़ा हौज़ है और उससे कम है तो छोटा।

मसअ्ला :– दह–दर–दह हौज़ में सिर्फ़ इतना दल यानी गहराई काफ़ी है कि उतनी पैमाइश में जमीन कहीं से खुली न हो और यह जो बहुत किताबों में फ़रमाया है कि लप या चुल्लू में पानी लेने से ज़मीन न खुले उसकी हाजत उसके ज़्यादा रहने के लिये है कि इस्तेमाल के वक़्त अगर पानी उठाने से ज़मीन खुल गई तो उस वक़्त पानी सौ हाथ की पैमाइश में न रहा। ऐसे हौज का पानी बहते पानी के हुक्म में है नजासत पड़ने से नापाक न होगा जब तक नजासत से रंग, या बू या मज़ा न बदले और ऐसा हौज़ अगर्चे नजासत पड़ने से नापाक न होगा मगर जान बूझ कर उसमें नजासत डालना मना है।

मसअ्ला :– बड़े हौज़ के नजिस न होने की यह शर्त है कि उसका पानी मुत्तसिल (मिला हुआ) हो तो ऐसे हौज़ में अगर लट्ठा या कड़ियाँ गाड़ी गई हों तो उन लट्ठों कड़ियों के अलावा बाकी जगह

अगर सौ हाथ है तो बड़ा है वर्ना नहीं यानी लट्ठा या कड़िये वगै़रह ने जगह घेरी और वह जगह 100 हाथ में से कम हो जायेगी तो वह बड़ा हौज़ नहीं रहा अल्बत्ता पतली–पतली चीजें जैसे घास, निरकुल खेती हो तो उसके मुत्तसिल(मिले)होने में फ़र्क़ न आयेगा।

मसअ्ला :– बड़े हौज़ में ऐसी नजासत पड़ी कि दि,खाई न दे जैसे शराब या पेशाब तो उस हौज़ के हर त़रफ़ से वुज़ू जाइज़ है और अगर देखने में आती हो जैसे पाख़ाना या मरा हुआ जानवर तो जिस त़रफ़ वह नजासत हो उस त़रफ़ वुज़ू न करना बेहतर है दूसरी त़रफ़ वुज़ू करे।

तम्बीह :– जो नजासत दिखाई दे उसे "मरइय्या"और जो नहीं दिखायी दे उसे ग़ैर मरइय्या" कहते हैं।

मसअ्ला :– ऐसे हौज़ पर अगर बहुत से लोग जमा होकर वुज़ू करें तो भी कुछ ह़र्ज नहीं अगर्चे वुज़ू का पानी उसमें गिरता हो। हाँ उसमें कुल्ली डालना और नाक सिनकना नहीं चाहिए कि पाकीज़गी के ख़िलाफ़ है।

मसअ्ला :– तालाब या बड़ा हौज़ ऊपर से जम गया मगर बर्फ़ के नीचे पानी की लम्बाई चौड़ाई मुत्तसि़ल दह–दर–दह के मिक़दार है और सूराख़ करके उससे वुज़ू किया तो जाइज़ है अगरचे उसमें नजासत पड़ जाये और अगर मुत्तसि़ल दह–दर–दह नहीं और उसमें नजासत पड़ी तो नापाक है फ़िर अगर नजासत पड़ने से पहले उसमें सूराख़ कर दिया और उससे पानी उबल पड़ा तो अगर दह–दर–दह के मिक़दार फ़ैल गया तो अब नजासत पड़ने से भी पाक रहेगा और उसमें दल का वही हुक्म है जो ऊपर गुज़र चुका।

मसअ्ला :– अगर ख़ुश्क तालाब में नजासत पड़ी हो और मेंह बरसा और उसमें बहता हुआ पाक पानी इस क़द्र आया कि बहाव रुकने से पहले दह–दर–दह हो गया तो वह पानी पाक है और अगर उस मेंह से दह–दर–दह से कम रहा और दोबारा बारिश से दह–दर–दह हुआ तो सब नजिस है। हाँ अगर वह भर कर बह जाये तो पाक हो गया अग़र्चे हाथ दो हाथ बहा हो।

मसअ्ला :– दह–दर–दह पानी में निजासत पड़ी फिर उस का पानी दह–दर–दह से कम हो गया तो वह अब भी पाक है। हाँ अगर वह निजासत अब भी उस में बाक़ी हो और दिखाई देती हो तो अब नापाक हो गया अब जब तक भरकर बह न जाये पाक न होगा।

मसअ्ला :– छोटा हौज़ नापाक़ हो गया फ़िर उसका पानी फ़ैलकर दह–दर–दह हो गया तो अब भी नापाक है मगर पाक पानी अगर उसे बहा दे पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– कोई ह़ौज़ ऐसा है कि ऊपर से तंग और नीचे से कुशादा है यानी ऊपर दह–दर–दह नहीं और नीचे दह–दर–दह या ज़्यादा है अगर ऐसा हौज भरा हुआ हो और नजासत पड़े तो नापाक है। उसका पानी घट गया और वह दह–दर–दह हो गया तो पाक है।

मसअ्ला :– हुक्क़े का पानी पाक है अगर्चे उसके रंग, बू और मज़े में तब्दीली आजाये उस से वुज़ू जाइज़ है। किफ़ायत की मिक़दार उस के होते हुए तयम्मुम जाइज़ नहीं जैसे सारा वुज़ू कर लिया और एक पाँव धोना बाक़ी है कि पानी ख़त्म होगया और हुक़्क़े में पानी इतना मौजूद है कि उस पाँव को धोसकता है तो उसे तयम्मुम जाइज़ नहीं मगर वुज़ू करने के बाद अगर उ़ज़्व में बू आगई तो जब तक बू जाती न रहे मस्जिद में जाना मना है और वक़्त में गुन्जाइश हो तो इतना रूक कर नमाज़ पढ़े कि वह उड़ जाये उस से वुज़ू करने का हुक्म उस वक़्त दिया गया कि दूसरा पानी न

हो बिला ज़रूरत उस से वुज़ू करना न चाहिए।

मसअ्ला :– जो पानी वुज़ू या गुस्ल करने में बदन से गिरा वह पाक है मगर उस से वुज़ू या गुस्ल जाइज़ नहीं ऐसे ही अगर बे वुज़ू शख़्स का हाथ या उंगली या पोरा या नाख़ून या बदन का कोई टुकड़ा जो वुज़ू में धोया जाता हो इरादे या बग़ैर इरादा दह–दर–दह से कम पानी में बे धोये हुए पड़ जाये तो वह पानी वुज़ू और गुस्ल के लाइक़ न रहा इसी तरह जिस पर नहाना फ़र्ज़ है उसके जिस्म का कोई बे धुला हुआ हिस्सा पानी से छू जाये तो वह पानी वुज़ू और गुस्ल के काम का न रहा अगर धुला हुआ हाथ या बदन का कोई हिस्सा पड़ जाये तो हर्ज नहीं।

मसअ्ला :– अगर हाथ धुला हुआ है मगर फिर धोने की नियत से डाला और यह धोना सवाब का काम हो जैसे खाने के लिए या वुज़ू के लिए तो यह पानी मुस्तअ्मल(इस्तेमाल किया हुआ) होगया यानी वुज़ू के काम का न रहा और उस पानी को पीना भी मकरूह है।

मसअ्ला :– अगर ज़रूरत से हाथ पानी में डाला जैसे पानी बड़े बर्तन में है कि उसे झुका नहीं सकता न कोई छोटा बर्तन है कि उस से निकाले तो ऐसी सूरत में ज़रूरत भर हाथ पानी में डाल कर उस से पानी निकाले या कुँए में रस्सी डोल गिर गया और बे घुसे नहीं निकल सकता और पानी भी नहीं कि हाथ पाँव धोकर घुसे तो इस सूरत में अगर पाँव डालकर रस्सी निकालेगा तो पानी मुस्तमल न होगा इस मसअ्ला को बहुत कम लोग जानते हैं लोगों को जानना चाहिए।

मसअ्ला :– इस्तेअ्माल किया हुआ पानी अगर बिना इस्तेअ्माल किये हुए पानी में मिल जाये जैसे वुज़ू या गुस्ल करते वक़्त पानी के क़तरे लोटे या घड़े में टपकें तो अगर अच्छा पानी ज़्यादा है तो यह वुज़ू और गुस्ल के काम का है वर्ना सब बे कार हो गया।

मसअ्ला :– पानी में हाथ पड़ गया या और किसी तरह मुस्तअ्मल होगया और यह चाहें कि यह काम का होजाये तो अच्छा पानी उस से ज़्यादा उस में मिला दें और उसका यह तरीक़ा भी है कि एक तरफ़ से पानी डालें कि दूसरी तरफ़ बह जाये तो सब काम का हो जायेगा ऐसे ही नपाक पानी को भी पाक कर सकते हैं ऐसी ही हर बहती हुई चीज़ अपनी जिन्स या पानी से उबाल देने से पाक हो जायेगी।

मसअ्ला :– किसी पेड़ या फ़ल के निचोड़े हुये पानी से वुज़ू जाइज़ नहीं जैसे केले का पानी या अंगूर, अनार और तरबूज़ का पानी और गन्ने का रस।

मसअ्ला :– जो पानी गर्म मुल्क में गर्म मौसम में सोने चाँदी के सिवा किसी और धात के बर्तन में धूप में गर्म हो गया तो जब तक गर्म है उस से वुज़ू और गुस्ल न करना चाहिये और न उसको पीना चाहिए बल्कि बदन को किसी तरह न पहुँचना लगना चाहिए यहाँ तक कि अगर उस से कपड़ा भीग जाये तो जब तक ठंडा न हो ले उस के पहनने से बचें क्योंकि उस पानी के इस्तेमाल से बर्स का ख़तरा है फिर भी अगर वुज़ू या गुस्ल कर लिया तो हो जायेगा।

मसअ्ला :– छोटे छोटे गड्ढों में पानी है और उसमें नजासत का पड़ना मालूम नहीं तो उस से वुज़ू जाइज़ है।

मसअ्ला :– काफ़िर की यह ख़बर कि यह पानी पाक है या नापाक तो वह ख़बर मानी न जायेगी दोनों सूरतों में पानी पाक रहेगा कि यह पानी की अस्ली हालत है।

मसअला :– नाबालिग़ का भरा हुआ पानी कि शरीअत की रौशनी में वह नाबालिग़ उस पानी का मालिक हो जाये उसे पीना,उससे नहाना वुज़ू करना या और किसी काम में लाना उसके माँ बाँप या जिसका वह नौकर है उसके सिवा किसी को जाइज़ नहीं अगर्चे वह इजाज़त भी दे दे अगर वुज़ू कर लिया तो वुज़ू हो जायेगा लेकिन गुनाहगार होगा यहाँ से उस्तादों को सबक़ लेना चाहिए कि अकसर वह नाबालिग़ बच्चों से पानी भरवा कर अपने काम में लाया करते हैं इसी तरह बालिग़ का भरा हुआ पानी बिना इजाज़त ख़र्च करना भी हराम है।

मसअला :– नजासत से पानी का रंग बू और मज़ा बदल गया तो उस को अपने इस्तिअ्माल में भी लाना नाजाइज़ और जानवरों को पिलाना भी जाइज़ नहीं हाँ ग़ारे वग़ैरा के काम में लासकतें है मगर उस ग़ारे मिट्टी को मस्जिद की दीवार वग़ैरा में ख़र्च करना जाइज़ नहीं ।

कुँए का बयान

मसअला :– कुँए में आदमी या किसी जानवर का पेशाब या बहता हुआ खून ताड़ी सेंधी किसी तरह कि शराब का क़तरा नापाक लकड़ी या नापाक कपड़ा या और कोई नापाक चीज़ गिरी तो कुँऐ का सारा पानी निकाला जायेगा

मसअला :– जिन चौपायों का गोश्त नहीं खाया जाता उनके पेशाब,पाखाने से कुँए का पानी नापाक हो जायेगा। यूँही मुर्ग़ी और बत्तख़ की बीट से भी नापाक हो जायेगा इन सब सूरतों में सब पानी निकाला जायेगा।

मसअला :– मेंगनियाँ, लीद और गोबर अगर्चे नापाक हैं लेकिन कुँए में अगर थोड़ा गिर जायें तो ज़रूरत की वजह से मुआफ़ हैं। पानी पर नापाकी का हुक्म न लगाया जायेगा और उड़ने वाले हलाल जानवर जैसे कबूतर चिड़िया की बीट या शिकारी परिन्दे जैसे चील,शिकरा या बाज़ की बीट गिर जाये तो नापाक न होगा। यूँही चूहे और चमगादड़ के पेशाब से भी नापाक न होगा।

मसअला :– पेशाब की बारीक बुन्दकियाँ सुई की नोंक की तरह और नजिस गुबार पड़ने से नापाक न होगा।

मसअला :– जिस कुँए का पानी नापाक हो गया उसका एक क़तरा भी पाक कुँए में पड़ जाये तो यह भी नापाक हो गया,जो हुक्म इसका है वही उसका हो गया। युँही डोल,रस्सी और घड़ा जिनमें नापाक कुँए का पानी लगा था कुँए में पड़े तो वह पाक भी नापाक हो जायेगा।

मसअला :– कुँए में आदमी बकरी या कुत्ता या और कोई खून वाला जानवर या उनके बराबर या उनसे बड़ा जानवर गिर कर मर जाये तो कुल पानी निकाला जायेगा।

मसअला :– मुर्ग़ा ,मुर्ग़ी, बिल्ली,चूहा,छिपकली या और कोई जानवर जिसमें बहता हुआ खुन हो कुँए में मर कर फूल जाये या फ़ट जाये कुल पानी निकाला जायेगा और अगर यह सब कुँए से बाहर मरे और फिर कुँए में गिर गये जब भी यही हुक्म है।

मसअला :– छिपकली या चूहे की दुम कट कर कुँए में गिरी अगर्चे फूली फ़टी न हो कुल पानी निकाला जायेगा मगर उसकी जड़ में अगर मोम लगा हो तो बीस डोल निकाला जायेगा अगर बिल्ली ने चूहे को दबोचा और वह ज़ख़्मी हो गया फिर उससे छूट कर कुँए में गिरा तो सारा पानी

निकाला जायेगा।

मसअ्ला :– चूहा,छछूँदर,चिड़िया,छिपकली,गिरगिट,या उनके बराबर या उनसे छोटा कोई खून वाला जानवर कुँए में गिर कर मर गया तो बीस डोल से तीस डोल पानी निकाला जायेगा यानी अगर बड़ा डोल है तो बीस डोल और छोटा डोल है तो तीस डोल पानी निकाला जायेगा।

मसअ्ला :– कबूतर मुर्ग़ी या बिल्ली गिर कर मरे तो चालीस से साठ डोल तक निकाला जायेगा यानी अगर बड़ा डोल है तो चालीस डोल और छोटा डोल है तो साठ डोल पानी निकाला जायेगा।

मसअ्ला :– आदमी का बच्चा जो ज़िन्दा पैदा हुआ आदमी के हुक्म में है। बकरी का छोटा बच्चा-बकरी के हुक्म में है।

मसअ्ला :– जो जानवर कबूतर से छोटा हो चूहे के हुक्म में है और जो बकरी से छोटा हो मुर्ग़ी के हुक्म में है।

मसअ्ला :– दो चूहे गिर कर मर जायें तो वही बीस से तीस डोल पानी निकाला जाए और तीन चार या पाँच हों तो चालीस से साठ तक और छः हों तो कुल पानी निकाला जायेगा।

मसअ्ला :– दो बिल्लियाँ मर जायें तो सब पानी निकाला जायेगा।

मसअ्ला :– मुसलमान मुर्दा नहलाने के बाद कुँए में गिर जाये तो पानी निकालने की हर्गिज़ ज़रूरत नहीं और शहीद गिर जाये और बदन पर खून न लगा हो तो भी कुछ ज़रूरत नहीं और अगर खून लगा था और बहने के क़ाबिल न था तो भी कुछ ज़रूरत नहीं अगर्चे वह खून उसके बदन पर से धुल कर पानी में मिल जाये और अगर बहने के क़ाबिल खून उसके बदन से अलग होकर पानी में मिल जाये और अगर बहने के क़ाबिल खून उसके बदन पर लगा हुआ है और सूखा गया है और शहीद कि गिरने से उसके बदन से अलग होकर पानी में न मिला जब भी पानी पाक रहेगा कि शहीद का खून जब तक उसके बदन पर है कितना ही हो पाक है। हाँ यह खून उसके बदन से जुदा होकर पानी में मिल जाये तो अब नापाक है।

मसअ्ल :– काफ़िर मुर्दा अगर सौ बार भी धोया गया हो कुँए में गिर जाये तो उसकी उंगली या नाखून पानी से लग जाये पानी नजिस हो जायेगा।

मसअ्ला :– कच्चा बच्चा या जो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ अगर कुँए में गिर जाये तो सब पानी निकाला जायेगा अगर्चे गिरने से पहले नहला दिया गया हो।

मसअला :– बे वुज़ू और जिस आदमी पर नहाना फ़र्ज़ हो अगर बिला ज़रूरत कुँए में उतरें और उसके बदन पर नजासत न लगी हो तो बीस डोल पानी निकाला जायेगा और अगर डोल निकालने के लिये उतरा तो कोई हर्ज नहीं।

मसअला :– सुअर कुँए में अगर गिर जाये और अगर्चे न मरे कुँए का पानी नजिस हो गया और सब पानी निकाला जायेगा।

मसअला :– सुअर के सिवा और कोई जानवर कुँए में गिरा और ज़िन्दा निकला और उसके जिस्म पर नजासत का यक़ीन न हो और पानी में उसका मुँह न पड़ा तो पाक है उसका इस्तेमाल जाइज़ मगर बीस डोल पानी निकालना बेहतर है और अगर उसके बदन पर नजासत लगी रहने का यक़ीन हो तो सारा पानी निकाला जायेगा और अगर उसका मुँह पानी में पड़ा तो उसके लुआब और उसके

झूटे का जो हुक्म है वही हुक्म उस पानी का है अगर झूटा नापाक या मशकूक हो तो सारा पानी निकाला जायेगा और अगर मकरूह है तो चूहे वग़ैरा में बीस डोल, मुर्गी छूटी हुई में चालीस और जिसका झूटा पाक है उस में भी बीस डोल निकालना बेहतर है मसलन बकरी गिरी और ज़िन्दा निकल आई तो बीस डोल निकालें।

मसअ्ला :– कुँए में वह जानवर गिरा जिसका झुटा पाक या मकरूह है और उसमें से पानी कुछ न निकाला और वुज़ू कर लिया तो वुज़ू हो जायेगा।

मसअ्ला :– जूता या गेंद, कुँए में गिर गई और उसका नजिस होना यक़ीनी है तो कुल पानी निकाला जायेगा नहीं तो बीस डोल और ख़ाली नजिस होने का ख़्याल एअ्तेबार के लाइक नहीं।

मसअ्ला :– जो जानवर पानी में पैदा होता है अगर कुँए में मर जाये या मरा हुआ गिर जाये तो नापाक न होगा अगर्चे फूला फटा हो मगर फट कर उसके टुकड़े अगर पानी में मिल गये तो उस पानी का पीना ह़राम है।

मसअ्ला :– खुश्की और पानी के मेंढ़क का एक हुक्म है। यानी उसके मरने बल्कि सड़ने से भी पानी नजिस न होगा मगर, जंगल का बड़ा मेंढक जिस में बहने के क़ाबिल खून होता है उसका हुक्म चूहे की मिस्ल है पानी और खुश्की के मेंढक में फ़र्क़ यह है कि पानी के मेंढक की उंगलियों के दरम्यान झिल्ली होती है और खुश्की वाले में नहीं।

मसअ्ला :– जिसकी पैदाइश पानी में न हो मगर पानी में रहता हो जैसे बत्तख़ तो उसके मर जाने से पानी नापाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– बच्चे या काफ़िर ने पानी में हाथ डाल दिया तो अगर उनके हाथों का नजिस होना मा़लूम है जब तो ज़ाहिर है कि पानी नजिस है नहीं तो नजिस तो नहीं है लेकिन दूसरे पानी से वुज़ू करना बेहतर है।

मसअ्ला :– जिन जानवरों में बहता हुआ खून नहीं होता जैसे मच्छर और मक्खी वग़ैरा तो उनके मरने से पानी नजिस न होगा।

फ़ायदा :– मक्खी अगर सालन वग़ैरा में गिर जाये तो उसे डुबो कर फेंक दें और सालन को काम में लायें।

मसअ्ला :– मुर्दार की हड्डी जिसमें गोश्त या चिकनाई लगी हो अगर पानी में गिर जाये तो वह पानी नापाक हो गया, कुल निकाला जाये और अगर गोश्त या चिकनाई न लगी हो तो पाक है मगर सुअर की हड्डी हर ह़ालत में नापाक है चाहें उसमें गोश्त या चिकनाई हो या न हो।

मसअ्ला :– जिस कुँए का पानी नापाक हो गया उसमें से जितना पानी निकालने का हुक्म है निकाल लिया गया तो अब वह रस्सी डोल जिससे पानी निकाला है पाक हो गया धोने की ज़रूरत नहीं।

मसअ्ला :– कुल पानी निकालने का यह मत़लब है कि इतना पानी निकाल लिया जाये कि अब डोल डालें तो आधा भी न भरे। कुँए की मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं और न दीवार धोने की ज़रूरत है क्योंकि वह दीवार पाक हो गई।

मसअ्ला :– कुँए से बीस तीस डोल या सब पानी निकालने के लिये कहा जाता है उसका मत़लब यह है कि पहले उस चीज़ को उसमें से निकाल लें जो उसमें गिरी है फिर पानी निकालें अगर वह

चीज़ उसमें पड़ी रही तो कितना ही पानी निकालें बेकार है।
मसअ्ला :– और अगर वह सड़ गल कर मिट्टी हो गई या वह चीज़ ख़ुद नजिस न थी बल्कि
किसी नजिस चीज़ के लगने से नजिस हो गई हो जैसे नजिस कपड़ा और उसका निकालना
मुश्किल हो तो अब सिर्फ़ पानी निकालने से पाक हो जायेगा।
मसअ्ला :– जिस कुँए का डोल ख़ास हो तो उसी का एअ्तेबार है उसके छोटे बड़े होने का कुछ
लिहाज़ नहीं और अगर उसका कोई ख़ास डोल न हो तो कम से कम एक साअ् (यह एक ऐसा
पैमाना होता है जिसमें दो किलो पैंतालीस ग्राम गेहूँ आ जाता है)पानी उस में आ जाये।
मसअ्ला :– डोल भरा हुआ निकलना ज़रूरी नहीं अगर कुछ पानी छलक कर गिर गया या टपक
कर गिर गया मगर जितना बचा वह आधे से ज़्यादा है तो वह पूरा ही डोल गिना जायेगा।
मसअ्ला :– अगर डोल मुक़र्रर है मगर जिस डोल से पानी निकाला वह उससे छोटा या बड़ा है या
डोल मुक़र्रर नहीं और जिससे निकाला वह एक साअ् से कम या ज़्यादा है तो इन सूरतो में हिसाब
कर के उसे मुक़र्रर या एक साअ् के बराबर कर लें।
मसअ्ला :– अगर कुँए से मरा हुआ जानवर निकला तो अगर उसके गिरने और मरने का वक़्त
मालूम है तो उसी वक़्त से पानी नजिस है उसके बाद अगर किसी ने उससे वुज़ू या ग़ुस्ल किया तो
न वुज़ू हुआ और न ग़ुस्ल। उस वुज़ू और ग़ुस्ल से जितनी नमाज़ें पढ़ीं सब को लौटाये क्यूँकि वह
नमाज़ें नहीं हुईं ऐसे ही उस पानी से कपड़े धोये या किसी और तरीक़े से उसके बदन या कपड़े में
लगा तो कपड़े और बदन का पाक करना ज़रूरी है और उनसे जो नमाज़ें पढ़ीं उनका लौटाना फ़र्ज़
है। और अगर वक़्त मालूम नहीं तो जिस वक़्त देखा गया उस वक़्त से नजिस क़रार पायेगा अगर्चे
फूला फटा हो और उससे पहले पानी नजिस नहीं और पहले जो वुज़ू या ग़ुस्ल किया
या कपड़े धोये तो कुछ हर्ज नहीं आसानी के लिए इसी पर अ़मल है।
मसअ्ला :– जो कुँआ ऐसा है कि उसका पानी टूटता ही नहीं चाहे जितना ही पानी निकालें और
उसमें नजासत पड़ गई या उसमें कोई ऐसा जानवर मर गया जिसमें कुल पानी निकालने का हुक्म
है तो ऐसी हालत में हुक्म यह है कि मालूम कर लें कि उसमें पानी कितना है वह सब निकाल
लिया जाये,निकालते वक़्त जितना ज़्यादा होता गया उसका कुछ लिहाज़ नहीं और यह मालूम कर
लेना कि इस वक़्त कितना पानी है उसका एक तरीक़ा तो यह है कि दो परहेज़गार मुसलमान
जिनको यह महारत हो कि पानी की चौड़ाई गहराई देखकर बता सकें कि इस कुँए में इतना पानी
है वह जितने डोल बतायें उतने निकाले जायें।

और दूसरा तरीक़ा यह है कि उस पानी की गहराई किसी लकड़ी या रस्सी से ठीक तरीक़े से
नाप लें और कुछ लोग फुर्ती से सौ डोल निकालें फिर पानी नापें जितना कम हुआ उसी हिसाब से
पानी निकाल लें,कुँआ पाक हो जायेगा। उसकी मिसाल यह है कि पहली बार नापने से मालूम हुआ
कि पानी जैसे दस हाथ है फिर सौ डोल में एक हाथ कम हुआ तो दस हाथ में दस सौ यानी एक
हज़ार डोल हुए।
मसअ्ला :– जो कुआँ ऐसा है कि उसका पानी टूट जायेगा मगर उसमें उसके फट जाने या दूसरे
नुक़सान का ख़तरा है तो भी उतना ही पानी निकाला जाये जितना उस वक़्त उस में मौजूद है पानी

तोड़ने की ज़रूरत नहीं।

मसअ्ला :– कुँए से जितना पानी निकालना है उसमें इख़्तेयार है कि एक दम से उतना निकालें या थोड़ा–थोड़ा कर के दोनों हालतों में पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– मुर्ग़ी का ताज़ा अन्डा जिस पर अभी रतूबत लगी हो पानी में पड़ जाये तो नजिस न होगा यूँही बकरी का बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा और मरा नहीं जब भी नापाक न होगा।

आदमी और जानवर के झूठे का बयान

मसअ्ला :– आदमी चाहे जुनुब हो या हैज़ और निफ़ास वाली औरत हो उसका झूठा पाक है। काफ़िर का झूटा भी पाक है मगर उससे बचना चाहिये जैसे थूक, रेंठ और खंखार कि पाक है मगर आदमी उन से घिन करता है और इससे बहुत बदतर काफ़िर के झूटे को समझना चाहिये।

मसअ्ला :– किसी के मूँह से इतना खून निकला कि थूक में सुर्खी आ गई और उसने फ़ौरन पानी पिया तो यह झूटा नापाक है और सुर्खी जाती रहने के बाद उस पर लाज़िम है कि कुल्ली करके मुँह पाक करे और अगर कुल्ली न की और चन्द बार थूक का गुज़र नजासत की जगह पर हुआ चाहे निगलने में या थूकने में यहाँ तक कि नजासत का असर न रहा तो पाकी हो गई उसके बाद अगर पानी पियेगा तो पाक रहेगा अगरचे ऐसी सूरत में थूक निगलना सख़्त नापाक बात और गुनाह है।

मसअ्ला :– मआज़अल्लाह शराब पीकर फ़ौरन पानी पिया तो वह पानी नापाक हो गया और अगर इतनी देर ठहरा कि शराब का हिस्सा थूक में मिल कर हलक़ से उतर गया तो नापाक नहीं मगर शराबी और उसके झूटे से बचना ही चाहिये।

मसअ्ला :– शराबी की मूछें बड़ी हों कि शराब मूछों में लगी तो जब तक उनको पाक न करेगा तो जो पानी पियेगा वह पानी और बर्तन दोनों नापाक हो जायेंगे।

मसअ्ला :– मर्द को ग़ैर औरत का और औरत को ग़ैर मर्द का झूटा अगर मालूम हो कि फ़ुलानी औरत या फ़ुलाने मर्द का झूटा है तो लज़्ज़त के तौर पर खाना पीना मकरूह है मगर उस खाने और पानी में कोई कराहत नहीं आई और अगर मालूम न हो कि किसका है या लज़्ज़त के तौर पर खाया पिया न गया हो तो कोई हर्ज नहीं बल्कि कुछ सूरतों में बेहतर है जैसे बा शरअ् आलिम या दीनदार पीर का झूटा कि उसे तबर्रुक जानकर लोग खाते पीते हैं।

मसअ्ला :– जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है चौपाये हों या परिन्दे उनका झूटा पाक है अगर्चे नर हों जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, कबूतर और तीतर वग़ैरा और जो मुर्ग़ी आज़ाद छुटी फिरती हो और गन्दगी पर मुँह मारती हो उसका झूटा मकरुह है और बन्द रहती है तो पाक है।

मसअला :– ऐसे ही कुछ गायें जो गन्दगी खाती हैं उनका झूटा मकरुह है और अगर अभी नजासत खाई और उसके बाद कोई ऐसी बात न पाई गई जिससे उसके मुँह की पाकी हो जाती (जैसे जारी पानी में पीना या जो पानी जारी न हो उसमें तीन जगह से पीना) और इस हालत में पानी में मुँह डाल दिया तो नापाक हो गया।

इसी तरह अगर बैल,भैंसे और बकरे नरों ने मादा का पेशाब सूँघा और उससे उनका मुँह नापाक हुआ और निगाह से गाइब न हुए और न इतनी देर गुज़री कि जिसमें पाक हो जाता तो

उनका झूटा नापाक है और अगर चार पानियों में मुँह डालें तो पहले तीन नापाक और चौथा पाक है।

मसअला :– घोड़े का झूटा पाक है।

मसअ्ला :– सुअर, कुत्ता, शेर,चीता,भेड़िया, हाथी,गीदड़ और दूसरे दरिन्दों का झुठा नापाक है।

मसअ्ला :– कुत्ते ने बर्तन में मुँह डाला तो अगर वह चीनी या धात का है या मिट्टी का रोग़नी या इस्तेमाल में लाये हुआ चिकना बर्तन तो तीन बार धोने से पाक हो जायेगा नहीं तो हर बार सुखा कर पाक होगा। हाँ चीनी के बर्तन में बाल हो या और बर्तन में दरार हो तो तीन बार सुखाकर पाक होगा,सिर्फ़ धोने से पाक न होगा।

मसअ्ला :– मटके को कुत्ते ने ऊपर से चाटा तो उसमें का पानी नापाक न होगा।

मसअ्ला :– उड़ने वाले शिकारी जानवर जैसे शिकरा,बाज़ बहरी और चील वग़ैरा का झूठा मकरुह है और यही हुक्म कौए का है और अगर उनको पाल कर शिकार के लिये सिखा लिया हो और चोंच में नजासत न लगी हो तो उसका झूठा पाक है।

मसअ्ला :– घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली,चूहा,साँप और छिपकली का झूठा मकरुह है।

मसअ्ला :– अगर किसी का हाथ बिल्ली ने चाटना शुरू किया तो चाहिये कि फ़ौरन हाथ खींचे ले। युँही छोड़ देना कि चाटती रहे मकरूह है और हाथ धो लेना चाहिये अगर बे धोये नमाज़ पढ़ ली तो हो जायेगी मगर धोना औला है यानी ज़्यादा अच्छा है।

मसअ्ला :– बिल्ली ने चूहा खाया और फ़ौरन बर्तन में मुँह डाल दिया तो पानी नापाक हो गया और अगर जुबान से मुँह चाट लिया कि खून का असर जाता रहा तो नापाक नहीं।

मसअ्ला :– पानी के रहने वाले जानवर का झूठा पाक है चाहे उनकी पैदाइश पानी में हो या न हो।

मसअ्ला :– गधे ख़च्छर का झूठा मशकूक (शक वाला) है यानी उसके वुजू के क़ाबिल होने में शक है और इसीलिये उससे वुजू नहीं हो सकता क्योंकि जब ह़दस का यक़ीन हो वह यक़ीन मशकूक तहारत से दूर न होगा।

मसअ्ला :– जो झूठा पानी पाक है उससे वुजू और गुस्ल दोनों जाइज़ हैं मगर जिस पर नहाना ज़रूरी हो उसने अगर बग़ैर कुल्ली के पानी पिया तो उसके झूठे पानी से वुजू जाइज़ नहीं कि वह पानी इस्तेअ्माली हो गया।

मसअ्ला :– अच्छा पानी होते हुए मकरूह पानी से वुज़ू गुस्ल मकरूह और अगर अच्छा पानी मौजूद नहीं तो कोई हर्ज नहीं इसी तरह मकरूह झूठे का खाना पीना मालदार को मकरूह है ग़रीब मुहताज को बिला कराहत जाइज़ है।

मसअ्ला :– अच्छा पानी होते हुए शक वाले पानी से वुजू और गुस्ल जाइज़ नहीं और अच्छा पानी न हो तो उसी से वुजू और गुस्ल कर ले और साथ ही साथ तयम्मुम भी करे और अच्छा यह है कि वुजू पहले करे और अगर तयम्मुम पहले कर लिया और वुजू बाद में किया जब भी कोई हर्ज नहीं और इस सूरत में वुजू और गुस्ल में नियत करनी ज़रूरी है और अगर वुजू किया और तयम्मुम न किया या तयम्मुम किया और वुजू न किया तो नमाज़ न होगी।

मसअ्ला :– मशकूक झूठे को खाना पीना न चाहिये अगर मशकूक पानी अच्छे पानी में मिल गया तो अगर अच्छा पानी ज़्यादा है तो उस से वुजू हो सकता है वर्ना नहीं।

मसअ्ला :– जिसका झुठा नापाक है उसका पसीना और लुआ़ब भी नापाक और जिसका झूठा पाक उसका पसीना और लुआ़ब भी पाक और जिस का झूठा मकरूह उसका लुआ़ब और पसीना भी मकरूह है।

मसअ्ला :– गधे, ख़च्चर का पसीना अगर कपड़े में लग जाये तो कपड़ा पाक है चाहे कितना ही ज़्यादा लगा हो।

तयम्मुम का बयान

अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है

وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰىٓ اَوْعَلٰى سَفَرٍ اَوْجَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْلٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ.

तर्जमा :– "अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुममें का कोई पाख़ाने से आया या औरतों से मुबाशिरत(हमबिस्तरी) की और पानी न पाओ तो पाक मिट्टी का क़स्द(इरादा) करो तो अपने मुँह और हाथों का उस से मसह़ करो"।

ह़दीस न.1 :– स़ही बुख़ारी में ह़ज़रते आ़इशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत है कि वह फ़रमाती हैं कि हम रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में गये यहाँ तक कि जब बेदा या ज़ातुल जैश (जगह के नाम) में पहुँचे तो मेरी हैकल टुट गई। हुजूर उसे तलाश करने के लिये ठहर गये और लोग भी हुज़ूर के साथ ठहरे। वहाँ पानी न था और न लोगों के साथ पानी था। लोगों ने ह़ज़रते अबूबक्र से कहा कि क्या आप नहीं देखते कि सिद्दीक़ा ने क्या किया,हुज़ूर को और सबको ठहरा लिया और न यहाँ पानी है और न लोगों के साथ पानी है। फ़रमाती हैं कि ह़ज़रते अबुबक्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु आये और हुज़ूर अपना सरे मुबारक मेरे ज़ानू पर रखकर आराम फ़रमा रहे थे। उन्होंने फ़रमाया तूने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम और लोगों को रोक लिया ह़ालाँकि न यहाँ पानी है न लोगों के साथ पानी है। उम्मुल मोमिनीन फ़रमाती हैं कि मुझ पर सख़्ती की और अल्लाह ने जो चाहा उन्होंने कहा और अपने हाथ से मेरी कोख में कोंचना शुरू किया मैं हट सकती थी मगर चुँकि हुज़ूर मेरे ज़ानू पर सर रख कर आराम फ़रमा रहे थे इसलिये मैं हिल भी न सकी। जब सुबह़ हुई तो हुज़ूर उठे। वह जगह ऐसी थी कि वहाँ पानी न था तो अल्लाह तआ़ला ने तयम्मुम की आयत उतारी और लोगों ने तयम्मुम किया। उस पर उसैद इब्ने हुज़ैर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा ऐ आले अबूबक्र यह तुम्हारी पहली बरकत नहीं यानी ऐसी बरकतें तुम से होती ही रहती हैं। फ़रमाती हैं कि जब मेरी सवारी का ऊँट उठाया गया तो वह हैकल उसके नीचे मिली।

ह़दीस न.2 :– मुस्लिम शरीफ़ में ह़ज़रते हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि जिनसे हम लोगों पर फ़ज़ीलत दी गई है यह तीन बातें है।

1. हमारी सफ़ें फ़रिश्तों की सफ़ों की त़रह़ की गईं।

2. हमारे लिये तमाम ज़मीन मस्जिद कर दी गई।

3.और जब हमें पानी न मिले तो ज़मीन की ख़ाक हमारे लिये पाक करने वाली बनाई गई।
हदीस न.3 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद व तर्मिज़ी अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि पाक मिट्टी मुसलमान का वुज़ू है अगर्चे दस बर्स पानी न पाये और जब पानी पाये तो अपने बदन को पानी पहुँचाये यानी नहाये और वुज़ू करे कि यह उसके लिये बेहतर है।

हदीस न.4 :– अबू दाऊद और दारमी ने अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि वह फ़रमाते हैं कि दो आदमी सफ़र में गये,नमाज़ का वक़्त आ गया उनके साथ पानी न था। पाक मिट्टी पर तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली फिर वक़्त के अन्दर ही पानी मिल गया। इनमें से एक साहब ने वुज़ू करके दोहराई और दूसरे ने न दोहरायी फिर जब हुज़ूर के पास दोनों पहुँचे और इस बात का ज़िक्र किया तो जिसने नमाज़ न लौटाई थी उससे फ़रमाया कि तू सुन्नत को पहुँचा यानी सुन्नत अदा की और तेरी नमाज़ हो गई और जिसने वुज़ू कर के नमाज़ दोहराई थी उससे फ़रमाया तुझे दूना सवाब है।

हदीस न.5 :– सही बुख़ारी और मुस्लिम में इमरान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हम एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ थे। हुज़ूर ने नमाज़ पढ़ाई जब नमाज़ पढ़ चुके तो देखा कि एक आदमी लोगों से अलग बैठा हुआ है जिसने क़ौम के साथ नमाज़ न पढ़ी थी। हुज़ूर ने फ़रमाया कि ऐ शख़्स तूझको नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोका। उसने कहा कि मुझे नहाने की ज़रूरत है और पानी नहीं है। हुज़ूर ने फ़रमाया कि मिट्टी ले यानी तयम्मूम करो कि वह तुम्हारे लिये काफ़ी है।

हदीस न6 :– सहीहैन मे अबू जहीम इब्ने हारिस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेअरे जमल की तरफ़(मदीने शरीफ़ में एक मकान है) से तशरीफ़ ला रहे थे एक शख़्स ने हुज़ूर को सलाम किया आप ने उसका जवाब न दिया यहाँ तक कि एक दीवार की तरफ़ गये और मुँह और हाथों का मसह किया फिर उसके सवाल का जवाब दिया।

तयम्मुम के मसाइल

मसअला :– जिसका वुज़ू न हो या नहाने की ज़रूरत हो और पानी पर कुदरत न हो तो वुज़ू और गुस्ल की जगह तयम्मुम करे पानी पर कुदरत न होने की चन्द सूरतें हैं।
(1) ऐसी बीमारी कि वुज़ू या गुस्ल से उसके ज़्यादा होने या देर में अच्छा होने का सही अन्देशा हो,चाहे उसने खूद आज़माया हो कि जब वुज़ू और गुस्ल करता है तो बीमारी बढ़ जाती है या यह कि किसी मुसलमान अच्छे लाइक़ हकीम ने जो ज़ाहिर में फ़ासिक़ न हो यह कह दिया हो कि पानी नुक़सान करेगा।

मसअला :– सिर्फ़ ख़्याल ही ख़्याल मर्ज़ बढ़ने का हो तो ऐसी सूरत में तयम्मुम जाइज़ नहीं यूँही काफ़िर, फ़ासिक या मामूली तबीब के कहने का कोई एअ्तिबार नहीं।

मसअला :– अगर पानी बीमारी को नुक़सान नहीं करता मगर वुज़ू या गुस्ल के लिये उसके हिलने डुलने से नुक़सान होता है या ख़ुद वुज़ू नहीं कर सकता और कोई ऐसा भी नहीं जो वुज़ू करा दे तो तयम्मुम कर ले। ऐसे ही किसी के हाथ फट गये कि खूद वुज़ू नहीं कर सकता और कोई

दूसरा वुजू कराने वाला भी नहीं तो तयम्मुम करे।

मसअ्ला :– बेवुजू के अकसर आज़ाए वुजू (यानी वुजू के ज़्यादातर हिस्से) में या जुनुबी (जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो) के बदन के ज़्यादा हिस्सों में ज़ख़्म या चेचक हो तो तयम्मुम करे नहीं तो जो हिस्सा उ़ज़्व या बदन का अच्छा हो उसको धोये और ज़ख़्म की जगह और नुक़सान के वक़्त उसके आस पास भी मसह़ करे और उस पर मसह़ करने से भी नुक़सान करे तो उस उ़ज़्व पर कपड़ा डाल कर उस पर मसह़ करे।

मसअ्ला :– बीमारी में अगर ठंडा पानी नुक़सान करता है और गर्म पानी से नुक़सान न हो तो गर्म पानी से वुजू और गुस्ल ज़रूरी है तयम्मुग जाइज़ नहीं। हाँ अगर ऐसी जगह हो कि गर्म पानी न मिल सके तो तयम्मुम करे फिर अगर ठन्डे वक़्त वुजू या गुस्ल नुक़सान करता है और गरम वक़्त में नहीं करता तो ठंडे वक़्त में तयम्मुम करे फिर जब गर्म वक़्त आये तो अगली नमाज़ के लिये वुजू कर लेना चाहिए और जो नमाज़ उस तयम्मूम से पढ़ ली उसके लौटाने की ज़रूरत नहीं।

मसअ्ला :– अगर सर पर पानी डालना नुक़सान करता है तो गले से नहाये और पूरे सर का मसह़ करे (2) और इस ह़ालत में भी तयम्मुम कर सकता है जब कि वहाँ चारों त़रफ़ एक एक मील तक पानी का पता न हो।

मसअ्ला :– अगर यह गुमान हो कि एक मील के अन्दर पानी होगा तो तलाश कर लेना ज़रूरी है बिना तलाश किये तयम्मुम जाइज़ नहीं फिर बग़ैर तलाश किये तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली और तलाश करने पर पानी मिल गया तो वुजू करके नमाज़ का लौटाना ज़रूरी है और अगर न मिला तो नमाज़ हो गई।

मसअ्ला :– अगर ज़्यादा गुमान यह है कि मील के अन्दर पानी नहीं है तो तलाश करना ज़रूरी नहीं फिर अगर तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ली और न तलाश किया और न कोई ऐसा है जिससे पूछे और बाद को मालूम हुआ कि पानी यहाँ से क़रीब है तो नमाज़ लौटाने की ज़रूरत नहीं मगर यह तयम्मुम अब जाता रहा और अगर कोई वहाँ था मगर उससे पूछा नहीं और बाद को मालूम हुआ कि पानी क़रीब है तो नमाज़ लौटाई जायेगी।

मसअ्ला :– और अगर क़रीब में पानी होने और न होने किसी का गुमान नहीं तो तलाश कर लेना मुस्तह़ब है और बग़ैर तलाश किये तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ हो गई।

मसअ्ला :– साथ में ज़म ज़म शरीफ़ है जो लोगों के तबर्रुक के लिये लेजा रहा है या बीमार को पिलाने के लिये और इतना है कि वुजू हो जायेगा तो तयम्मुम जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– अगर चाहे कि ज़मज़म शरीफ़ से वुजू न करे और तयम्मुम जाइज़ हो जाये तो उसका त़रीक़ा यह है कि किसी ऐसे आदमी को कि जिस पर भरोसा हो कि वह वापस दे देगा, वह पानी उसे हिबा कर दे यानी दे दें और उसका कुछ बदला ठहराये तो अब तयम्मुम जाइज़ हो जायेगा।

मसअ्ला :– जो न आबादी में हो और न आबादी के क़रीब हो और उसके साथ पानी मौजूद हो लेकिन याद न हो और तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ हो गई और अगर आबादी या आबादी के क़रीब में हो तो नमाज़ दोहरा ले।

मसअ्ला :– अगर अपने साथी के पास पानी है और उसे यह गुमान है कि माँगने से दे देगा तो

माँगने से पहले तयम्मुम जाइज़ नहीं फिर अगर नहीं माँगा और तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली और नमाज़ के बाद माँगा तो उसने दे दिया या बिना माँगे उसने दिया तो वुजू कर के नमाज़ लौटाना ज़रूरी है और अगर माँगा और न दिया तो नमाज़ हो गई और अगर बाद को भी न माँगा जिससे उसके देने या न देने का इाल खुलता और न उसने खुद दिया तो नमाज़ हो गई और अगर देने का ग़ालिब गुमान नहीं और तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली जब भी यही सूरतें हैं कि बाद को पानी दे दिया तो वुजू करे नमाज़ दोहरा ले वरना हो गई।

मसअ्ला :– नमाज़ पढ़ते में किसी के पास पानी देखा और ग़ालिब गुमान यह है कि वह दे देगा तो चाहिये कि नमाज़ तोड़ दे और उससे पानी माँगे और अगर नहीं माँगा और पूरी कर ली और अब उसने खुद या उसके माँगने पर दे दिया तो नमाज़ का लौटाना ज़रूरी है और न दे तो हो गई और अगर देने का गुमान न था और नमाज़ के बाद उसने खुद दे दिया या माँगने से दिया जब भी नमाज़ लौटाये और अगर न उसने खुद दिया न उसने माँगा कि हाल मालूम होता तो नमाज़ हो गई और अगर नमाज़ पढ़ते में उसने खुद कहा कि पानी लो और वुजू कर लो और वह कहने वाला मुसलमान है तो नमाज़ जाती रही। नमाज़ का तोड़ देना फ़र्ज़ है और कहने वाला काफ़िर है तो न तोड़े फिर नमाज़ के बाद अगर उसने पानी दे दिया तो वुजू करके नमाज़ दोहरा ले।

मसअ्ला :– और अगर यह गुमान है कि मील के अन्दर तो पानी नहीं मगर एक मील से कुछ ज़्यादा दूरी पर मिल जायेगा तो नमाज़ के आख़िरी मुस्तहब वक़्त तक इन्तेज़ार करना मुस्तहब है मगर मग़रिब और इशा में इतनी देर न करे कि मकरूह वक़्त आ जाये और अगर देर न की और तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ हो जायेगी।

(3) इतनी सर्दी हो कि नहाने से मर जाने या बीमार होने का सख़्त ख़तरा हो और लिहाफ़ वग़ैरा कोई ऐसी चीज़ उसके पास नहीं जिसे नहाने के बाद ओढ़े और सर्दी के नुक़सान से बचे और न आग है जिससे ताप सके तो तयम्मुम जाइज़ है।

(4) दुश्मन का डर कि अगर उसने देख लिया तो मार डालेगा या माल छीन लेगा या उस ग़रीब नादार पर किसी का क़र्ज़ा है कि उसे क़ैद करा देगा या उस तरफ़ साँप है कि वह काट खायेगा या शेर है कि फाड़ खायेगा या कोई बदकार शख़्स है और यह औरत या मर्द अमरद (नौ जवान लड़का जिस के ख़त न निकला हो) है जिसे अपनी बे–आबरूई का सख़्त ख़तरा है तो तयम्मुम जाइज़ है।

मसअ्ला :– अगर ऐसा दुश्मन है कि वैसे उससे कुछ न बोलेगा मगर कहता है कि अगर वुजू के लिये पानी लोगे तो मार डालूँगा या क़ैद करा दुँगा तो इस सूरत में हुक्म यह है कि तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले और फिर जब मौक़ा मिले तो वुजू करके नमाज़ दोहरा ले।

मसअ्ला :– क़ैदी को जेल ख़ाने वाले वुजू न करने दें तो तयम्मुम करके पढ़ ले और नमाज़ दोहराये और अगर वह दुश्मन या क़ैद वाले नमाज़ भी न पढ़ने दें तो इशारे से पढ़े और फ़िर नमाज़ दोहरा ले।

(5) अगर जंगल में डोल रस्सी नहीं कि पानी भरे तो तयम्मुम जाइज़ है।

मसअ्ला :– अगर उसके साथी के पास डोल रस्सी है और वह यह कहता है कि ठहर जाओ मैं

पानी भर लूँ तो तुमको दूँगा तो मुस्तहब है कि इन्तेज़ार करे और अगर इन्तेज़ार न किया और तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ हो गई।

मसअ्ला :– अगर रस्सी छोटी है कि पानी तक नहीं पहुँचती मगर उसके पास कोई कपड़ा(रूमाल, इमामा,या दुपट्टा वग़ैरा) ऐसा है कि उसके जोड़ने से पानी मिल जायेगा तो तयम्मुम जाइज़ नहीं।

(6) अगर प्यास का डर हो यानी उस के पास पानी है मगर वुज़ू या ग़ुस्ल के काम में लाये तो ख़ुद या दूसरा मुसलमान या अपना या उसका जानवर अगर्चे वह कुत्ता जिसका पालना जाइज़ है प्यासा रह जायेगा और अपनी या उनमें से किसी की प्यास चाहे अभी हो या आगे उसका सही अन्देशा हो कि वह रास्ता ऐसा है कि दूर तक पानी का पता नहीं तो तयम्मुम जाइज़ है।

मसअ्ला :– बदन या कपड़ा इस क़द्र नजिस है जिससे कि नमाज़ जाइज़ नहीं और पानी सिर्फ़ इतना है कि चाहे वुज़ू कर ले या उसको पाक कर ले दोनों काम नहीं हो सकते तो पानी से उसको पाक कर ले फिर तयम्मुम करे और अगर पहले तयम्मुम कर लिया उसके बाद पाक किया तो अब फिर तयम्मुम करे कि पहला तयम्मुम न हुआ।

मसअ्ला :– मुसाफ़िर को रास्ते में कहीं रखा हुआ पानी मिला तो अगर कोई वहाँ है तो उससे पूछ ले अगर वह कहे कि यह पानी सिर्फ़ पीने के लिये है तो तयम्मुम करे वुज़ू जाइज़ नहीं चाहे कितना ही हो और अगर उसने कहा कि पीने के लिये भी है और वुज़ू के लिये भी तो तयम्मुम जाइज़ नहीं और अगर कोई ऐसा नहीं जो बता सके और पानी थोड़ा हो तो तयम्मुम करे और ज़्यादा हो तो वुज़ू करे।

(7) पानी का महंगा होना यानी वहाँ के हिसाब से जो क़ीमत होनी चाहिये उससे दो गुना माँगता है तो तयम्मुम जाइज़ है और अगर क़ीमत में इतना फ़र्क़ नहीं तो तयम्मुम जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– अगर पानी मोल मिलता है और आदमी के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे नहीं तो तयम्मुम जाइज़ है।

(8) और अगर यह गुमान हो कि पानी तलाश करने में क़ाफिला नज़रों से ओझल हो जायेगा या रेल छूट जायेगी तो तयम्मुम जाइज़ है।

(9) और अगर यह ख़तरा हो कि नहाने से ईद की नमाज़ जाती रहेगी चाहे इस तरह कि इमाम नमाज़ पढ़ कर फ़ारिग़ हो जायेगा या ज़वाल का वक़्त आजायेगा तो इन दोनों सूरतों में तयम्मुम जाइज़ है।

मसअ्ला :– कोई आदमी वुज़ू कर के ईद की नमाज़ पढ़ रहा था कि नमाज़ के बीच उसका वुज़ू टुट गया तो अगर वुज़ू करेगा तो नमाज़ का वक़्त जाता रहेगा या जमाअ़त हो चुकी होगी तो तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ले।

मसअ्ला :– गहन की नमाज़ के लिए भी तयम्मुम जाइज़ है जबकि वुज़ू करने में गहन खुल जाने या जमाअ़त हो जाने का अन्देशा हो।

मसअ्ला :– अगर वुज़ू करने से ज़ोहर या मग़रिब या इशा या जुमे की पिछली सुन्नतों का या चाश्त की नमाज़ का वक़्त जाता रहेगा तो तयम्मुम कर के नामज़ पढ़ ले।

(10) ग़ैरे वली को जनाज़े की नमाज़ छूट जाने का ख़ौफ़ हो तो तयम्मुम जाइज़ है,वली को नहीं कि उसका लोग इन्तेज़ार करेंगे और लोग बिना उसकी इजाज़त के पढ़ भी लें तो यह

दोबारा पढ़ सकता है।

मसअला :– वली ने जिसको नमाज़ पढ़ाने की इजाज़त दी हो उसे तयम्मुम जाइज़ नहीं और वली को इस सूरत में अगर नमाज़ फौत होने का ख़ौफ़ हो तो तयम्मुम जाइज़ है। ऐसे ही अगर दूसरा वली उससे बढ़कर मौजूद है तो उसके लिये तयम्मुम जाइज़ है। फ़ौत होने के डर का मतलब यह है कि चारों तकबीरें जाती रहने का डर हो और अगर यह मालूम हो कि एक तकबीर मिल जायेगी तो तयम्मुम जाइज़ नहीं।

मसअला :– एक जनाज़े के लिये तयम्मुम किया और नमाज़ पढ़ी फिर दूसरा जनाज़ा आया अगर बीच में इतना वक़्त मिला कि वुज़ू करना चाहता तो कर लेता मगर न किया और अब वुज़ू करेगा तो नमाज़ हो चुकेगी तो इसके लिये अब दोबारा तयम्मुम करे और अगर इतना वक़्त न हो कि वुज़ू कर सके तो वही पहला तयम्मुम काफ़ी है।

मसअला :– सलाम का जवाब देने, दूरूद शरीफ़ वज़ीफ़ों के पढ़ने,सोने या बे वुज़ू को मस्जिद में जाने या ज़ुबानी क़ुर्आन शरीफ़ पढ़ने के लिये तयम्मुम जाइज़ है अगर्चे पानी पर क़ुदरत हो।

मसअला :– जिस पर नहाना फ़र्ज़ है उसे बिना ज़रूरत मस्जिद में जाने के लिये तयम्मुम जाइज़ नहीं। हाँ अगर मजबूरी हो जैसे डोल रस्सी मस्जिद में हो और कोई उसका लाने वाला नहीं तो तयम्मुम करके जाये और जल्द से जल्द लेकर निकल आये।

मसअला :– मस्जिद में सोया था और नहाने कीं ज़रूरत हो गई तो आँख खुलते ही जहाँ सोया था वहीं फ़ौरन तयम्मुम करके निकल आये वहाँ ठहरना हराम है।

मसअला :– अगर किसी को पानी पर क़ुदरत हो तो उसे क़ुर्आन मजीद के लिये या सजदए तिलावत के लिये या सजदए शुक्र के लिये तयम्मुम जाइज़ नहीं।

मसअला :– वक़्त इतना तंग हो गया कि वुज़ू या गुस्ल करेगा तो नमाज़ क़ज़ा हो जायेगी तो चाहिए कि तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ले और फ़िर वुज़ू या ग़ुस्ल कर के नमाज़ का दोहरना लाज़िम है।

मसअला :– औरत हैज़ या निफ़ास से पाक हुई और उसे पानी पर क़ुदरत नहीं तो वह तयम्मुम करेगी।

मसअला :– अगर मुर्दे को नहला न सकें चाहें इस वजह से कि पानी नहीं है या इस वजह से कि उसके बदन को हाथ लगाना जाइज़ नहीं जैसे अजनबी औरत या अपनी औरत कि मरने के बाद उसे छू नहीं सकता तो उसे तयम्मुम कराया जाये। ग़ैर महरम को अगर्चे शौहर हो औरत को तयम्मुम कराने में कपड़े को हाथ में हाइल होना चाहिए।

मसअला :– जुनुब,हैज़ वाली औरत,मय्यत और बेवुज़ू यह सब एक जगह हैं और किसी ने नहाने भर को पानी देकर यह कहा कि जो चाहे ख़र्च करे तो बेहतर यह है कि जुनुब उससे नहाये और मुर्दे को तयम्मुम कराया जाये और दूसरे भी तयम्मुम करें और अगर यह कहा कि इसमें तुम सबका हिस्सा है और हर एक को उसमें से इतना हिस्सा मिला जो उसके काम के लिए पूरा नहीं तो चाहिए कि मुर्दे के गुस्ल के लिये अपना अपना हिस्सा दे दें और सब तयम्मुम करें।

मसअला :– दो आदमियों में एक बाप और एक बेटा है और किसी ने इतना पानी दिया कि उससे एक का वुज़ू हो सकता है तो वह पानी बाप के ख़र्च में आना चाहिए।

मसअला :– अगर कोई ऐसी जगह है कि न पानी मिलता है और न पाक मिट्टी कि वुज़ू या

तयम्मुम कर सके तो उसे चाहिए कि नमाज़ के वक़्त में नमाज़ी की तरह सूरत बनाये यानी नमाज़ की तमाम हरकतें बिना नमाज़ की नीयत के बजा लाये।

मसअला :– अगर कोई ऐसा है कि वुज़ू करता है तो पेशाब के क़तरे टपकते हैं और तयम्मुम करे तो नहीं तो उसे लाज़िम है कि तयम्मुम करे।

मसअला :– इतना पानी मिला जिससे वुज़ू हो सकता है और उसे नहाने की ज़रूरत है तो उस पानी से वुज़ू कर लेना चाहिये और ग़ुस्ल के लिये तयम्मुम करे।

मसअला :– तयम्मुम का तरीक़ा यह है कि दोनो हाथ की उंगलियाँ कुशादा करके यानी फैलाकर किसी ऐसी चीज़ पर जो ज़मीन की क़िस्म से हो मार कर लौट लें और ज़्यादा गर्द लग जाये तो झाड़ लें और उस से सारे मुँह का मसह करें फिर दूसरी मर्तबा यूँही करे और दोनों हाथों का नाख़ून से कोहनियों समेत मसह करें।

मसअला :– वुज़ू और ग़ुस्ल दोनों का तयम्मुम एक ही तरह है।

मसअला :– तयम्मुम में तीन फ़र्ज़ हैं।

1.नियत करना :–

अगर किसी ने हाथ मिट्टी पर मार कर मुँह और हाथों पर फेर लिया और नियत न की तयम्मुम न होगा।

मसअला :– काफ़िर ने इस्लाम लाने के लिये तयम्मुम किया तो उससे नमाज़ जाइज़ नहीं कि वह उस वक़्त तयम्मुम के अहल नहीं था अगर वह पानी पर कुदरत नहीं रखता तो सिरे से तयम्मुम करे।

मसअला :– नमाज़ उस तयम्मुम से जाइज़ होगी जो पाक होने की नियत या किसी ऐसी इबादते मक़सूदा (इरादा की हुई किसी ऐसी इबादत) के लिए किया गया हो जो बिना पाकी के जाइज़ न हो तो अगर मस्जिद में जाने, या निकलने या क़ुर्आन मजीद छूने या अज़ान और इक़ामत (यह सब इबादते मक़सूदा नहीं) या सलाम करने या सलाम के जवाब देने या क़ब्रों की ज़ियारत या मय्यत के दफ़न करने या बे वुज़ू ने क़ुर्आन मजीद पढ़ने (इन सब के लिए तहारत शर्त नहीं) के लिए तयम्मुम किया हो तो उससे नमाज़ जाइज़ नहीं बल्कि जिस काम के लिये तयम्मुम किया गया है उसके अलावा कोई इबादत भी जाइज़ नहीं।

मसअला :– जुनुब ने क़ुर्आन मजीद पढ़ने के लिये तयम्मुम किया हो तो उससे नमाज़ पढ़ सकता है और अगर किसी ने सजदए शुक्र की नियत से तयम्मुम किया तो उससे नमाज़ न होगी दूसरे को तयम्मुम का तरीक़ा बताने के लिये जो तयम्मुम किया उससे भी नमाज़ जाइज़ नहीं।

मसअला :– नमाज़े जनाज़ा या ईदैन या सुन्नतों के लिए इस ग़र्ज़ से तयम्मुम हो कि वुज़ू करेगा तो यह नमाज़ें फ़ौत हो जायेंगी तो इस तयम्मुम से उस ख़ास नमाज़ के सिवा कोई दूसरी नमाज़ जाइज़ नहीं।

मसअला :– नमाज़े जनाज़ा या ईदैन के लिए तयम्मुम इस तरह से किया कि बीमार था या पानी मौजूद न था तो उससे फ़र्ज़ और दूसरी इबादतें सब जाइज़ हैं।

मसअला :– सजदए तिलावत के तयम्मुम से भी नमाज़ें जाइज़ हैं।

मसअला :– जिस पर नहाना फ़र्ज़ है उसे यह ज़रूरी नहीं कि ग़ुस्ल और वुज़ू दोनों के लिये दो

तयम्मुम करे बल्कि एक ही में दोनों की नियत कर ले दोनों हो जायेंगे और अगर सिर्फ़ गुस्ल या वुजू की नियत की जब भी काफ़ी है।

मसअ्ला :– बीमार या बिना हाथ पैर वाला अगर अपने आप तयम्मुम नहीं कर सकता तो उसे कोई दूसरा आदमी तयम्मुम करा दे और उस वक़्त तयम्मुम कराने वाले नियत का एअ्तेबार नहीं बल्कि अस्ल नियत उसकी मानी जायेगी जिसको तयम्मुम कराया जा रहा है।

2. सारे मुँह पर हाथ फ़ेरना :–

मसअ्ला :– सारे मुँह पर इस तरह़ हाथ फेरा जायेगा कि तयम्मुम की जगह का कोई हिस्सा बाक़ी न रह जाये अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तयम्मुम न होगा।

मसअला :– दाढ़ी, मूछों और भवों के बालों पर हाथ फिर जाना ज़रूरी है। मुँह कहाँ से कहाँ तक है इसको हमने वुजू में बयान कर दिया है। भवों के नीचे और आँखों के ऊपर जो जगह है और नाक के निचले हिस्से का ध्यान रखें कि अगर इन पर ध्यान न दिया गया तो उन पर हाथ न फिरेगा और ऐसी ह़ालत में तयम्मुम न होगा।

मसअ्ला :– अगर औ़रत नाक में फूल पहने हो तो उसे उतार ले नहीं तो फूल की जगह बाक़ी रह जायेगी और अगर नथ पहने हो जब भी ध्यान रखे कि नथनी की बजह से कोई जगह बाक़ी तो नहीं रह गई।

मसअ्ला :– नथनों के अन्दर मसह़ कुछ ज़रूरी नही।

मसअ्ला :– होंट का वह हिस्सा जो मुँह बंद होने की ह़ालत में दिखाई देता है उस पर भी हाथ फेरना ज़रूरी है अगर किसी ने मसह़ करते वक़्त होंटों को ज़ोर से दबा लिया कि कुछ हिस्सा बाक़ी रह गया तो तयम्मुम न होगा ऐसे ही अगर ज़ोर से आँखें बन्द कर लीं जब भी तयम्मुम न होगा।

मसअ्ला :– मूँछ के बाल इतने बढ़ गये कि होंट छुप गया तो उन बालों को उठा कर होंट पर हाथ फ़ेरे,बालों पर हाथ फ़ेरना काफ़ी नहीं।

3. दोनों हाथों का कुहनियों समेत मसह़ करना :–

मसअ्ला :– इसमें भी ध्यान रहे कि दोनों हाथों की ज़र्रा बराबर कोई जगह बाक़ी न रहे नहीं तो तयम्मुम न होगा।

मसअ्ला :– अगर अँगूठी छल्ले पहने हो तो उन्हें उतार कर उनके नीचे हाथ फेरना फ़र्ज़ है। औ़रतों को इसमें ध्यान देना चाहिये कंगन,चूड़ियाँ,और जितने ज़ेवर औ़रत हाथ में पहने हों सब को हटाकर या उतार कर जिस्म के हर हिस्से पर हाथ पहुँचाये। इसकी एह़तेयात वुजू से बढ़कर है। हाँ तयम्मुम में सर और पाँव का मसह़ नहीं है।

मसअ्ला :– एक ही बार हाथ मार कर मुँह और हाथों पर मसह़ कर लिया तो तयम्मुम न हुआ। हाँ अगर एक हाथ से सारे मुँह का का मसह़ किया और दूसरे से एक हाथ का और एक हाथ जो बच रहा है उसके लिए फिर हाथ मारा और उस पर मसह़ कर लिया तो हो गया मगर सुन्नत के ख़िलाफ़ है।

मसअ्ला :– जिस आदमी के दोनों हाथ या एक पहुँचे से कटा हो तो कुहनियों तक जितना बाक़ी रह गया उस पर मसह़ करे और अगर कुहनियों से ऊपर तक कट गया तो उसे बाक़ी हाथ पर मसह़ करने कि ज़रूरत नहीं फिर भी अगर उस जगह पर जहाँ से कट गया है मसह़ कर ले तो बेहतर है।

मसअला :– कोई लुंजा है या उसके दोनों हाथ कटे हैं और कोई ऐसा नहीं जो उसे तयम्मुम करा दे तो वह अपने हाथ और गाल जहाँ तक मुमकिन हो सके ज़मीन या दीवार से मस करे यानी छुआ कर नमाज़ पढ़े मगर वह ऐसी हालत में इमामत नहीं कर सकता। हाँ अगर उस जैसा कोई और भी है तो वह उसकी इमामत कर सकता है।

मसअला :– तयम्मुम के इरादे से ज़मीन पर लोटा और मुँह और हाथों पर जहाँ तक जरूरी है हर ज़र्रे पर गर्द लग गई तो तयम्मुम हो गया वर्ना नहीं और इस सूरत में मुँह और हाथों पर हाथ फेर लेना चाहिए।

तयम्मुम की सुन्नतें

तयम्मुम की सुन्नतें यह हैं :–

1.बिस्मिल्लाह कहना। 2.हाथों को ज़मीन पर मारना। 3.उंगलियाँ खुली हुई रखना। 4.हाथों को झाड़ लेना यानी एक हाथ के अँगूठे की जड़ को दूसरे हाथ के अँगूठे की जड़ पर मारना इस तरह कि ताली की तरह आवाज़ न निकले।

5. ज़मीन पर हाथ मार कर लौट देना। 6. पहले मुँह फिर हाथ का मसह करना। 7. दोनों का मसह पै दर पै होना। 8. पहले दाहिने हाथ फिर बायें हाथ का मसह करना। 9. दाढ़ी का ख़्याल करना। 10. उंगलियों का ख़िलाल करना जब कि गुबार पहुँच गया हो और अगर गुबार न पहुँचा जैसे पत्थर वग़ैरा किसी ऐसी चीज़ पर हाथ मारा जिस पर ग़ुबार न हो तो ख़िलाल फ़र्ज़ है।

हाथों के मसह में अच्छा तरीक़ा यह है कि बायें हाथ के अँगूठे के अलावा चार उंगलियों का पेट दाहिने हाथ की पीठ पर रखे और उंगलियों के सरों से कुहनी तक ले जाये और फ़िर वहाँ से बायें हाथ की हथेली से दाहिने पेट को छूता गट्टे तक लाये। और बायें अँगूठे के पेट से दाहिने अँगूठे की पीठ को मसह क़रे ऐसे ही दाहिने हाथ से बायें का मसह करे और एक दम से पूरी हथेली और उंगलियों से मसह कर लिया तो तयम्मुम हो गया चाहे कुहनी से उंगलियों की तरफ़ लाया या उंगलियों से कुहनी की तरफ़ ले गया मगर पहली सूरत में सुन्नत के ख़िलाफ़ हुआ।

मसअला :– अगर मसह करने में सिर्फ़ तीन उंगलियाँ काम में लाया जब भी हो गया और अगर एक या दो से मसह किया तो तयम्मुम नहीं होगा अगर्चे तमाम उ़ज़्व पर उनको फेर लिया हो।

मसअला :– तयम्मुम होते हुए दोबारा तयम्मुम न करे।

मसअला :– ख़िलाल के लिये ज़मीन पर हाथ मारना ज़रूरी नहीं।

किस चीज़ से तयम्मुम जाइज़ है और किस से नहीं

मसअला :– तयम्मुम उसी चीज़ से हो सकता है जो जिन्से ज़मीन (यानी ज़मीन की क़िस्म) से हो और जो चीज़ ज़मीन की जिन्स से नहीं उससे तयम्मुम जाइज़ नहीं।

मसअला :– जिस मिट्टी से तयम्मुम किया जाये उसका पाक होना ज़रूरी है यानी न उस पर किसी नजासत का असर हो न यह हो कि महज़ सूख जाने से नजासत का असर जाता रहा हो।

मसअला :– किसी चीज़ पर नजासत गिरी और सूख गई उस से तयम्मुम नहीं कर सकते अगर्चे नजासत का असर बाक़ी न हो अलबत्ता उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं।

मसअला :– यह वहम कि कभी नजिस हुई होगी.फ़ुज़ूल है उसका एअ्तेबार नहीं।

मसअ्ला :– जो चीज़ आग से जल कर न राख होती है,न पिघलती है,न नर्म होती है वह ज़मीन की जिन्स से है उससे तयम्मुम जाइज़ है जैसे रेता, चूना सुर्मा ,हड़ताल, गन्धक, मुर्दासंग, गेरू, पत्थर ज़बरजद, फ़ीरोज़ा,अक़ीक़ और ज़मर्रद वग़ैरा जवाहिरात से तयम्मुम जाइज़ है अगर्चे उन पर गुबार न हो।

मसअ्ला :– पक्की ईंट चीनी या मिट्टी के बर्तन से जिस चीज़ पर किसी ऐसी चीज़ की रंगत हो जो ज़मीन के जिन्स से हो जैसे गेरू,खरिया मिट्टी या वह चीज़ जिस की रंगत ज़मीन के जिन्स से तो नहीं मगर बर्तन पर उसका जिर्म (कण) न हो तो इन दोनों सूरतों में उससे तयम्मुम जाइज़ है और अगर ज़मीन के जिन्स से न हो और उसका जिर्म बर्तन पर हो तो जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– शोरा जो अभी पानी में डाल कर साफ़ नहीं किया गया उस से तयम्मुम जाइज़ है वरना नहीं।

मसअला :– जो नमक पानी से बनता है उससे तयम्मुम जाइज़ नहीं और जो कान से निकलता है जैसे सेंधा नमक तो उस से जाइज़ है।

मसअ्ला :– जो चीज़ आग से जल कर राख हो जाती हो जैसे लकड़ी,घास आदि या पिघल जाती हो या नर्म हो जाती हो जैसे चाँदी,सोना, ताँबा, पीतल,लोहा वग़ैरा धातें,वह ज़मीन की जिन्स से नहीं उससे तयम्मुम जाइज़ नहीं, हाँ यह धातें अगर कान से निकाल कर पिघलाई न गई कि उन पर मिट्टी के ज़र्रे अभी बाक़ी हैं तो उनसे तयम्मुम जाइज़ है और अगर पिघलाकर साफ़ कर ली गई और उन पर इतना गुबार बाक़ी है कि हाथ मारने से उसका असर हाथ में ज़ाहिर होता है उस गुबार से तयम्मुम जाइज़ है वर्ना नहीं।

मसअ्ला :– ग़ल्ला गेहूँ, जौ वग़ैरा और लकड़ी या घास और शीशे पर गुबार हो तो उस गुबार से तयम्मुम जाइज़ है जबकि इतना हो कि हाथ में लग जाता हो वर्ना नहीं और मुश्क,अम्बर,,काफ़ूर और लोबान से तयम्मुम जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– मोती, सीप और घोंगे से तयम्मुम जाइज़ नहीं अगर्चे पिसे हों और इन चीजों के चूने से भी तयम्मुम नाजाइज़ है।

मसअ्ला :– राख, सोने,चाँदी और फ़ौलाद वग़ैरा के कुश्तों से भी तयम्मुम जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– ज़मीन या पत्थर जल कर स्याह हो जायें तो उससे तयम्मुम जाइज़ है।

मसअ्ला :– अगर ख़ाक में राख मिल जाये और ख़ाक ज़्यादा हो तो तयम्मुम जाइज़ है वर्ना नहीं।

मसअ्ला :– पीले, लाल,हरे और काले रंग की मिट्टी से तयम्मुम जाइज़ है मगर जब रंग छूट कर हाथ मुँह को रंगीन कर दे तो बिना सख़्त ज़रूरत के उससे तयम्मुम करना जाइज़ नहीं और अगर कर लिया तो हो गया और भीगी मिट्टी से तयम्मुम जाइज़ है जब कि मिट्टी ज़्यादा हो।

मसअ्ला :– मुसाफ़िर का ऐसी जगह पर गुज़र हुआ कि सब तरफ़ कीचड़ ही कीचड़ है और उसे पानी नहीं मिलता कि वुज़ू या गुस्ल कर सके और कपड़े में भी गुबार नहीं तो उसे चाहिये कि कपड़ा कीचड़ से सानकर सुखा ले और उससे तयम्मुम करे और वक़्त जा रहा हो तो मजबूरी को कीचड़ ही से तयम्मम कर ले जबकि मिट्टी ग़ालिब हो यानी मिट्टी ज़्यादा हो।

मसअ्ला :– गद्दे और दरी वग़ैरा में गुबार है तो उससे तयम्मुम कर सकता है अगर्चे वहाँ मिट्टी

मौजूद हो जब कि गुबार इतना हो कि हाथ फेरने से उंगलियों का निशान बन जाये।

मसअ्ला :– नजिस कपड़े में गुबार हो उससे तयम्मुम जाइज़ नहीं हाँ अगर उसके सूखने के बाद गुबार पड़ा तो जाइज़ है।

मसअ्ला :– मकान बनाने या गिराने में या किसी और सूरत से मुँह और हाथों पर गर्द पड़ी और तयम्मुम की नियत से मुँह और हाथों पर मसह कर लिया तो तयम्मुम हो गया।

मसअ्ला :– गच की दीवार पर तयम्मुम जाइज़ है।

मसअ्ला :– बनावटी मुर्दासंग से तयम्मुम जाइज़ नहीं और मूँगे और उसकी राख से तयम्मुम जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– जिस जगह से एक ने तयम्मुम किया दूसरा भी उसी जगह से तयम्मुम कर सकता है और यह जो मशहूर है कि मस्जिद की दीवार या ज़मीन से तयम्मुम नाजाइज़ या मकरूह है यह ग़लत है।

मसअला :– तयम्मुम के लिये हाथ ज़मीन पर मारा और मसह से पहले ही तयम्मुम टुटने का कोई सबब पाया गया तो उससे तयम्मुम नहीं कर सकता।

तयम्मुम किन चीजों से टूटता है

जिन चीजों से वुजू टूटता है या गुस्ल वाजिब होता है उस से तयम्मुम भी जाता रहेगा और अ़लावा उनके पानी पर क़ादिर होने, से भी तयम्मुम टूट जायेगा।

मसअला :– मरीज़ ने गुस्ल का तयम्मुम किया था और अब इतना तन्दुरूस्त हो गया कि नहाने से नुक़सान न पहुँचेगा तो ऐसी हालत में तयम्मुम टूट जायेगा।

मसअ्ला :– किसी ने गुस्ल और वुजू दोनों के लिये एक ही तयम्मुम किया था फ़िर वुजू तोड़ने वाली कोई चीज़ पाई गई या इतना पानी पाया जिससे सिर्फ़ वुजू कर सकता है या बीमार था और अब इतना तन्दुरूस्त हो गया कि वुजू नुक़सान न करेगा और गुस्ल से नुक़सान होगा तो सिर्फ़ वुजू के हक़ में तयम्मुम जाता रहा और गुस्ल के हक में बाक़ी रहेगा।

मसअ्ला :– जिस हालत में तयम्मुम नाजाइज़ था अगर वह हालत तयम्मुम के बाद पाई गई तो तयम्मुम टूट जायेगा जैसे तयम्मुम वाले का ऐसी जगह गुज़र हुआ कि वहाँ से एक मील के अन्दर पानी है तो तयम्मुम जाता रहेगा यह ज़रूरी नहीं कि वह पानी के पास ही पहुँच जाये।

मसअ्ला :– इतना पानी मिला कि वुजू के लिये काफ़ी नहीं यानी एक बार मुँह और एक–एक बार दोनों हाथ पाँव नहीं धो सकता है तो तयम्मुम नहीं टुटा और अगर एक–एक बार धो सकता है तो तयम्मुम जाता रहा ऐसे ही गुस्ल के तयम्मुम करने वालों को इतना पानी मिला जिस से गुस्ल नहीं हो सकता तो तयम्मुम नहीं गया।

मसअ्ला :– अगर कोई आदमी ऐसी जगह गुज़रा कि वहाँ से पानी क़रीब है मगर पानी के पास शेर,साँप या दुश्मन है जिससे जान माल या इ़ज़्ज़त का वाक़ई ख़तरा है या क़ाफ़िला इन्तेज़ार न करेगा और नज़रों से ग़ायब हो जायेगा या सवारी से उतर नहीं सकता जैसे रेल या घोड़ा कि उसके रोकने से नहीं रुकता या घोड़ा ऐसा है कि उतरने तो देगा मगर फिर चढ़ने न देगा या यह इतना कमज़ोर है कि फ़िर चढ़ न सकेगा या कुँए में पानी है मगर उसके पास डोल रस्सी नहीं तो

इन सब सूरतों में तयम्मुम नहीं टूटा।

मसअ्ला :– अगर कोई पानी के पास से सोता हुआ गुज़रा तो तयम्मुम नहीं टुटा हाँ अगर तयम्मुम
वुज़ू का था और नीन्द उस की हद है जिस से वुज़ू जाता रहे तो बेशक तयम्मुम जाता रहा मगर
इस वजह से नहीं कि पानी पर गुज़रा बल्कि सो जाने से और अगर ओंघता हुआ पानी पर गुज़रा
और पानी की जानकारी उसे हो गई तो तयम्मुम टुट गया वरना नहीं।

मसअ्ला– अगर कोई पानी के क़रीब से गुज़रा और उसे अपना तयम्मुम याद नहीं जब भी तयम्मुम
जाता रहा।

मसअ्ला :– अगर किसी ने नमाज़ पढ़ते में गधे या खच्चर का झूठा पानी देखा तो नमाज़ पूरी करे
फिर उससे वुज़ू करे फिर तयम्मुम करे और नमाज़ लौटाये।

मअसला :– अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा था और उसे दूर से रेता चमकता हुआ दिखाई दिया और
उसे पानी समझकर एक क़दम भी चला फिर पता चला कि रेता है नमाज़ फ़ासिद हो गई मगर
तयम्मुम न गया।

मसअ्ला :– कुछ लोग तयम्मुम किये हुए थे कि किसी ने उनके पास एक वुज़ू के लाइक़ पानी
लाकर कहा कि जिसका ज़ी चाहे उस से वुज़ू कर ले तो सबका तयम्मुम जाता रहेगा और अगर
वह सब नमाज़ में थे तो नमाज भी सब की जाती रही अगर यह कहा कि तुम सब इस से वुज़ू कर
लो तो किसी का भी तयम्मुम न टूटेगा ऐसे ही अगर यह कहा कि मैंने तुम सबको इसका मालिक
किया जब भी तयम्मुम न गया

मसअ्ला :– पानी न मिलने की वजह से तयम्मुम किया था अब पानी मिला तो ऐसा बीमार हो गया
कि पानी नुक़सान करेगा तो पहला तयम्मुम जाता रहा और अब बीमारी की वजह से फिर
तयम्मुम करे ऐसे ही बीमारी की वजह से तयम्मुम किया अब अच्छा हुआ तो पानी नहीं मिलता
जब भी नया तयम्मुम करे।

मसअ्ला :– किसी ने गुस्ल किया मगर थोड़ा सा बदन सूखा रह गया यानी उस पर पानी न बहा
और पानी भी नहीं कि उससे धो ले अब गुस्ल का तयम्मुम किया फिर बेवुज़ू हुआ और वुज़ू का भी
तयम्मुम किया फिर उसे इतना पानी मिला कि वुज़ू भी कर ले और वह सूखी जगह भी धो ले तो
वुज़ू और गुस्ल दोनों के तयम्मुम जाते रहे और अगर इतना पानी मिला कि न उससे वुज़ू हो सकता
है न वह जगह धुल सकती है तो दोनों तयम्मुम बाक़ी रहेंगे और उस पानी को उस खुश्क हिस्से के
धोने में ख़र्च करे जितना धुल सके और अगर इतना मिला कि वुज़ू हो सकता है और खुश्की के
लिए काफ़ी नहीं तो वुज़ू का तयम्मुम जाता रहा उस से वुज़ू करे और अगर सिर्फ़ खुश्क हिस्से को
धो सकता है और वुज़ू नहीं कर सकता तो गुस्ल का तयम्मुम जाता रहा और वुज़ू का बाक़ी है उस
पानी को उसके धोने में ख़र्च करे और अगर एक कर सकता है चाहे वुज़ू कर ले चाहे उसे धो ले
तो गुस्ल का तयम्मुम जाता रहा उससे उस जगह को धो ले और वुज़ू का तयम्मुम बाक़ी है।

मोज़ों पर मसह का बयान

हदीस न.1 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद ने मुग़ीरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की वह फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहिवसल्लम ने मोज़ों पर मसह किया मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हुज़ूर भूल गए। फ़रमाया बल्कि तू भूला मेरे रब ने इसी का हुक्म दिया है।

हदीस न.2 :– दारे कुतनी ने अबूबक रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मुसफ़िर को तीन दिन तीन रातें और मुक़ीम को एक दिन एक रात मोज़ों पर मसह करने की इजाज़त दी जब कि त़हारत के साथ पहने हों।

हदीस न.3 :– तिर्मिज़ी और नसई स़फ़वान इब्ने अ़स्साल रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि जब हम मुसाफ़िर होते तो हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम हुक्म फ़रमाते कि तीन दिन और तीन रातें हम मोज़े न उतारें मगर जिस पर नहाना फ़र्ज़ हो वह ज़रूर उतार दे लेकिन पाख़ाना पेशाब और सोने के बाद न उतारे।

हदीस न.4 :– अबू दाऊद ने रिवायत की कि ह़ज़रते अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं कि दीन अगर अपनी राय से होता तो मोज़े का तला ऊपर की निस्बत के मसह में बेहतर होता।(यानी बजाए ऊपर के नीचे से मसह करते। यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म यूँही है।)

हदीस न.5 :– अबू दाऊद और तिमिज़ी रिवायात करते हैं कि मुग़ीरा इब्ने शोअ़बा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्ला स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को देखा कि मोज़ों की पुश्त पर मसह फ़रमाते।

मोज़ों पर मसह के मसाइल

जो शख़्स मोज़ा पहने हुये हो वह अगर वुज़ू में पाँव धोने के बजाये मसह करे तो जाइज़ है और पाँव धोना बेहतर है मगर शर्त यह है कि मसह जाइज़ समझे और मसह के जाइज़ होने में बहुत ह़दीसें हैं जो तवातुर के क़रीब हैं इसी लिये इसमें कर्ख़ी रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि फ़रमाते हैं कि जो मसह को जाइज़ न जाने उसके काफ़िर हो जाने का अन्देशा है। इमाम शैख़ुल इस्लाम फ़रमाते हैं कि जो इसे जाइज़ न माने गुमराह है। हमारे इमामे आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से अहले सुन्नत व जमाअ़त की अ़लामत पूछी गई तो उन्होंने फ़रमाया कि :–

تَفْضِيلُ الشَّيْخَيْنِ وَ حُبُّ الْخَتَنَيْنِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ

यानी हज़रत अमीरूल मोमिनीन अबूबक सिद्दीक़ और अमीरूल मोमिनीन फ़ारूक़े आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा को तमाम स़हाबा से बुज़ुर्ग जानना और अमीरुल मोमिनीन उसमाने ग़नी और अमीरुल मोमिनीन ह़ज़रते अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से महब्बत रखना और मोज़ों पर मसह करना। इन तीन बातों की तख़सीस इस लिए फ़रमाई कि ह़ज़रत कूफ़े में थे औा वहाँ राफ़िज़ियों की कसरत थी तो वही अ़लामत इरशाद फ़रमाई जो उनका रद हैं। इस रिवायत के यह मअ़ना नहीं कि सिर्फ़ इन तीन बातों का पाया जाना सुन्नी होने के लिए काफ़ी है अ़लामत शय में पाई जाती है और शय लाज़िमे अ़लामत नहीं होती जैसे बुख़ारी शरीफ़ की ह़दीस में वहाबियों की अ़लामत बताई गई है और वह यह है। سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ(उनकी अ़लामत सर मुंडाना है।)इसका

यह मतलब नहीं कि सर मुंडाना ही वहाबी होने के लिए काफ़ी है।

और इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अ़लैह फ़रमाते हैं कि मेरे दिल में मोज़े पर मसह के जाइज़ होने पर कुछ शक नहीं कि इस में चालीस सहाबा से मुझको हदीसें पहुँचीं।

मसअला :– जिस पर नहाना फ़र्ज़ है वह मोज़ों पर मसह नहीं कर सकता।

मसअला :– औरतें भी मसह कर सकती हैं।

मसह करने के लिए कुछ शर्तें है।

1. मोज़े ऐसे हों कि टख़ने छुप जायें इससे ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं और अगर दो एक उंगल कम हों जब भी मसह दुरुस्त है एड़ी खुली हुई न हो।

2. मोज़ा पाँव से चिपटा हो कि उसको पहन कर आसानी के साथ खुब चल फ़िर सकें।

3. मोज़ा चमड़े का हो या सिर्फ़ तला चमड़े का और बाक़ी किसी और मोटी चीज़ का जैसे किरमिच वग़ैरा।

मसअला :– हिन्दुस्तान में आम तौर पर जो सूती या ऊनी मोज़े पहने जाते हैं उन पर मसह जाइज़ नहीं,उनको उतार कर पाँव धोना फ़र्ज़ है।

4. मोज़ा वुज़ू करके पहना हो यानी पहनने के बाद और हदस से पहले एक ऐसा वक़्त हो कि उस वक़्त में वह शख़्स बा–वुज़ू हो ख़्वाह पूरा वुज़ू कर के पहने या सिर्फ़ पाँव धोकर पहने और बाद में वुज़ू पूरा कर ले।

मसअला :– अगर पाँव धोकर मोज़े पहन लिये और हदस से पहले मुँह हाथ धो लिया और सर का मसह कर लिया तो भी मसह जाइज़ है और अगर सिर्फ़ पाँव धोकर पहने और पहनने के बाद वुज़ू पूरा किया और हदस हो गया तो अब वुज़ू करते वक़्त मसह जाइज़ नहीं।

मसअला :–बे–वुज़ू मोज़ा पहन कर पानी में चला कि पाँव धुल गये अब अगर हदस से पहले वुज़ू के दूसरे उ़ज़्व धो लिये और सर का मसह कर लिया तो मसह जाइज़ है वर्ना नहीं।

मसअला :– वुज़ू करके एक ही पाँव में मोज़ा पहना और दूसरा न पहना यहाँ तक कि हदस हुआ तो उस एक पर भी मसह जाइज़ नहीं दोनों पाँव का धोना फ़र्ज़ है।

मसअला :– तयम्मुम करके मोज़े पहने गये तो मसह जाइज़ नहीं।

मसअला :– माज़ूर को सिर्फ़ उस एक वक़्त के अन्दर मसह जाइज़ है जिस वक़्त में पहना हो। हाँ अगर पहनने के बाद और हदस से पहले उ़ज़्र जाता रहा तो उसके लिये वह मुद्दत है जो तन्दुरुस्त के लिए है।

5. जनाबत की हालत में मोज़े न पहने हों और न पहनने के बाद जुनुबी हुआ हो।

मसअला :– जुनुबी ने जनाबत का तयम्मुम किया और वुज़ू कर के मोज़ा, पहना, तो मसह कर सकता है मगर जब जनाबत का तयम्मुम जाता रहे तो अब मसह जाइज़ नहीं।

मसअला :– जुनुबी ने गुस्ल किया मगर थोड़ा सा बदन खुश्क रह गया और मौज़े पहन लिये और हदस से पहले उस जगह को धो डाला तो मसह जाइज़ है और अगर वह जगह वुज़ू के उ़ज़्व में धोने से रह गई थी और धोने से पहले हदस हुआ तो मसह जाइज़ नहीं।

6 .मोज़ों पर मसह मुद्दत के अन्दर हो और उसकी मुद्दत मुक़ीम के लिये एक दिन और एक रात

और मुसाफ़िर के लिए तीन दिन और तीन रातें हैं।

मसअ्ला :– मोज़ा पहनने के बाद पहली बार जो ह़दस हुआ उस वक़्त से उसका शुमार है जैसे सुबह़ के वक़्त मोज़ा पहना और ज़ोहर के वक़्त पहली बार ह़दस हुआ तो मुक़ीम दूसरे दिन की ज़ोहर तक मसह़ करे और मुसाफ़िर चौथे दिन की ज़ोहर तक।

मसअ्ला :– मुक़ीम को एक दिन एक रात पूरा न हुआ था कि सफ़र किया तो अब ह़दस की शुरूआत से तीन दिन तीन रातों तक मसह़ कर सकता है और मुसाफ़िर ने इक़ामत की नियत कर ली तो अगर एक दिन रात पूरा कर चुका है तो मसह़ जाता रहा और पाँव धोना फ़र्ज़ हो गया और नमाज़ में था तो नमाज़ जाती रही और अगर चौबीस घन्टे पूरे न हुए तो जितना बाक़ी है पूरा कर ले।

7. कोई मोज़ा पाँव की छोटी तीन उंगलियों के बराबर फटा न हो यानी चलने में तीन उंगल बदन न ज़ाहिर होता हो और अगर तीन उंगल फटा हो और बदन तीन उंगल से कम दिखाई देता है तो मसह़ जाइज़ है और अगर दोनों तीन–तीन उंगल से कम फटे हों और सब का जोड़ तीन उंगल या ज़्यादा है तो भी मसह़ हो सकता है। सिलाई खुल जाये जब भी यही हुक्म है कि हर एक में तीन उंगल से कम है तो जाइज़ है नहीं तो नहीं।

मसअ्लाा :– मोज़ा फट गया या सिलाई खुल गई और वह पहने रहने की ह़ालत में तीन उंगल पाँव ज़ाहिर नहीं होता मगर चलने में तीन उंगल दिखाई दे तो उस पर मसह जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– ऐसी जगह फटा या सिलाई खुली कि उंगलिया खुद दिखाई दें तो छोटी बड़ी का एअ्तेबार नहीं बल्कि तीन उंगलियाँ ज़ाहिर हों तो मसह़ टुट जाएगा।

मसअ्ला :– एक मोज़ा चन्द जगह कम से कम इतना फट गया हो कि उसमें सुतली (चमड़ा सोना के औज़ार) जा सके और उन सब का जोड़ तीन उंगल से कम है तो मसह़ जाइज़ है वर्ना नहीं और टख़ने के ऊपर कितना ही फटा हो उसका एअ्तिबार नहीं।

मसअ्ला :– मसह़ का त़रीक़ा यह है कि दाहिने हाथ की तीन उंगलियाँ दाहिने पाँव की पुश्त के सिरे और बायें हाथ की उंगलियाँ बायें पाँव की पुश्त के सिरे पर रखकर पिन्डली की त़रफ़ कम से कम तीन उंगल की मिक़दार खींच ली जायें और सुन्नत यह है कि पिंडली तक पहुँचायें।

मसअ्ला :– उंगलीयों का तर होना ज़रूरी है हाथ धोने के बाद जो तरी बाक़ी रह गई उससे मसह़ जाइज़ है और सर का मसह़ किया और अभी हाथ में तरी मौजूद है तो यह काफ़ी नहीं बल्कि फिर नये पानी से हाथ तर कर ले कुछ ह़िस्सा हथेली का भी शामिल हो तो ह़र्ज नहीं।

मसह़ में फ़र्ज़ दो हैं :–

1. हर मोज़े का मसह़ हाथ की छोटी तीन उंगलियों के बराबर होना ।

2. मसह़ मोज़े की पीठ पर होना।

मसअ्ला :– एक पाँव का मसह दो उंगल के मिक़दार किया और दूसरे का चार उंगल तो मसह़ नहीं हुआ।

मसअ्ला :– मोज़े के तली या करवटों या टख़ने या पिडंली या एड़ी पर मसह़ किया तो मसह़ नहीं हुआ।

मसअ्ला :– पूरी तीन उंगलियों के पेट से मसह़ करना और पिंडली तक खींचना और मसह़ करते

वक़्त उंगलियाँ खुली रखना सुन्नत है।
मसअ्ला :– अगर उंगलियों की पीठ से मसह़ किया या पिन्डली की त़रफ़ से उंगलियों की त़रफ़ खींचा या मोज़े की चौड़ाई का मसह़ किया या उंगलियाँ मिली हुई रखीं या हथेली से मसह़ किया तो इन सब सूरतो में मसह़ तो हो गया लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ हुआ।
मसअ्ला :– अगर एक ही उंगली से तीन बार नये पानी से हर मर्तबा तर कर के तीन जगह मसह़ किया जब भी हो गया मगर सुन्नत अदा न हुई और अगर एक ही जगह मसह़ हर बार किया या हर बार तर न किया तो मसह़ न हुआ।
मसअ्ला :– उंगलियों की नोक से मसह़ किया तो अगर उन में इतना पानी है कि तीन उंगल तक बराबर टपकता रहा तो मसह़ हुआ वर्ना नहीं।
मसअ्ला :– मोज़े की नोक के पास कुछ जगह खाली है कि वहाँ पाँव का कोई हि़स्सा नहीं,उस ख़ाली जगह का मसह़ किया तो मसह़ न हुआ और अगर किसी तरह़ एहतियात के साथ उंगलियाँ पहुँचा दीं और अब मसह़ किया तो हो गया मगर जब वहाँ से पाँव हटेगा तो फ़ौरन मसह़ जाता रहेगा।
मसअ्ला :– मसह़ में न नियत ज़रूरी है और न तीन बार करना सुन्नत बल्कि एक बार कर लेना काफ़ी है।
मसअ्ला :– मौज़े पर पाइताबा पहना और उस पाइताबे पर मसह़ किया तो अगर मौज़े तक तरी पहुँच गई मसह़ हो गया वरना नहीं।
मसअ्ला :– मोज़े पहन कर शबनम में चला या उस पर पानी गिर गया या मेंह की बूँदे गिरीं और जिस जगह मसह़ किया जाता है तीन उंगल के बराबर तर हो गया तो मसह़ हो गया हाथ फ़ेरने की भी ज़रूरत नहीं।
मसअ्ला :– अंग्रेज़ी बूट, जूते पर मसह़ जाइज़ है मगर शर्त यह कि टख़ने उससे छुपे हों। इमामा, नक़ाब और दस्ताने पर मसह़ जाइज़ नहीं।

मसह़ किन चीज़ों से टूटता है

मसअ्ला :– जिन चीज़ों से वुज़ू टुटता है उनसे मसह़ भी जाता रहता है।
मसअ्ला :– मुद्दत पूरी हो जाने से मसह़ जाता रहता है और इस सूरत में अगर वुज़ू है तो सिर्फ़ पाँव धो लेना काफ़ी है फिर से पूरा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं और अच्छा यह है कि पूरा वुज़ू कर ले।
मसअ्ला :– मसह़ की मुद्दत पूरी हो गई और क़वी अन्देशा है कि मौज़े उतारने में सर्दी के सबब पाँव जाते रहेंगे तो न उतारे और टख़नों तक पूरे मौज़े का (नीचे, ऊपर अग़ल बग़ल और एड़ियों पर) मसह़ करे कि कुछ न रह जाये।
मसअ्ला :– मोज़े उतार देने से मसह़ टूट जाता है अगर्चे एक ही उतारा हो।
मसअ्ला :– ऐसे ही अगर एक पाँव आधे से ज़्यादा मोज़े से बाहर हो जाये तो मसह़ जाता रहता है। मोज़ा उतारने या पाँव का ज़्यादा हि़स्सा बाहर होने में पाँव का वह हि़स्सा मोतबर है जो गट्टों से पंजों तक है और पिंडली का एअ्तेबार नहीं इन दोनों सूरतों में पाँव का धोना फ़र्ज़ है।
मसअ्ला :– मोज़ा ढीला है कि चलने से एड़ी निकल जाती है तो मसह़ नहीं जाता हाँ अगर उतारने की नियत से बाहर की तो टूट जाता है।

मसअ्ला :– मोज़े पहन कर पानी में चला कि एक पाँव का आधे से ज़्यादा हिस्सा धुल गया या और किसी तरह से मोज़े में पानी चला गया और आधे से ज़्यादा पाँव धुल गया तो मसह जाता रहा।

मसअ्ला :– पायताबों पर इस तरह मसह किया कि मसह की तरी मोज़ों तक पहुँची तो पायताबों के उतारने से मसह नहीं जायेगा।

वुज़ू के अअ्ज़ा पर मसह करने के मसाइल

मसअ्ला :– वुज़ू के आज़ा अगर फट गये हों या उनमें फोड़ा या और कोई बीमारी हो और उन पर पानी बहाना नुक़सान करता हो या सख़्त तकलीफ़ होती हो तो भीगा हाथ फेर लेना काफ़ी है और अगर यह भी नुक़सान करता हो तो उस पर कपड़ा डालकर कपड़े पर मसह करे और अगर इससे भी तकलीफ़ है तो माफ़ है और अगर उसमें कोई दवा भर ली हो तो उसका निकालना ज़रूरी नहीं बल्कि उस पर से पानी बहा देना काफ़ी है।

मसअ्ला :– किसी फोड़े या ज़ख़्म या फ़स्द की जगह पर पट्टी बाँधी हो कि उसको खोल कर पानी बहाने से या उस जगह मसह करने से या खोलने से नुक़सान हो या खोलने वाला बाँधने वाला न हो तो उस पट्टी पर मसह कर ले और अगर पट्टी खोल कर पानी बहाने में नुक़सान न हो तो धोना ज़रूरी है या खुद उज़्व पर मसह कर सकते हों तो पट्टी पर मसह करना जाइज़ नहीं और अगर ज़ख़्म के आस पास पानी बहाना नुक़सान न करता हो तो धोना ज़रूरी है नहीं तो उस पर मसह कर लें और पूरी पट्टी पर मसह कर लें तो अच्छा है और अक्सर हिस्से पर ज़रूरी है और एक बार मसह काफ़ी है तकरार की ज़रूरीत नहीं और अगर पट्टी पर भी मसह न कर सकते हों तो ख़ाली छोड़ दें जब इतना आराम हो जाये कि पट्टी पर मसह करना नुक़सान न करे तो फ़ौरन मसह कर लें फिर जब इतना आराम हो जाये कि पट्टी पर से पानी बहाने में नुक़सान न हो तो पानी बहायें फिर जब इतना आराम हो जाये कि ख़ास उज़्व पर मसह कर सकता हो तो फ़ौरन पट्टी खोल कर मसह कर ले फिर जब इतनी सेहत हो जाये कि उज़्व पर पानी बहा सकता हो तो पट्टी खोल कर पानी बहाये। ग़र्ज़ आला पर जब कुदरत हासिल हो और जितनी हासिल होती जाये अदना पर इक्तिफ़ा जाइज़ नहीं यानी अगर पानी बहाने लाइक़ ज़ख़्म ठीक हो जाए तो पानी बहाए मसह जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– हड्डी के टूट जाने से तख़्ती बाँधी गई हो तो उसका भी यही हुक्म है।

मसअ्ला :– तख़्ती या पट्टी खुल जाये और अभी बाँधने की ज़रूरत हो तो फिर दोबारा मसह नहीं किया जायेगा बल्कि वही पहला मसह काफ़ी है और जो फिर बाँधने की ज़रूरत न हो तो मसह टूट गया अब उस जगह को धो सके तो धो लें नहीं तो मसह कर लें।

हैज़ का बयान

अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है :–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝

तर्जमा :– "ऐ महबूब तुमसे हैज़ के बारे में लोग सवाल करते हैं तुम फ़रमा दो वह गन्दी चीज़ है,तो हैज़ में औरतों से बचो और उनसे कुर्बत(हमबिस्तरी) न करो जब तक पाक न हो लें,तो जब पाक हो जायें उनके पास उस जगह से आओ जिसका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया बेशक अल्लाह दोस्त रखता है तौबा करने वालों को और दोस्त रखता है पाक होने वालों को।"

हदीस न.1 :– सहीह मुस्लिम में अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है फ़रमाते हैं कि यहूदियों में जब किसी औरत को हैज़(माहवरी) आता तो उसे न अपने साथ खिलाते और न अपने साथ घरों में रखते। सहाबा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा उस पर अल्लाह तआला ने وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ नाज़िल फ़रमाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिमा (हमबिस्तरी) के सिवा हर चीज़ करो। इस की ख़बर यहूदियों को पहुँची तो कहने लगे यह(नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम)हमारी हर बात के ख़िलाफ़ करना चाहते हैं। उस पर उसैद इब्ने हुज़ैर और इबाद इब्ने बिश्र रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने आकर अर्ज़ की कि यहूदी ऐसा ऐसा कहते हैं तो क्या हम उनसे जिमा न करें (कि पूरी मुख़ालफ़त हो जाये) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा बदल गया यहाँ तक कि हमको गुमान हुआ कि हुज़ूर ने उन दोनों पर ग़ज़ब फ़रमाया। वह दोनों चले गये उनके पीछे दूध का हदिया नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आया। हुज़ूर ने आदमी भेजकर उनको बुलवाया और दूध पिलाया तो वह समझे कि हुज़ूर ने उन पर ग़ज़ब नहीं फ़रमाया था।

हदीस न. 2:– सहीह बुख़ारी में है उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि हम हज के लिये निकले जब सरिफ़ (मक्का शरीफ़ के क़रीब एक जगह का नाम) में पहुँचे तो मुझे हैज़ आया तो मैं रो रही थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाये फ़रमाया तुझे क्या हुआ, क्या तुझे हैज़ आया?अर्ज़ की हाँ ! फ़रमाया यह एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह तआला ने आदम की लड़कियों के लिये लिख दिया है तू ख़ानए कअ्बा के तवाफ़ के सिवा सब कुछ अदा करे जिसे हज करने वाला अदा करता है और फ़रमाती है कि हुज़ूर ने अपनी बीवियों की तरफ़ से एक गाय कुर्बानी की।

हदीस न.3 :– बुख़ारी शरीफ़ में है कि उर्वा से सवाल किया गया क्या हैज़ वाली औरत मेरी ख़िदमत कर सकती है और क्या जुनुबी औरत मुझ से क़रीब हो सकती है ? उर्वा ने जवाब दिया यह सब मुझ पर आसान है और यह सब मेरी ख़िदमत कर सकती हैं और किसी पर उसमे कोई हर्ज नहीं। मुझे उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा ने ख़बर दी कि यह हैज़ की हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कंघा करतीं और हुज़ूर एअ्तिकाफ़ में थे अपने सर को उनसे क़रीब कर देते और यह अपने हुजूरे (कमरे) ही में होतीं।

हदीस न.4 :– उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि हैज़ के ज़माने में मैं पानी पीती फिर हुज़ूर को दे देती तो जिस जगह मेरा मुँह लगा होता हुज़ूर वहीं अपना मुँह रखकर पीते और हैज़ की हालत में हड्डी से गोश्त नोच कर मैं ख़ाती फिर हुज़ूर को दे देती तो हुज़ूर अपना मुँह उस जगह रखते जहाँ मेरा मुँह लगा होता।

हदीस न.5 :– बुख़ारी और मुस्लिम में उन्हीं से रिवायत है वह फ़रमाती हैं कि मैं हैज़ की हालत में होती और हुजूर मेरी गोद में तकिया लगाकर कुर्आन पढ़ते।

हदीस न.6 :– मुस्लिम में उन्हीं से रिवायत है वह फ़रमाती हैं कि हुजूर ने मुझ से फ़रमाया कि हाथ बढ़ा कर मस्जिद से मुसल्ला उठा देना। मैंने अ़र्ज़ किया मैं हैज़ की हालत में हूँ। हुजूर ने फ़रमाया तेरा हैज़ तेरे हाथ में नहीं।

हदीस न.7 :– बुख़ारी और मुस्लिम में उम्मुल मोमिनीन मैमूना रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम एक चादर में नमाज़ पढ़ते थे जिसका कुछ हिस्सा मुझ पर था और कुछ हुजूर पर और मैं हैज़ की हालत में थी।

हदीस न.8 :– तिर्मिज़ी और इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी हैज़ वाली से या औ़रत के पीछे मुक़ाम में जिमा (हमबिस्तरी) करे या काहिन के पास जाये उसने उस चीज़ का कुफ़रान (ख़िलाफ़) किया जो मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर उतारी गई।

हदीस न.9 :– रज़ीन की रिवायत में है कि मआ़ज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह ! मेरी औ़रत जब हैज़ में हो तो मेरे लिए क्या चीज़ उस से हलाल है?फ़रमाया तहबन्द यानी नाफ़ से ऊपर और उससे भी बचना बेहतर है।

हदीस न.10 :– असहाबे सुनने अरबा ने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब कोई शख़्स अपनी बीवी से हैज़ में जिमा करे तो आधा दीनार सदका करे। तिर्मिज़ी की दूसरी रिवायत उन्हीं से यूँ है कि फ़रमाया कि जब सुर्ख़ खून हो तो एक दीनार और ज़ब पीला हो तो आधा दीनार।

हैज़ की हिकमत :– बालिग़ा औ़रत के बदन में फ़ितरी तौर पर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा खून पैदा होता है कि हमल की हालत में वह खून बच्चे की ग़िज़ा में काम आये और बच्चे के दूध पीने के ज़माने में वही खून दूध हो जाये और ऐसा न हो तो हमल और दूध पिलाने के ज़माने में उसकी जान पर बन जाये। यही व़जह है कि हमल और शीरख़्वारगी (बच्चे के दूध पीने की हालत) की इब्तिदा में खून नहीं आता और जिस ज़माने में न हमल हो न दूध पिलाना वह खून अगर बदन से न निकले तो क़िस्म–क़िस्म की बीमारियाँ पैदा हो जायें।

हैज़ के मसाइल

मसअला:– बालिग़ा औरत के आगे के मक़ाम से जो खून आ़दत के तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने की वजह से न हो उसे **हैज़** कहते हैं, बीमारी से हो तो **इस्तिहाज़ा** और बच्चा होने के बाद हो तो **निफ़ास** कहते हैं।

मसअ्ला :– हैज़ की मुद्दत कम से कम तीन दिन तीन रातें यानी पूरे 72 घन्टे से अगर एक मिनट भी कम है तो हैज़ नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन दस रातें हैं।

मसअ्ला :– 72 घन्टे से ज़रा भी पहले ख़त्म हो जाये तो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। हाँ अगर किरन चमकी थी कि हैज़ शुरू हुआ और तीन दिन तीन रातें पूरी होकर किरन चमकने ही के वक़्त

ख़त्म हुआ तो हैज़ है अगर्चे दिन बढ़ने के ज़माने में तुलुअ् रोज़ बरोज़ पहले और गुरूब बाद को होता रहेगा और दिन छोटे होने के ज़माने में आफ़ताब का निकलना बाद को और डूबना पहले होता रहेगा जिसकी वजह से उन तीन दिन रात की मिक्दार 72 घन्टा होना ज़रूरी नहीं मगर ठीक तुलूअ् से तुलूअ् गुरूब से गुरूब तक ज़रूरी एक दिन एक रात है उनके अलावा अगर और किसी वक़्त शुरू हुआ तो वही चौबीस घन्टे पूरे का एक दिन रात लिया जायेगा। जैसे आज सुबह को ठीक नौ बजे शूरू हुआ और उस वक़्त पूरा पहर दिन चढ़ा था तो कल ठीक नौ बजे एक दिन रात होगा। अगर्चे अभी पूरे पहर भर दिन न आया जबकि आज का तुलूअ् कल के तुलूअ् से बाद हो या पहर भर से ज़्यादा दिन आ गया हो जबकि आज का तुलूअ् कल के तुलूअ् से पहले हो।

मसअ्ला :– दस दिन रात से कुछ भी ज़्यादा ख़ून आया तो अगर यह हैज पहली बार उसे आया है तो दस दिन तक हैज़ है और बाद का इस्तिहाज़ा और अगर पहले से उसे हैज़ आ चुके हैं और आदत दस दिन से कम की ही थी तो आदत से जितना ज़्यादा हो इस्तिहाज़ा है। इसे यूँ समझो कि उसको पाँच दिन की आदत थी अब आया दस दिन तो कुल हैज़ है और बारह दिन आया तो पाँच दिन हैज़ के बाक़ी सात दिन इस्तिहाज़ा के और अगर एक हालत मुक़र्रर न थी बल्कि कभी चार दिन कभी पाँच दिन तो पिछली बार जितने दिन थे वही अब भी हैज़ के हैं और बाक़ी इस्तिहाज़ा के

मसअ्ला :– यह ज़रूरी नहीं कि मुद्दत में हर वक़्त ख़ून जारी रहे तभी हैज़ हो बल्कि अगर किसी वक़्त भी आये तब भी हैज़ है।

मसअ्ला :– कम से कम नौ बरस की उ़म्र से हैज़ शुरू होगा और आख़िरी उ़म्र हैज़ आने की 55 साल है इस उ़म्र वाली औरत को आइसा और इस उ़म्र को सिने–अयास कहते हैं।

मसअ्ला :– नौ बरस की उ़म्र से पहले जो ख़ून आये इस्तिहाज़ा है यूँ ही पचपन साल की उ़म्र के बाद जो ख़ून आये इस्तिहाज़ा है ,हाँ पिछली सूरत में अगर ख़ालिस ख़ून आये या जैसा पहले आता था उसी रंग का आया तो हैज़ है।

मसअ्ला :– हमल वाली के जो ख़ून आया इस्तिहाज़ा है,ऐसे ही बच्चा होते वक़्त जो ख़ून आया और अभी आधे से ज़्यादा बच्चा बाहर नहीं निकला, वह इस्तिहाज़ा है।

मसअ्ला :– दो हैज़ों के बीच कम से कम पूरे पन्द्रह दिन का फ़ासिला ज़रूरी है ऐसे ही निफ़ास और हैज़ के दरमियान भी पन्द्रह दिन का फ़ासिला ज़रूरी है तो अगर निफ़ास ख़त्म होने के बाद पन्द्रह दिन पूरे न हुये थे कि ख़ून आया तो यह इस्तिहाज़ा है।

मसअ्ला :– हैज़ उस वक़्त से शुमार किया जायेगा कि ख़ून फ़र्ज (शर्मगाह)से बाहर आ गया तो अगर कोई कपड़ा रख लिया है जिसकी वजह से फ़र्ज से बाहर नहीं आया और अन्दर ही रुका रहा तो जब तक कपड़ा न निकालेगी वह हैज़ वाली न होगी, नमाज़ें पढ़ेगी और रोज़ा रखेगी।

मसअ्ला :– **हैज़ के छह रंग हैं** :– 1. काला 2. पीला 3. लाल 4.हरा 5.गदला 6.मटीला और सफ़ेद रंग की रतूबत हैज़ नहीं।

मसअ्ला :– दस दिन के अन्दर रतूबत में ज़रा भी मैलापन है तो वह हैज़ है और दस दिन रात के बाद भी मैलापन बाक़ी है तो आदत वाली के लिये जो दिन आदत के हैं हैज़ हैं और आदत से बाद

वाले इस्तिहाज़ा और अगर कुछ आदत नहीं तो दस दिन रात तक हैज़ है और बाक़ी इस्तिहाज़ा है।

मसअ्ला :– गद्दी जब तर थी तो उसमें ज़र्दी (पीलापन) या मैलापन था और सूख जाने के बाद सफ़ेद हो गई तो हैज़ की मुद्दत में हैज़ ही है और अगर जब देखा था सफ़ेद थी सूख कर पीली हो गई तो यह हैज़ नहीं।

मसअ्ला :– जिस औरत को पहली बार खून आया और उसका सिलसिला महीनों या बर्सों बराबर जारी रहा कि बीच में पन्द्रह दिन के लिये भी न रुका तो जिस दिन में खून आना शुरू हुआ उस रोज़ से दस दिन तक हैज़ और बीस दिन इस्तिहाज़ा के समझे और जब तक खून जारी रहे यही क़ाइदा बरते।

मसअ्ला :– और अगर उससे पहले हैज़ आ चुका है तो उससे पहले जितने दिन हैज़ के थे हर तीस दिन में उतने दिन हैज़ के समझे बाक़ी जो दिन बचे इस्तिहाज़ा है।

मसअ्ला :– जिस औरत को उम्र भर खून आया ही नहीं या आया मगर तीन दिन से कम आया तो उम्र भर वह पाक रही और अगर एक बार तीन दिन रात खून आया फ़िर कभी न आया तो वह सिर्फ़ तीन दिन रात हैज के हैं बाक़ी हमेशा के लिए पाक।

मसअ्ला :– जिस औरत को दस दिन खून आया उसके बाद साल भर तक पाक रही फ़िर बराबर खून जारी रहा तो वह उस ज़माने में नमाज़ रोज़े के लिये हर महीने में दस दिन हैज़ के समझे और बीस दिन इस्तिहाज़ा के।

मसअ्ला :– किसी औरत को एक बार हैज़ आया उसके बाद कम से कम पन्द्रह दिन तक पाक रही फिर खून बराबर जारी रहा और यह याद नहीं के पहले कितने दिन हैज़ के थे और कितने पाकी के मगर यह याद है कि महीने में एक ही बार हैज़ आया था तो इस बार जब से खून शुरू हुआ तीन दिन तक नमाज़ छोड़ दे फिर सात दिन तक हर नमाज़ के वक़्त में गुस्ल करे और नमाज़ पढ़े और इन दस दिनों में शौहर के पास न जाये। फिर बीस दिन तक हर नमाज़ के वक़्त ताज़ा वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े और दूसरे महीने में उन्नीस दिन वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े और उन बीस या उन्नीस दिनों में शौहर उसके पास जा सकता है, और जो यह भी याद न हो कि महीने में एक बार आया था या दो बार तो शुरू के तीन दिन में नमाज़ न पढ़े फिर सात दिन तक हर वक़्त में गुस्ल कर के नमाज़ पढ़े फिर आठ दिन तक हर वक़्त में वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े और सिर्फ़ उन आठ दिनों में शौहर उसके पास जा सकता है और उन आठ दिन के बाद भी तीन दिन तक हर वक़्त में वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े फिर सात दिन तक गुस्ल कर के और उसके बाद आठ दिन तक वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े और यही सिलसिला हमेशा जारी रखे ,और अगर तहारत के दिन याद हैं जैसे पन्द्रह दिन थे और बाक़ी कोई बात याद नहीं तो शुरू के तीन दिन तक नमाज़ न पढ़े फिर सात दिन तक हर वक़्त गुस्ल कर के नमाज़ पढ़े फिर आठ दिन वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े और उसके बाद फिर तीन दिन और वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े फिर चौदह दिन तक हर वक़्त गुस्ल कर के नमाज़ पढ़े फिर एक दिन वुज़ू हर वक़्त में करे और नमाज़ पढ़े फिर हमेशा के लिए जब तक खून आता रहे हर वक़्त गुस्ल करे, और अगर हैज़ के दिन याद हैं जैसे तीन दिन थे और तहारत के दिन याद न हों तो

शुरू के तीन दिन में नमाज़ छोड़ दे फिर अट्ठारह दिन तक हर वक़्त वुजू कर के नमाज़ पढ़े जिन में पन्द्रह पहले तो यक़ीनी तुहर (पाकी के)हैं और तीन दिन पिछले मशकूक (शक वाले) फिर हमेशा हर वक़्त गुस्ल कर के नमाज़ पढ़े। और अगर यह याद है कि महीने में एक ही बार हैज़ आया था और यह कि वह तीन दिन था मगर यह याद नहीं कि वह क्या तारीख़ें थीं तो हर माह के इब्तिदाई तीन दिनों में वुजू कर के नमाज़ पढ़े और सत्ताईस दिन तक हर वक़्त गुस्ल करे। यूँही चार दिन या पाँच दिन हैज़ के होना याद हों तो उन चार पाँच दिनों में वुजू करे बाक़ी दिनों में गुस्ल और अगर यह मालूम है कि आख़िर महीने में हैज़ आता था और तारीख़ें भूल गई तो सत्ताईस दिन वुजू कर के नमाज़ पढ़े और तीन दिन न पढ़े फिर महीना ख़त्म होने पर एक बार नहा ले, और अगर यह मालूम है कि इक्कीस से शूरू होता था और यह याद नहीं कि कितने दिन तक आता था तो बीस के बाद तीन दिन तक नमाज़ छोड़ दे। उसके सात दिन जो रह गये उनमें हर वक़्त गुस्ल कर के नमाज़ पढ़े और अगर यह याद है कि फुलाँ पाँच तारीख़ों में तीन दिन आया था मगर यह याद नहीं कि उन पाँच में वह कौन कौन दिन हैं तो दो पहले दिनों में वुजू कर के नमाज़ पढ़े और एक दिन बीच का छोड़ दे और उसके बाद के दो दिनों में हर वक़्त गुस्ल कर के पढ़े, और चार दिन में तीन दिन हैं तो पहले दिन वुजू कर के पढ़े और चौथे दिन हर वक़्त में गुस्ल कर के नमाज़ पढ़े और बीच के दो दिनों में न पढ़े और अगर छः दिनों में तीन दिन हों तो पहले तीन दिनों में वुज़ू कर के पढ़े पिछले तीन दिनों में हर वक़्त में गुस्ल कर के नमाज़ पढ़े। और अगर सात या आठ आ नौ या दस दिन में तीन दिन हों तो पहले तीन दिनों में वुजू और बाक़ी दिनों में हर वक़्त गुस्ल कर के नमाज़ पढ़े। खुलासा यह कि जिन दिनों हैज़ का यक़ीन हो और ठीक से यह याद न हो कि उनमें वह कौन से दिन हैं तो यह देखना चाहिये कि यह दिन हैज़ के दिनों से दूने हैं या दूने से कम या ज़्यादा अगर दूने से कम हों तो उन में जो दिन यक़ीनी हैज़ होने के हों उन में नमाज़ न पढ़े और जिनके हैज़ होने न होने दोनों का इहतिमाल हो (शुबह) हो वह अगर अव्वल के हों तो उनमें वुजू कर के नमाज़ पढ़े और अगर आख़िर के हों तो हर वक़्त में गुस्ल कर के नमाज़ पढ़े और अगर दूने या दूने से ज़्यादा हों तो हैज़ के दिनों के बराबर शुरू के दिनों में वुजू कर के नमाज़ पढ़े फिर हर वक़्त में गुस्ल कर के नमाज़ पढ़े और अगर याद न हों कि कितने दिन हैज़ के थे और कितने दिन पाकी के न यह कि महीने के शुरू के दस दिनों में था या बीच के दस दिन या आख़िर के दस दिनों में तो दिल में सोचे जिस तरफ़ दिल जमे उस पर पाबन्दी करे, और अगर किसी बात पर दिल नहीं जमता तो हर नमाज़ के लिये गुस्ल करे, और फ़र्ज़, व वाजिब और सुन्नते मुअक्कदा पढ़े मुस्तहब और नफ़्ल न पढ़े और फ़र्ज़ रोज़े रखे नफ़्ल रोज़े न रखे और उनके अलावा और जितनी बातें हैज़ वाली को जाइज़ नहीं उसको भी नाजाइज़ हैं जैसे क़ुर्आन पढ़ना या छूना मस्जिद में जाना और सजदए तिलावत वग़ैरा।

मसअला :– जिस औरत को न पहले हैज़ के दिन याद न यह याद कि किन तारीख़ों में आया था अब तीन दिन या ज़्यादा ख़ून आकर बन्द हो गया फिर पाकी के पन्द्रह दिन पूरे न हुए थे कि फिर ख़ून जारी हुआ और हमेशा को जारी हो गया तो उसका वही हुक्म है जैसे किसी को पहले पहल ख़ून आया और हमेशा को जारी हो गया ऐसी हालत में दस दिन हैज़ के शुमार करे फिर बीस दिन

तहारत के।

मसअ्ला :– जिसकी एक आदत मुकर्रर न हो कभी छः दिन हैज़ के हों और कभी सात दिन और अब जो खून आया तो बन्द होता ही नहीं तो उसके लिये नमाज़ रोज़े के हक़ में कम मुद्दत यानी छः दिन हैज़ के क़रार दिये जायेंगे और सातवें रोज़ नहा कर नमाज़ पढ़े और रोज़े रखे मगर सात दिन पूरे होने के बाद फिर नहाने का हुक्म है और सातवें दिन जो फ़र्ज़ रोज़ा रखा है उसकी क़ज़ा करे और इद्दत गुज़ारने या शौहर के पास रहने के बारे में ज़्यादा मुद्दत यानी सात दिन हैज़ के माने जायेंगें यानी सातवें दिन उससे हमबिस्तरी जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– किसी को एक दो दिन खून आकर बन्द हो गया और दस दिन पूरे न हुए कि फिर खून आया और दसवें दिन बन्द हो गया तो यह दसों दिन हैज़ के हैं और अगर दस दिन के बाद भी जारी रहा तो अगर आदत पहले की मालूम हो तो आदत के दिनों में हैज़ है और बाक़ी इस्तिहाज़ा नहीं तो दस दिन हैज़ के और बाक़ी इस्तिहाज़ा।

मसअ्ला :– किसी की आदत थी कि फुलाँ तारीख़ में हैज़ हो अब उससे एक दिन पहले खून आकर बन्द हो गया फिर दस दिन तक नहीं आया और ग्यारहवें दिन फ़िर आ गया तो खून न आने के जो यह दस दिन हैं उनमें से अपनी आदत के बराबर हैज़ क़रार दे और अगर तारीख़ तो मुक़र्रर थी मगर हैज़ के दिन मुक़र्रर न थे तो यह दसों दिन खून न आने के हैज़ हैं यानी खून न आने के जो दस दिन हैं वह हैज़ के दिन हैं।

मसअ्ला :– जिस औरत को तीन दिन से कम खून आ कर बन्द हो गया और पन्द्रह दिन पूरे न हुये फिर आ गया तो पहली बार जब से खून आना शुरू हुआ है हैज़ है अब अगर उसकी कोई आदत है तो आदत के बराबर हैज़ के दिन शुमार कर ले वर्ना शुरू से दस दिन तक हैज़ और पिछली बार का खून इस्तिहाज़ा होगा।

मसअ्ला :– किसी को पूरे तीन दिन रात खून आकर बन्द हो गया और उसकी आदत इस से ज़्यादा की थी फिर तीन दिन रात के बाद सफ़ेद रतूबत आदत के दिनों तक आती रही तो उस के लिए सिर्फ़ तीन ही दिन रात हैज़ के हैं और आदत बदल गई।

मसअ्ला :– तीन दिन रात से कम खून आया फिर पन्द्रह दिन तक पाक रही फिर तीन दिन रात से कम आया तो न पहली बार का हैज़ है और न यह, बल्कि दोनों इस्तिहाज़ा हैं।

निफ़ास का बयान

निफ़ास किस को कहते हैं यह हम पहले बयान कर चुके हैं अब उसके मुताल्लिक़ कुछ मसाइल बयान करते हैं।

मसअ्ला :– निफ़ास में कमी के बारे में कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं आधे से ज़्यादा बच्चा निकलने के बाद एक आन भी खून आया तो वह निफ़ास है और ज़्यादा से ज़्यादा उस का ज़माना चालीस दिन रात है और निफ़ास की मुद्दत का शुमार उस वक़्त से होगा कि आधे से ज़्यादा बच्चा निकल आया। इस बयान में जहाँ बच्चा होने का लफ़्ज़ आयेगा मतलब आधे से ज़्यादा बाहर आ जाना है।

मसअ्ला :– किसी को चालीस दिन से ज़्यादा खून आया तो अगर उस के पहली बार बच्चा पैदा

हुआ है या यह याद नहीं कि इस से पहले बच्चा पैदा होने में कितने दिन खून आया था तो चालीस दिन रात निफ़ास हैं और बाक़ी इस्तिहाज़ा और जो पहली आदत मालूम हो तो आदत के दिनों तक निफ़ास हैं और जितना ज़्यादा है वह इस्तिहाज़ा जैसे आदत तीस दिन की थी इस बार 45 दिन आया तो तीस दिन निफ़ास के हैं और पन्द्रह दिन इस्तिहाज़ा के।

मसअ्ला :– बच्चा पैदा होने से पहले जो खून आया वह निफ़ास नहीं है बल्कि इस्तिहाज़ा है अगर्चे बच्चा आधा बाहर आ गया हो।

मसअ्ला :– हमल साक़ित हो गया यानी बच्चा गिर गया और उसका कोई उज़्व (अंग) बन चुका है जैसे हाथ पाँव या उंगलियाँ तो यह निफ़ास है वरना अगर तीन दिन रात तक रहा और इस से पहले पन्द्रह दिन तक पाक रहने का ज़माना गुज़र चुका है तो हैज़ है और जो तीन दिन से पहले ही बन्द हो गया या अभी पूरे पन्द्रह दिन पाकी के नहीं गुज़रे हैं तो इस्तिहाज़ा है।

मसअ्ला :– पेट से बच्चा काट कर निकाला गया तो उसके आधे से ज़्यादा निकालने के बाद निफ़ास है।

मसअ्ला :– हमल साक़ित हाने से पहले कुछ खून आया और कूछ बाद को तो पहले वाला इस्तिहाज़ा है और बाद वाला निफ़ास यह उस सूरत में है जब कोई उज़्व बन चुका हो वर्ना पहले वाला अगर हैज़ हो सकता है तो हैज़ है नहीं तो इस्तिहाज़ा है।

मसअ्ला :– हमल साक़ित हुआ और यह मालूम नहीं कि उज़्व बना था या नहीं और न यह याद हो कि हमल कितने दिन का था (कि इसी से उज़्व का बनना या न बनना मालूम हो जाता यानी एक सौ बीस दिन हो गये हैं तो उज़्व बन जाना क़रार दिया जायेगा)और इस्क़ात (गर्भ गिर जाने) के बाद खून हमेशा को जारी हो गया तो उसे हैज़ के हुक्म में समझे कि हैज़ की जो आदत थी उसके गुज़रने के बाद नहा कर नमाज़ शुरू कर दे और आदत न थी तो दस दिन के बाद नहा कर नमाज़ पढ़े और बाक़ी वही अहकाम हैं जो हैज़ के अहकाम में लिखे गये है।

मसअ्ला :– जिस औरत के दो बच्चे जुड़वाँ पैदा हुये यानी दोनों के बीच छः महीने से कम ज़माना है तो पहला ही बच्चा पैदा होने के बाद से निफ़ास समझा जायेगा फिर अगर दूसरा चालीस दिन के अन्दर पैदा हुआ और खून आया तो पहले से चालीस दिन तक निफ़ास है फिर इस्तिहाज़ा और अगर चालीस दिन के बाद पैदा हुआ तो इस पिछले के बाद जो खून आया इस्तिहाज़ा है मगर दूसरे के पैदा होने के बाद भी नहाने का हुक्म दिया जायेगा।

मसअ्ला :– जिस औरत के तीन बच्चे पैदा हुये कि पहले और दूसरे में छः महीने से कम फ़ासला है। यूँही दूसरे और तीसरे में छः महीने का फ़ासला हो जब भी निफ़ास पहले ही से है फिर अगर चालीस दिन के अन्दर यह दोनों भी पैदा हो गये तो पहले के बाद से ज़्यादा से ज़्यादा चालीस दिन तक निफ़ास है और अगर चालीस दिन के बाद दूसरे और तीसरे बच्चे पैदा हुए तो तीसरे के बाद जो खून आयेगा यह इस्तिहाज़ा है मगर उनके बाद भी गुस्ल का हुक्म है।

मसअ्ला :– अगर दोनों में छः महीने या ज़्यादा का फ़ासला है तो दूसरे के बाद भी निफ़ास है।

मसअ्ला :– चालीस दिन के अन्दर कभी खून आया और कभी नहीं आया तो सब निफ़ास ही है अगर्चे पन्द्रह दिन का फ़ासिला हो जाये।

मसअ्ला :– इस के रंग के बारे में वही अहकाम हैं जो हैज़ में बयान हुए हैं।

हैज़ व निफ़ास के मुतअ़ल्लिक़ अह़काम

मसअ्ला :– हैज़ और निफ़ास वाली औ़रत को क़ुर्आन मजीद देखकर या ज़बानी पढ़ना और उसका छूना अगर्चे उसकी जिल्द या चोली या ह़ाशिये को हाथ या उंगली की नोक या बदन का कोई ह़िस्सा लगे यह सब ह़राम हैं।

मसअ्ला :– काग़ज़ के पर्चे पर कोई सूरह या आयत लिखी हो तो उसका भी छूना ह़राम है।

मसअ्ला :– जुज़दान में क़ुर्आन मजीद हो तो उस जुज़दान के छूने में ह़र्ज नहीं।

मसअ्ला :– इस ह़ालत में कुर्ते के दामन या दुपट्टे के आँचल से या किसी ऐसे कपड़े से जिसको पहने या ओढ़े हुये हो उससे क़ुर्आन मजीद छूना ह़राम है। ग़र्ज़ इस ह़ालत में क़ुर्आन मजीद और दीनी किताबें पढ़ने और छूने के बारे में वही सब अह़काम हैं जो उस शख़्स के बारे में हैं जिस पर नहाना फ़र्ज़ है और जिनका बयान गुस्ल के बाब में गुज़र चुका है।

मसअ्ला :– मुअ़ल्लिमा को हैज़ या निफ़ास हुआ तो एक एक कलिमा सांस तोड़–तोड़ कर पढ़ाये और हिज्जे कराने में कोई ह़र्ज नहीं।

मसअ्ला :– दुआये कुनूत पढ़ना उस ह़ालत में मकरूह है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका से लेकर बिल्कुफ़्फ़ारि मुल्ह़िक़ तक दुआए कुनूत है।

मसअ्ला :– क़ुर्आन मजीद के अ़लावा और तमाम अज़कार कलिमा शरीफ़ और दुरूद शरीफ़ वग़ैरा पढ़ना जाइज़ है मकरूह नहीं बल्कि मुस्तह़ब है और इन चीजों को वुज़ू या कुल्ली कर के पढ़ना बेहतर है और वैसे ही पढ़ लिया जब भी ह़र्ज नहीं और उनके छूने में भी ह़रज नहीं।

मसअ्ला :– ऐसी औ़रत को अज़ान का जबाब देना जाइज़ है।

मसअ्ला :– ऐसी औ़रत को मस्जिद में जाना ह़राम है।

मसअ्ला :– औ़रत अगर चोर या दरिन्दे से डर कर मस्जिद में चली गई तो जाइज़ है उसे चाहिए कि तयम्मुम कर ले यूँही मस्जिद में पानी रखा है या कुँआ है और पानी कहीं और नहीं मिलता तो तयम्मुम करके मस्जिद में जाना जाइज़ है।

मसअ्ला :– ईदगाह के अन्दर जाने में कोई ह़र्ज नहीं है।

मसअ्ला :– हाथ बढ़ाकर कोई चीज़ मस्जिद से लेना जाइज़ है।

मसअ्ला :– ख़ानाए कअ़बा के अन्दर जाना और उसका त़वाफ़ करना अगर्चे मस्जिदे ह़राम के बाहर से हो, उनके लिए ह़राम है।

मसअ्ला :– इस ह़ालत में रोज़ा रखना और नमाज़ पढ़ना ह़राम है।

मसअ्ला :– इन दिनों में नमाज़ें मुआफ़ हैं उनकी क़ज़ा भी नहीं और रोज़ों की क़ज़ा दूसरे दिनों में रखना फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– नमाज़ का आख़िर वक़्त हो गया और अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी कि हैज़ आया या बच्चा पैदा हुआ तो उस वक़्त की नमाज़ मुआफ़ हो गई, अगर्चे इतना तंग वक़्त हो गया हो कि उस नमाज़ की गुन्जाइश न हो।

मसअला :– नमाज़ पढ़ने में हैज़ आ गया या बच्चा पैदा हुआ तो वह नमाज़ मुआफ़ है अलबत्ता अगर नफ़्ल नमाज़ थी तो उसकी क़ज़ा वाजिब है।

मसअला :– नमाज़ के वक़्त में वुज़ू कर के उतनी देर तक ज़िक्रे इलाही दूरूद शरीफ़ और दूसरे वज़ीफ़े पढ़ लिया करे जितनी देर तक नमाज़ पढ़ा करती थी कि आ़दत रहे।

मसअला :– हैज़ वाली को तीन दिन से कम खून आकर बन्द हो गया तो रोज़े रखे और वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े नहाने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बा़द अगर पन्द्रह दिन के अन्दर खून आया तो अब नहाये और आ़दत के दिन निकाल कर बाक़ी दिनों की क़ज़ा पढ़े और जिसकी कोई आ़दत नहीं वह दस दिन के बा़द की नमाज़ें क़ज़ा करे। हाँ अगर आ़दत के दिनों के बा़द या बे–आ़दत वाली ने दस दिन के बा़द गुस्लकर लिया था तो इन दिनों की नमाज़ें हो गईं क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं और आ़दत के दिनों से पहले के रोज़ों की क़ज़ा करे और बा़द के रोज़े हर ह़ाल में हो गये।

मसअला :– जिस औरत को तीन दिन रात के बाद हैज़ बन्द हो गया और आ़दत के दिन अभी पूरे न हुए या निफ़ास का खून आ़दत पूरी होने से पहले बन्द हो गया तो बन्द होने के बाद ही गुस्ल करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे और आ़दत के दिनों का इन्तिज़ार न करे।

मसअला :– आ़दत के दिनों से खून आगे बढ़ गया तो हैज़ में दस और निफ़ास में चालीस दिन तक इन्तिज़ार करे,अगर इस मुद्दत के अन्दर बन्द हो गया तो अब से नहा धोकर नामज़ पढ़े और जो इस मुद्दत के बा़द भी जारी रहा तो नहाये और आ़दत के बा़द बाक़ी दिनों की क़ज़ा करे।

मसअला :– हैज़ या निफ़ा़स आ़दत के दिन पूरे होने से पहले बन्द हो गया तो आख़िर मुस्तह़ब वक़्त तक इन्तिज़ार करके नहा कर नमाज़ पढ़े और जो आ़दत के दिन पूरे हो चुके तो इन्तिज़ार की कोई ज़रूरत नहीं।

मसअला :– हैज़ पूरे दस दिन पर और निफ़ास पूरे चालीस दिन पर ख़त्म हुआ और नमाज़ के वक़्त में अगर इतना भी बाक़ी हो कि अल्लाहु अकबर का लफ़्ज़ कहे तो उस वक़्त की नमाज़ उस पर फ़र्ज़ हो गई। नहा कर उसकी क़ज़ा पढ़े और अगर उससे कम में बन्द हुआ और इतना वक़्त है कि जल्दी से नहाकर और कपड़े पहनकर एक बार अल्लाहु अकबर कह सकती है तो फ़र्ज़ हो गयी क़ज़ा करे वर्ना नहीं।

मसअला :– अगर पूरे दस दिन पर पाक हुई और इतना वक़्त रात का बाक़ी नहीं कि एक बार अल्लाहु अकबर कह ले तो उस दिन का रोज़ा उस पर वाजिब है और जो कम में पाक हुई और इतना वक़्त है कि सुबह़ सा़दिक़ होने से पहले नहा कर कपड़े पहन कर एक बार अल्लाहु अकबर कह सकती है तो रोज़ा फ़र्ज़ है अगर नहा ले तो बेहतर है नहीं तो बे नहाये नियत कर ले और सुबह़ को नहा ले और जो इतना वक़्त भी नहीं तो उस दिन का रोज़ा फ़र्ज़ न हुआ अलबत्ता रोज़ा दारों की त़रह रहना वाजिब है कोई बात ऐसी जो रोज़े के ख़िलाफ़ हो जैसे खाना पीना ह़राम है।

मसअला :– रोज़े की ह़ालत में हैज़ या निफ़ास शुरू हो गया तो वह रोज़ा जाता रहा उसकी क़ज़ा रखे अगर रोज़ा फ़र्ज़ था तो क़ज़ा फ़र्ज़ है और नफ़्ल था तो क़ज़ा वाजिब है।

मसअला :– हैज़ और निफ़ास की ह़ालत में सजदए शुक्र और सजदए तिलावत ह़राम है और आयते सजदा सुनने से उस पर सजदा वाजिब नहीं।

मसअ्ला :– अगर सोते वक़्त औरत पाक थी और सुबह को सोकर उठी तो हैज़ का असर देखा तो उसी वक़्त से हैज़ का हुक्म दिया जायेगा और इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी थी तो पाक होने पर उसकी क़ज़ा फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– हैज़ वाली सोकर उठी और गद्दी पर कोई निशान हैज़ का नहीं तो रात ही से पाक है नहा कर इशा की क़ज़ा पढ़े ।

मसअ्ला :– इस हालत में सोहबत हमबिस्तरी(सम्भोग)हराम है।

मसअ्ला :– ऐसी हालत में सोहबत को जाइज़ जानना कुफ़्र है और हराम समझ कर कर लिया तो सख़्त गुनहगार हुआ उस पर तौबा फ़र्ज़ है और हैज़ के आने के ज़माने में किया तो एक दीनार और ख़त्म होने के क़रीब किया तो आधा दीनार ख़ैरात करना मुस्तहब है।

मसअ्ला :– इस हालत में नाफ़ से घुटने तक औरत के बदन का अपने किसी उज़्व से छूना जाइज़ नहीं जबकि कपड़ा या किसी और चीज़ की रुकावट न हो शहवत से हो या बे शहवत और अगर ऐसा हाइल हो कि बदन की गर्मी महसूस न होगी तो कोई हर्ज नहीं।

मसअ्ला :– नाफ़ से ऊपर और घुटने से नीचे छूने या किसी और तरह का नफ़ा लेने में कोई हर्ज नहीं। यूँही चूमना भी जाइज़ है।

मसअ्ला :– अपने साथ खिलाना या एक साथ सोना जाइज़ है बल्कि इस वजह से साथ न सोना मकरूह है।

मसअ्ला :– इस हालत में औरत मर्द के बदन के हर हिस्से को हाथ लगा सकती है।

मसअ्ला :– अगर साथ सोने में शहवत के ज़्यादा होने और अपने को क़ाबू में न रख सकने का ख़तरा हो तो साथ न सोये और अगर ग़ालिब गुमान हो तो साथ सोना गुनाह है।

मसअ्ला :– हैज़ पूरे दस दिन पर ख़त्म हुआ तो पाक होते ही औरत से सोहबत करना जाइज़ है अगर्चे अब तक न नहाई हो मगर मुस्तहब यह है कि नहाने के बाद सोहबत करे।

मसअ्ला :– अगर औरत दस दिन से कम में पाक हुई तो जब तक कि नहा न ले या नमाज़ का वक़्त जिसमें वह पाक हुई गुज़र न जाये सोहबत जाइज़ नहीं और अगर वक़्त इतना नहीं था कि उसमें नहा कर कपड़े पहन कर अल्लाहु अकबर कह सके तो उसके बाद का वक़्त गुज़र जाये या नहा ले तो जाइज़ है वर्ना नहीं।

मसअ्ला :– आदत के दिन पूरे होने से पहले ही ख़त्म हो गया तो अगर्चे ग़ुस्ल कर ले सोहबत नाजाइज़ है जब तक कि आदत के दिन पूरे न हों जैसे किसी की आदत छह दिन की थी और इस बार पाँच ही दिन आया तो उसे हुक्म है कि नहा कर नमाज़ शुरू कर दे मगर सोहबत के लिए एक दिन और इन्तिज़ार करना वाजिब है।

मसअ्ला :– हैज़ से पाक हुई और पानी पर कुदरत नहीं कि ग़ुस्ल करे और ग़ुस्ल का तयम्मुम किया तो इससे सोहबत जाइज़ नहीं जब तक इस तयम्मुम से नमाज़ न पढ़ ले नमाज़ पढ़ने के बाद अगर्चे पानी पर क़ादिर होकर ग़ुस्ल न किया सोहबत जाइज़ है।

फ़ाइदा :– इन बातों में निफ़ास के वही अहकाम हैं जो हैज़ के हैं।

मसअ्ला :– निफ़ास में औरत का जच्चाख़ाने से निकलना जाइज़ है। उसको साथ खिलाने या

उसका झूठा खाने में हरज नहीं। हिन्दुस्तान में जो कुछ जगह उनके बर्तन तक अलग कर देती हैं बल्कि उनके बर्तनों को नापाक बर्तनों की तरह मसझती हैं यह ग़लत है यह हिन्दुओं की रस्में हैं ऐसी बेहूदा रस्मों से बचना ज़रूरी है। अकसर औरतों में यह रिवाज है कि जब तक चिल्ला पूरा न हो ले अगर्चे निफ़ास ख़त्म हो लिया हो न नमाज़ पढ़ें न अपने को नमाज़ के क़ाबिल जानें यह सरासर जिहालत है। जिस वक़्त निफ़ास ख़त्म हुआ उसी वक़्त से नहा कर नमाज़ शुरू कर दें अगर नहाने से बीमारी का पूरा अन्देशा हो तो तयम्मुम कर लें।

मसअ्ला :– बच्चा अभी आधे से ज़्यादा पैदा नहीं हुआ और नमाज़ का वक़्त जा रहा है और यह गुमान है कि आधे से ज़्यादा बाहर होने से पहले वक़्त ख़त्म हो जायेगा तो उस वक़्त की नमाज़ जिस तरह मुमकिन हो पढ़े और अगर खड़ी न हो सके, रुकूअ् और सजदा न कर सके तो इशारे से नमाज़ पढ़े और वुज़ू न कर सके तो तयम्मुम से पढ़े और अगर न पढ़ी तो गुनहागार हुई। तौबा करे और पाकी के बाद क़ज़ा पढ़े।

इस्तिहाज़ा का बयान

हदीस न.1 :– सहीहैन में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि फ़ातिमा बिन्ते अबी जैश रदियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह ! मुझे इस्तिहाज़ा आता है और पाक नहीं रहती तो क्या नमाज़ छोड़ दूँ ? फ़रमाया नहीं यह तो रग का खून है हैज़ नहीं तो जब हैज़ के दिन आयें तो नमाज़ छोड़ दे और जब जाते रहें खून धो और नमाज़ पढ़।

हदीस न.2 :– अबू दाऊद और नसई की रिवायत में फ़ातिमा बिन्ते अबी जैश रदियल्लाहु तआला अन्हा से यूँ है कि उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब हैज़ का खून हो तो काला होगा और पहचान में आयेगा जब यह हो तो नमाज़ से बचो और जब दूसरी तरह का हो तो वुज़ू करो और नमाज़ पढ़ो कि वह रग का खून है।

हदीस न.3 :– इमामे मालिक व अबू दाऊद व दारमी की रिवायत में है कि एक औरत के खून बहता रहता उसके लिए उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फ़तवा पूछा। इरशाद फ़रमाया कि इस बीमारी से पहले महीने में जितने दिन रातें हैज़ आता था उनकी गिनती शुमार करे,महीने में उन्हीं की मिक़दार नमाज़ छोड़ दे और जब वह दिन जाते रहें तो नहाये और लंगोट बाँध कर नमाज़ पढ़े।

हदीस न.4 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी की रिवायत है इरशाद फ़रमाया जिन दिनों में हैज़ आता था उनमें नमाज़ें छोड़ दे फिर नहाये और हर नमाज़ के वक़्त वुज़ू करे और रोज़ा रखे और नमाज़ पढ़े।

इस्तिहाज़ा के अहकाम

इस्तिहाज़ा में न नमाज़ मुआफ़ है न रोज़ा और न ऐसी औरत से सोहबत हराम है।

माज़ूर के मसाइल

मसअ्ला :– इस्तिहाज़ा अगर इस हद तक पहुँच गया कि उसको इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वुज़ू कर के फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर सके तो नमाज़ का पूरा एक वक़्त शुरू से आख़िर तक इसी हालत में गुज़र जाने पर उसको माज़ूर और मजबूर कहा जायेगा। एक वुज़ू से उस वक़्त में जितनी

नमाज़ें चाहे पढ़े खून आने से उसका वुजू न जायेगा।
मसअ्ला :– मगर कपड़ा वग़ैरा रख कर इतनी देर तक खून रोक सकती है कि वुजू करके फ़र्ज़ पढ़ ले तो उसका माज़ूर होना साबित न होगा।
मसअ्ला :– हर वह शख़्स जिसको ऐसी कोई बीमारी है कि एक वक़्त पूरा ऐसा गुज़र गया कि वुज़ू के साथ नमाज़े फ़र्ज़ अदा न कर सका वह माज़ूर है उसका भी यही हुक्म है कि वक़्त में वुजू कर ले और आख़िर वक़्त तक जितनी नमाज़ें चाहे उस वुजू से पढ़े। उस बीमारी से उसका वुजू नहीं जाता जैसे क़तरे का मर्ज़ या दस्त आना या हवा ख़ारिज होना या दुखती आँख से पानी गिरना या फ़ोड़े या नासूर से हर वक़्त रतूबत बहना या कान,नाफ़ या छाती से पानी निकलना कि ये सब बीमारियाँ वुजू तोड़ने वाली हैं उनमें जब पूरा एक वक़्त ऐसा गुज़र गया कि हर चन्द कोशिश की मगर तहारत के साथ नमाज़ न पढ़ सका तो यह मज़बूरी होगी और माजूर समझा जायेगा।
मसअ्ला :– जब उ़ज़्र साबित हो गया तो जब तक हर वक़्त में एक एक बार भी यह चीज़ पाई जाये माज़ूर ही रहेगा जैसे औरत को एक वक़्त तो इस्तिहाज़ा ने तहारत की मोहलत नहीं दी अब इतना मौक़ा मिलता है कि वुजू कर के नमाज़ पढ़ ले मगर अब भी एक आध बार हर वक़्त में खून आ जाता है तो अब भी माज़ूर है। यूँही तमाम बीमारीयों में। और जब पूरा वक़्त गुज़र गया और खून नहीं आया तो अब माज़ूर न रहीं जब फिर कभी पहली हालत पैदा हो जाये तो फिर माज़ूर है उसके बाद फिर अगर पूरा वक़्त ख़ाली गया तो उ़ज़्र जाता रहा।
मसअ्ला :– नमाज़ का कुछ वक़्त ऐसी हालत में गुज़रा कि उ़ज़्र न थ और नमाज़ न पढ़ी और अब पढ़ने का इरादा किया तो इस्तिहाज़ा या बीमारी से वुजू जाता रहता है ग़र्ज़ यह बाक़ी वक़्त ऐसे ही गुज़र गया और इसी हालत में नमाज़ पढ़ ली तो अब इसके बाद का वक़्त भी पूरा अगर इसी इस्तिहाज़ा या बीमारी में गुज़र गया तो वह पहली भी हो गई और इस वक़्त इतना मौक़ा मिला कि वुजू कर के फ़र्ज़ पढ़ ले तो पहली नमाज़ को लौटाये।
मसअ्ला :– खून बहते में वुजू किया और वुजू के बाद खून बन्द हो गया और उसी वुजू से नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो दूसरा वक़्त आया वह भी पूरा गुज़र गया कि खून न आया तो पहली नमाज़ को लौटाये यूँही अगर नमाज़ में बन्द हुआ और उसके बाद दूसरे में बिल्कुल न आया जब भी नमाज़ लौटाये।
मसअ्ला :– फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त जाने से माज़ूर का वुजू टूट जाता है जैसे किसी ने अ़स्र के वक़्त वुजू किया था तो आफ़ताब के डूबते ही वुजू जाता रहा और अगर किसी ने आफ़ताब निकलने के बाद वुजू किया तो जब तक ज़ोहर का वक़्त ख़त्म न हो वुजू न जायेगा कि अभी तक किसी फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त नहीं गया।
मसअ्ला :– वुजू करते वक़्त वह चीज़ नहीं पाई गई जिसकी वजह से वह माज़ूर है और वुजू के बाद भी न पाई गई यहाँ तक कि बाक़ी पूरा वक़्त नमाज़ का ख़ाली गया तो वक़्त के जाने से वुजू नहीं टूटा। यूँही अगर वुजू से पहले पाई गई मगर न वुजू के बाद बाक़ी वक़्त में पाई गई न उसके बाद दूसरे वक़्त में तो वक़्त जाने से वुजू न टुटेगा।
मसअ्ला :– और अगर उस वक़्त में वुजू से पहले वह चीज़ पाई गई और वुज़ू के बाद भी वक़्त में

पाई गई या वुज़ू के अन्दर पाई गई और वुज़ू के बाद उस वक़्त में न पाई गई मगर बाद वाले में
पाई गई तो वक़्त ख़त्म होने पर वुज़ू जाता रहेगा अगर्चे वह हदस न पाया जाये।

मसअला :– माज़ूर का वुज़ू उस चीज़ से नहीं जाता जिसकी वजह से माज़ूर है हाँ अगर कोई
दूसरी चीज़ वूज़ू तोड़ते वाली पाई गई तो वुज़ू जाता रहा जिसको क़तरे का मर्ज़ है, हवा निकलने
से वुज़ू जाता रहेगा और जिसको हवा निकलने का मर्ज़ है, क़तरे से वुज़ू जाता रहेगा ।

मसअला :– माज़ूर ने किसी हदस के बाद वुज़ू किया और वूज़ू करते वक़्त वह चीज़ नहीं है जिसके
सबब माज़ूर है फिर वूज़ू के बाद वह उज़्र वाली चीज़ पाई तो वुज़ू जाता रहा जैसे इस्तिहाज़ा
वाली ने पाख़ाना पेशाब के बाद वुज़ू किया और वुज़ू करते वक़्त ख़ून बन्द था वुज़ू के बाद
आया तो वुज़ू टूट गया और अगर वुज़ू करते वक़्त वह उज़्र वाली चीज़ भी पाई जाती थी तो अब
वुज़ू की ज़रूरत नहीं।

मसअला :– माज़ूर के एक नथने से ख़ून आ रहा था और वुज़ू के बाद दूसरे नथने से आया तो
वुज़ू जाता रहा या एक ज़ख़्म बह रहा था अब दूसरा बहा यहाँ तक कि चेचक के एक दाने से पानी
आ रहा था अब दूसरे दाने से आया तो वुज़ू टूट गया।

मसअला :– अगर किसी तरकीब से उज़्र जाता रहे या उसमें कमी हो जाये तो उस तरकीब का
करना फ़र्ज़ है जैसे खड़े होकर पढ़ने से ख़ून बहता है और बैठ कर पढ़े तो न बहेगा ते बैठ कर
पढ़ना फ़र्ज़ है।

मसअला :– माज़ूर को ऐसा उज़्र है जिसके सबब कपड़े नजिस हो जाते हैं तो अगर एक दिरहम से
ज़्यादा नजिस हो गया और यह जानता है कि इतना मौक़ा है कि उसे धोकर पाक कपड़े से नमाज़
पढ़ लेगा तो धो कर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है और अगर जानता है कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते फिर उतना
ही नजिस हो जायेगा तो धोना ज़रूरी नहीं उसी से पढ़े अगर्चे मुसल्ले पर भी नजासत लग जाये
कुछ हरज नहीं और अगर दिरहम के बराबर है तो पहली सूरत में धोना वाजिब और दिरहम से
कम है तो सुन्नत और दूसरी सूरत में न धोने में कोई हरज नहीं।

मसअला :– इस्तिहाज़ा वाली औरत अगर गुस्ल करके ज़ोहर की नमाज़ आख़िर वक़्त में और अस्र
की नमाज़ वुज़ू करके अव्वले वक़्त में और मग़रिब की नमाज़ गुस्ल करके आख़िर वक़्त में और इशा
की नमाज़ वुज़ू कर के अव्वले वक़्त में पढ़े और फ़ज्र की भी गुस्ल करके पढ़े तो बेहतर है और
तअज्जुब नहीं कि यह अदब जो हदीस में इरशाद हुआ है उस पर अमल की बरकत से उसके मर्ज़
को भी फ़ाइदा पहुँचे।

मसअला :– किसी ज़ख़्म से ऐसी रतूबत निकले कि बहे नहीं तो न उसकी वजह से वुज़ू टूटे न
माज़ूर हो और न वह रतूबतें नापाक है।

नजासतों का बयान

हदीस न.1:– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में असमा बिन्ते अबूबक रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी
कि एक औरत ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह! हम में जब किसी के कपड़े को हैज़ का ख़ून लग
जाये तो क्या करें ? फ़रमाया जब तुम में से किसी के कपड़े को हैज़ का ख़ून लग जाये तो उसे
खुर्चे फिर पानी से धोये तब उसमें नमाज़ पढ़े ।

हदीस न.2 :– सहीहैन में है कि उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को मैं धोती फिर हुजूर नमाज़ को तशरीफ़ ले जाते और धोने का निशान उसमें होता।

हदीस न.3 :– मुस्लिम शरीफ़ में है कि सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कपड़े को मल डालती फिर हुजूर उसमें नमाज़ पढ़ते।

हदीस न.4 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं चमड़ा जब पका लिया जाए,पाक हो जाएगा।

हदीस न.5 :– इमामे मालिक उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फ़रमाया कि मुर्दार की खालें जब कि पका ली जायें तो उन्हें काम में लाया जाये।

हदीस न.6 :– इमामे अहमद, अबू दाऊद और नसई ने रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दरिन्दों की खाल से मना फ़रमाया है।

हदीस न.7 :– दूसरी रिवायत में है कि उनके पहनने और उन पर बैठने से मना फ़रमाया है।

नजासतों के मुतअल्लिक अहकाम

नजासत दो किस्म की हैं। एक वह जिसका हुक्म सख़्त है उसको **ग़लीज़ा** कहते हैं। दूसरी वह जिसका हुक्म हल्का है उसे **ख़फ़ीफ़ा** कहते है।

मसअ्ला :– नजासते ग़लीज़ा का हुक्म यह है कि अगर कपड़े या बदन में एक दिरहम से ज़्यादा लग जाये तो उसका पाक करना फ़र्ज़ है अगर बे पाक किये नमाज़ पढ़ ली तो होगी ही नहीं और अगर जान बूझकर पढ़ी तो गुनाह भी हुआ और अगर इस्तिख़्फ़ाफ़ (हलका समझना) की नियत से है तो कुफ़्र है। और अगर दिरहम के बराबर है तो पाक करना वाजिब है अगर बे पाक किये नमाज़ पढ़ी तो मकरूहे तहरीमी हुई यानी ऐसी नमाज़ का लौटाना वाजिब है और जान बूझ कर पढ़ी तो गुनाहगार भी हुआ अगर दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है कि बे पाक किये नमाज़ हो गई मगर सुन्नत के ख़िलाफ़ है और उसका लौटाना बेहतर है।

मसअ्ला :– अगर नजासत गाढ़ी है जैसे पाख़ाना लीद या गोबर तो दिरहम के बराबर या कम या ज़्यादा के मअ्ना यह हैं कि वज़न में उस के बराबर या कम या ज़्यादा हो और दिरहम का वज़न इस जगह शरीअत में साढ़े चार माशे और ज़कात में तीन माशा $1\frac{1}{5}$ रत्ती है और अगर पतली है जैसे आदमी का पेशाब और शराब तो दिरहम से मुराद उसकी लम्बाई चौड़ाई है और शरीअत ने उसकी मिक़दार हथेली की गहराई के बराबर बताई यानी हथेली खूब फैला कर बराबर रखें और उस पर आहिस्ता से इतना पानी डालें कि उससे ज़्यादा पानी न रुक सके अब पानी का जितना फैलाव है उतना बड़ा दिरहम समझा जाये और उसकी मिक़दार तक़रीबन यहाँ के रुपये के बराबर है।

मसअला :– नजिस तेल कपड़े पर गिरा और उस वक़्त दिरहम के बराबर न था फिर फैल कर

दिरहम के बराबर हो गया तो उस में उ़लमा को बहुत इख़्तिलाफ़ है लेकिन तरजीह इस बात में है कि पाक करना वाजिब हो गया।

मसअ्ला :– नजासते ख़फ़ीफ़ा का यह हुक्म है कि कपड़े के जिस हिस्से या बदन के जिस उज़्व में नजासत लगी है अगर उसकी चौथाई से कम है (जैसे दामन में लगी है तो दामन की चौथाई से कम,आस्तीन में लगी है तो आस्तीन की चौथाई से कम और ऐसे ही हाथ में हाथ की चौथाई से कम है) तो माफ़ है कि उस से नमाज़ हो जायेगी और अगर पूरी चौथाई में हो तो बे धोये नमाज़ न होगी।

मसअ्ला :– नजासते ग़लीज़ा और ख़फ़ीफ़ा के जो अलग–अलग हुक्म बताये गये यह उसी वक़्त है कि बदन या कपड़े में लगे और अगर किसी पतली चीज़ जैसे पानी या सिरका में गिरे तो चाहे ग़लीज़ा हो या ख़फ़ीफ़ा कुल नापाक हो जायेगा अगर्चे एक क़तरा गिरे जब तक वह पतली चीज़ कसरत की ह़द पर यानी दह–दर–दह न हो। दह–दर–दह का मत़लब यह है कि लम्बाई दस हाथ और चौड़ाई दस हाथ हो (यानी जिसका क्षेत्रफ़ल सौ हाथ हो)और गहराई इतनी हो कि ज़मीन न खुले।

मसअ्ला :– इन्सान के बदन से जो ऐसी चीज़ निकले कि उससे ग़ुस्ल या वुज़ू वाजिब हो नजासते ग़लीज़ा है जैसे पाख़ाना,पेशाब बहता ख़ून,पीप,भर मुँह कै,हैज़ निफ़ास,इस्तिहाज़ा का ख़ून,मनी, मज़ी और वदी।

मसअ्ला :– शहीदे फ़िक़ही (यानी वह शहीद जिसे ग़ुस्ल नहीं दिया जाता) उसका ख़ून जब तक उसके बदन से जुदा न हो पाक है।

मसअ्ला :– दुखती आँख से जो पानी निकले नजासते ग़लीज़ा है यूँही नाफ़ या पिस्तान से दर्द के साथ पानी निकले नजासते ग़लीज़ा है।

मसअ्ला :– बलग़मी रतूबत नाक या मुँह से निकले नजिस नहीं अगर्चे पेट से चढ़े या बीमारी के सबब हो।

मसअ्ला :– दूध पीते लड़के लड़की का पेशाब नजासते ग़लीज़ा है। यह जो अक्सर अ़वाम में मशहूर है कि दूध पीते बच्चों का पेशाब पाक है बिल्कुल ग़लत है।

मसअ्ला :– दूध पीने वाले बच्चे ने दूध डाल दिया अगर भर मुँह है तो नजासते ग़लीज़ा है।

मसअ्ला :– ख़ुश्की के हर जानवर का बहता ख़ून, मुर्दार का गोश्त और चर्बी (यानी वह जानवर जिसमें बहता हुआ ख़ून होता है अगर शरई त़ौर पर ज़िबह़ किये बग़ैर मर जाये मुर्दार है अगर्चे ज़िबह़ किया गया हो जैसे मजूसी या बुत परस्त या मुरतद का ज़बह़ किया हुआ जानवर अगर्चे उसने ह़लाल जानवर जैसे बकरी वग़ैरह को ज़िबह़ किया हो उसका गोश्त पोस्त सब नापाक हो गया और अगर ह़राम जानवर शरई त़ौर पर ज़बह़ कर लिया गया तो उसका गोश्त पाक हो गया अगर्चे ख़ाना ह़राम है ख़िन्ज़ीर कि वह नजिसुल ऐन है किसी तरह पाक नहीं हो सकता।)ह़राम चौपाये जैसे कुत्ता,शेर, लोमड़ी,बिल्ली,चूहा,गधा,ख़च्चर,हाथी और सुअर का पाख़ाना, पेशाब और घोड़े की लीद और हर ह़लाल चौपाय का पाख़ाना जैसे गाय भैंस का गोबर,बकरी ऊँट की मेंगनी ओर जो परिन्दा कि ऊँचा न उड़े उसकी बीट जैसे मुर्गी और बत्तख़ चाहे छोटी हो या बड़ी और हर

क़िस्म की शराब और नशा लाने वाली ताड़ी और सेंधी और साँप का पाख़ाना पेशाब और उस जंगली साँप और मेंढक का गोश्त जिनमें बहता ख़ून होता है अगर्चे ज़िबह किये गये हों यूँही उनकी खाल अगर्चे पका ली गई हो और सुअर का गोश्त हड्डी और बाल अगर्चे ज़िबह किया गया हो यह सब निजासते ग़लीज़ा हैं।

मसअ्ला :— छिपकली या गिरगिट का ख़ून नजासते ग़लीज़ा है।

मसअ्ला :— अंगूर का शीरा कपड़े पर पड़ा तो अगर्चे कई दिन गुज़र जायें कपड़ा पाक है।

मसअ्ला :— हाथी की सूँड की रतूबत और शेर,कुत्ते, चीते और दूसरे दरिन्दे चौपायों का लुआ़ब नजासते ग़लीज़ा है।

मसअ्ला :— जिन जानवरों का गोश्त ह़लाल है जैसे गाय,बैल,भैंस बकरी और ऊँट वग़ैरा उनका पेशाब और घोड़े का पेशाब और जिस परिन्द का गोश्त ह़राम है चाहे शिकारी हों या नहीं जैसे कौआ,चील शिकरा, बाज़ बहरी उसकी बीट नजासते ख़फ़ीफ़ा है।

मसअ्ला :— चमगादड़ की बीट और पेशाब दोनों पाक हैं।

मसअ्ला :— जो परिन्द ह़लाल ऊँचे उड़ते हैं जैसे कबूतर,मैना,मुर्ग़ाबी और क़ाज़ उनकी बीट पाक है।

मसअ्ला :— हर चौपाये की जुगाली का वही हुक्म है जो उसके पाख़ाने का है।

मसअ्ला :— हर जानवर के पित्ते का वही हुक्म है जो उसके पेशाब का है। ह़राम जानवरों का पित्ता नजासते ग़लीज़ा और ह़लाल जानवरों का नजासते ख़फ़ीफ़ा है।

मसअ्ला :— नजासते ग़लीज़ा अगर ख़फ़ीफ़ा में मिल जाये तो कुल ग़लीज़ा है।

मसअ्ला :— मछली और पानी के दूसरे जानवरों और खटमल और मच्छर का ख़ून और ख़च्चर और गधे का लुआ़ब और पसीना पाक है।

मसअ्ला :— पेशाब की निहायत बारीक छींटे सुई की नोंक बराबर की बदन या कपड़े पर पड़ जायें तो कपड़ा और बदन पाक रहेगा।

मसअ्ला :— जिस कपड़े पर ऐसी ही पेशाब की बारीक छींटें पड़ गईं अगर वह कपड़ा पानी में पड़ गया तो पानी भी नापाक न होगा।

मसअ्ला :— जो ख़ून ज़ख़्म से बहा न हो वह पाक है।

मसअ्ला :— गोश्त,तिल्ली और कलेजी में जो ख़ून बाक़ी रह गया पाक है और अगर यह चीज़ें बहते ख़ून में सन जायें तो नापाक हैं,बग़ैर धोये पाक न होंगी।

मसअ्ला :— जो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ हो उसको गोद में लेकर नमाज़ पढ़ी अगर्चे उसको गुस्ल दे लिया हो नमाज़ न होगी और अगर ज़िन्दा पैदा होकर मर गया और बे नहलाये गोद में लेकर नमाज़ पढ़ी जब भी न होगी। हाँ अगर उसको गुस्ल दे कर गोद में लिया था तो हो जायेगी मगर मुस्तह़ब के ख़िलाफ़ है। यह बातें उस वक़्त हैं कि मुसलमान का बच्चा हो और काफ़िर का मुर्दा बच्चा है तो किसी ह़ाल में नमाज़ न होगी गुस्ल दिया हो या नहीं।

मसअ्ला :— अगर नमाज़ पढ़ी और जेब वग़ैरह में शीशी है और उसमें पेशाब या ख़ून या शराब है तो नमाज़ न होगी और जेब में अंडा है और उसकी ज़र्दी ख़ून हो चूकी है तो नमाज़ हो जायेगी।

मसअला :– रुई का कपड़ा उधेड़ा गया और उसके अन्दर चूहा सूखा हूआ मिला तो अगर उसमें सूराख़ है तो तीन दिन तीन रातों की नमाज़ें लौटाये और न हो तो जितनी नमाज़ें उससे पढ़ी हैं सब को लौटाये।

मसअला :– किसी कपड़े या बदन पर चन्द जगह नजासते ग़लीज़ा लगी और किसी जगह दिरहम के बराबर नहीं मगर सब को मिलाकर दिरहम के बराबर है तो दिरहम के बराबर समझी जायेगी और ज़्यादा है तो ज़्यादा और नजासते ख़फ़ीफ़ा में भी मजमुआ (कुल)पर ही हुक्म दिया जायेगा।

मसअला :– हराम जानवरों का दूध नजिस है अलबत्ता घोड़ी का दूध पाक है मगर खाना जाइज़ नहीं

मसअला :– चूहे की मेंगनी गेहूँ में मिलकर पिस गई या तेल में पड़ गई तो आटा और तेल पाक है और हाँ अगर मज़े में फ़र्क आ जाये तो नजिस है और अगर रोटी के अन्दर मिली तो उसके आस पास से थोड़ी सी अलग कर दें बाक़ी में कोई हर्ज नहीं।

मसअला :– रेशम के कीड़े की बीट और उसका पानी पाक है।

मसअला :– नापाक कपड़े में पाक कपड़ा या पाक में नापाक कपड़ा लपेटा और उस नापाक कपड़े से यह पाक कपड़ा नम हो गया तो नापाक न होगा बशर्ते कि नजासत का रंग या बू उस पाक कपड़े में ज़ाहिर न हो वर्ना नम हो जाने से भी नापाक हो जायेगा। हाँ अगर भीग जाये तो नापाक हो जायेगा और यह उसी सूरत में है कि यह नापाक कपड़ा पानी से तर हुआ हो और अगर पेशाब या शराब की तरी उसमें है तो वह पाक कपड़ा नम हो जाने से भी नजिस हो जायेगा और अगर नापाक कपड़ा सूखा था और पाक तर था और उस पाक की तरी से वह नापाक तर हो गया और उस नापाक को इतनी तरी पहुँची कि उससे छूट कर इस पाक को लगी तो यह नापाक हो गया वर्ना नहीं।

मसअला :– भीगे हुए पाँव नजिस ज़मीन या बिछौने पर रखे तो नापाक न होंगे अगर्चे पाँव की तरी का उस पर धब्बा मालूम हो अगर उस ज़मीन या बिछौने को इतनी तरी पहूँची कि उसकी तरी पांव को लगी तो पाँव नजिस हो जायेंगे।

मसअला :– भीगी हुई नापाक ज़मीन या नजिस बिछौने पर सूखे हुये पाँव रखे और पाँव में तरी आ गई तो नजिस हो गये और सील है तो नहीं।

मसअला :– जिस जगह को गोबर से लेसा और वह सूख गई तो भीगा कपड़ा उस पर रखने से नजिस न होगा जब तक कपड़े की तरी उसे इतनी न पहुँचे कि उससे छूट कर कपड़े को लगे।

मसअला :– नजिस कपड़ा पहनकर या नजिस बिछौने पर सोया और पसीना आया अगर पसीने से कपड़े की वह नापाक जगह भीग गई फिर उससे बदन तर हो गया तो नापाक हो गया वरना नहीं।

मसअला :– नापाक चीज़ पर हवा होकर गुज़री और बदन या कपड़े को लगी तो नापाक न होगा।

मसअला :– नापाक चीज़ का धुआँ कपड़े या बदन को लगे तो नापाक नहीं ऐसे ही नापाक चीज़ के जलाने से जो धुँए (भाप) उठे उनसे भी नजिस न होगा अगर्चे उनसे कपड़ा भीग जाये। हाँ अगर नजासत का असर उसमें ज़ाहिर हो तो नजिस हो जायेगा।

मसअला :– उपले का धुआँ अगर रोटी में लगे तो रोटी नापाक न हुई।

मसअला :– कोई नजिस चीज़ दह–दर–दह पानी में फेंकी और उस फेंकने की वजह से पानी की छींटें कपड़े पर पड़ीं तो कपड़ा नजिस न होगा। हाँ अगर मालूम हो कि यह छींटें उस नजिस चीज़

की हैं तो इस सूरत में नजिस हो जायेगा।

मसअला :– अगर पाख़ाने पर से मक्खियाँ उड़ कर कपड़े पर बैठीं तो कपड़ा नजिस न होगा!

मसअला :– रास्ते की कीचड़ पाक है जब तक उसका नजिस होना मालूम न हो तो अगर पाँव या कपड़े में लगी और बे धोये नमाज़ पढ़ ली तो हो गयी मगर धो लेना बेहतर है।

मसअला :– सड़क पर पानी छिड़का जा रहा था और ज़मीन से छींटें उड़ कर कपड़े पर पड़ीं तो कपड़ा नजिस न हुआ मगर धो लेना बेहतर है।

मसअला :– आदमी की खाल अगर्चे नाख़ून बराबर थोड़े पानी (यानी दह–दर–दह से कम में)पड़ जाये तो वह पानी नापाक हो गया और खुद नाख़ून गिर जाये नापाक नहीं।

मसअला :– पेशाब पाख़ाने के बाद ढेले से इस्तिन्जा कर लिया फिर उस जगह से पसीना निकल कर कपड़े या बदन में लगा तो बदन और कपड़े नापाक न होंगे।

मसअला :– अगर पाक मिट्टी में नापाक पानी मिलाया तो नजिस हो गई।

मसअला :– अगर पाक मिट्टी में नापाक भुस मिलाया तो अगर थोड़ा हो पाक है और जो ज़्यादा हो तो जब तक सूख न जाये नापाक है।

मसअला :– कुत्ता बदन या कपड़े से छू जाये तो अगर्चे उसका जिस्म तर हो बदन और कपड़ा पाक है हाँ अगर उस के बदन पर नजासत लगी हो तो और बात है और अगर उसका लुआब लगे नापाक कर देगा।

मसअला :– कुत्ता वग़ैरा किसी ऐसे जानवर ने जिसका लुआब नापाक है आटे में मुहँ डाला तो अगर गुंधा हुआ था तो जहाँ उसका मुहँ पड़ा उसको अलग कर दें और बाक़ी पाक है और सूखा तो जितना तर हो गया वह फेंक दें।

मसअला :– इस्तिमाल किया हुआ पानी पाक है और नौसादर भी पाक है।

मसअला :– सूअर के अलावा तमाम जानवर की वह हड्डी जिस पर मुर्दार की चिकनाई न लगी हो पाक है और उनके बाल और दाँत भी पाक हैं।

मसअला :– औरत के पेशाब की जगह से जो रतूबत निकले पाक है। अगर कपड़े या बदन में लगे तो धोना ज़रूरी नही हाँ बेहतर है।

मसअला :– जो गोश्त सड़ गया और उस में से बदबू पैदा हो गई उसका खाना हराम है अगर्चे नजिस नहीं।

नजिस चीजों के पाक करने का तरीक़ा

जो चीज़ें ऐसी हैं कि वह खुद नजिस हैं (जिनको नापाकी और नजासत कहते)हैं जैसे शराब या ग़लीज़ ऐसी चीज़ें जब तक अपनी अस्ल को छोड़कर कुछ और न हो जायें पाक नहीं हो सकतीं शराब जब तक शराब है नजिस ही रहेगी और सिरका हो जाये तो अब पाक है।

मसअला :– जिस बर्तन में शराब थी और सिरका हो गई तो वह बर्तन भी अन्दर से उतना पाक हो गया जहाँ तक उस वक़्त सिरका है। अगर बर्तन के मुहँ पर शराब की छींटें पड़ी थीं वह शराब के सिरका होने से पाक न होंगी युँही अगर शराब मुहँ तक भरी फिर कुछ गिर गई कि बर्तन थोड़ा ख़ाली हो गया उसके बाद सिरका हुई तो बर्तन के ऊपर का हिस्सा जो पहले नापाक हो चुका था

पाक न होगा अगर सिरका उससे उंडेला जायेगा तो वह सिरका भी नापाक हो जायेगा क्यूँकि बर्तन के ऊपर का हिस्सा नापाक है हाँ अगर पली, चमचा वग़ैरा से निकाल लिया जाये तो पाक है और अगर प्याज़ लहसुन शराब में पड़ गये थे तो सिरका होने के बाद पाक हो गये।

मसअला :– शराब में चूहा गिर कर फूल, फट गया तो सिरका होने के बाद भी पाक न होगा और अगर फूला फटा नहीं था तो अगर सिरका होने से पहले निकाल कर फेंक दिया उसके बाद सिरका हुई तो पाक है और अगर सिरका होने के बाद निकाल कर फेंका तो सिरका भी नापाक है।

मसअला :– शराब में पेशाब का क़तरा गिर गया या कुत्ते ने मुँह डाल दिया या नापाक सिरका मिला दिया तो सिरका होने के बाद भी हराम और नजिस है।

मसअला :– मुसलमान के लिये शराब को ख़रीदना,मंगाना,उठाना या रखना हराम है अगर्चे सिरका करने की नियत से हो।

मसअला :– नजिस जानवर नमक की खान में गिर कर नमक हो गया तो वह नमक पाक और हलाल है।

मसअला :– उपले की राख पाक है और अगर राख होने से पहले बुझ गया तो नापाक है।

मसअला :– जो चीज़ें ज़ाती तौर पर नजिस नहीं बल्कि किसी नजासत के लगने से नापाक हुईं उनके पाक करने के मुख़्तलिफ़ तरीक़े हैं।

पानी और हर बहने वाली पतली चीज़ से जिस से नजासत दूर हो जाये धो कर नजिस चीज़ को पाक कर सकते हैं जैसे सिरका और गुलाब कि उनसे नजासत दूर कर सकते हैं तो बदन या कपड़ा उन से धोकर पाक कर सकते हैं।

फ़ायदा :– बग़ैर ज़रूरत गुलाब और सिरके वग़ैरा से पाक करना नाजाइज़ है इसलिये कि फ़ुज़ूलख़र्ची है।

मसअला :– इस्तेमाल किये पानी और चाय से धोये तो पाक हो जायेगा।

मसअला :– थूक से अगर नजासत दूर हो जाये पाक हो जायेगा जैसे बच्चे ने दूध पीकर पिस्तान पर कै की फिर कई बार दूध पिया यहाँ तक कि उसका असर जाता रहा तो पाक हो गया और शराबी के मुँह का मसअला ऊपर गुज़र चुका।

मसअला :– दूध, शोंरबा और तेल से धोने से पाक न होगा कि उनसे नजासत दूर न होगी।

मसअला :– नजासत अगर दलदार हो (जैसे पाख़ाना,गोबर और ख़ून वग़ैरा)तो धोने में गिनती की कोई शर्त नहीं बल्कि उसको दूर करना ज़रूरी है तब पाक होगा अगर एक बार धोने से नापाकी दूर हो जाए तो एक ही मरतबा धोने से पाक हो जाएगा और अगर चार पाँच बार धोने से दूर हो तो चार पाँच बार धोना पड़ेगा हाँ अगर तीन मर्तबा से कम धोने में नजासत दूर हो जाये तो तीन बार पूरा कर लेना मुस्तहब है।

मसअला :– अगर नजासत दूर हो गई मगर उसका कुछ असर रंग या बू बाक़ी है तो उसे भी दूर करना ज़रूरी है। हाँ अगर उसका असर मुश्किल से जाये तो असर दूर करने की ज़रूरत नहीं तीन बार धो लिया पाक हो गया। साबुन खटाई या गर्म पानी से धोने की ज़रूरत नहीं।

मसअला :– कपड़े या हाथ में नजिस रंग लगा या नापाक मेंहदी लगाई तो इतनी बार धोयें कि

साफ़ पानी गिरने लगे तो पाक हो जायेगा अगर्चे कपड़े या हाथ पर रंग बाक़ी हो।

मसअ्ला :– ज़ाफ़रान या रंग कपड़ा रंगने के लिये घोला था उसमें किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया या और कोई नजासत पड़ गई तो उस से अगर कपड़ा रंग लिया तो तीन बार कपड़ा धो डालें तो पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– गोदना कि सुई चुभोकर उस जगह सुर्मा भर देते हैं तो अगर खून इतना निकला कि बहने के क़ाबिल हो तो ज़ाहिर है कि वह खून नापाक है और सुर्मा जो उस पर डाला गया वह भी नापाक हो गया फिर उस जगह को धो डालें पाक हो जायेगी अगर्चे नापाक सुर्मे का रंग भी बाक़ी रहे यूँही ज़ख़्म में राख भर दी फिर धो लिया तो पाक हो गया अगर्चे रंग बाक़ी हो।

मसअ्ला :– कपड़े या बदन में नापाक तेल लगा था तो तीन बार धो लेने से पाक हो जायेगा अगर्चे तेल की चिकनाई मौजूद हो। इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं कि साबुन या गर्म पानी से धोयें लेकिन अगर मुर्दार की चरबी लगी थी तो जब तक उसकी चिकनाई न जाये पाक न होगा।

मसअ्ला :– अगर निजासत पतली हो तो तीन बार धोने और तीन बार ज़ोर से निचोड़ने से पाक होगा और ज़ोर के साथ निचोड़ने का मत़लब यह है कि वह शख़्स अपनी त़ाक़त भर इस त़रह़ निचोड़े कि अगर फिर निचोड़े तो उससे कोई क़तरा न टपके अगर कपड़े का ख़्याल करके अच्छी त़रह़ नहीं निचोड़ा तो पाक न होगा।

मसअ्ला :– अगर धोने वाले ने अच्छी त़रह़ निचोड़ लिया मगर अभी ऐसा है कि अगर कोई दूसरा शख़्स जो त़ाक़त में उससे ज़्यादा है निचोड़े तो दो एक बुँद टपक सकती है तो धोने वाले के ह़क़ में पाक और इस दूसरे के ह़क़ में नापाक है इस दूसरे की त़ाक़त का एअ्तेबार नहीं है हाँ अगर यह धोता और उसी क़द्र निचोड़ता तो पाक न होता।

मसअ्ला :– पहली और दूसरी बार निचोडने के बा़द हाथ पाक कर लेना ज़रूरी है और जो कपड़े में इतनी तरी रह गई हो कि निचोड़ने से एक आध बूँद टपकेगी तो कपड़ा और हाथ दोनों नापाक हैं।

मसअ्ला :– पहली या दूसरी बार हाथ पाक नहीं किया और उसकी तरी से कपड़े का पाक ह़िस्सा भीग गया तो यह भी नापाक हो गया फिर अगर पहली बार निचोड़ने के बा़द भीगा है तो उसे दो बार धोना ज़रूरी है और दूसरी बार निचोड़ने के बा़द हाथ की तरी से भीगा है तो एक बार धोया जाये। यूँही उस से जो एक बार धोकर निचोड़ लिया गया है कोई पाक कपड़ा भीग जाये तो यह दूसरा कपड़ा दो बार धोया जाये और अगर दूसरी बार निचोड़ने के बाद उससे वह कपड़ा भीगा तो एक बार धोने से पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– कपड़ा कि तीन बार धोकर हर बार खूब निचोड़ लिया है कि अब निचोड़ने से न टपकेगा फिर उसको लटका दिया और उससे पानी टपका तो यह पानी पाक है और अगर खूब नहीं निचोड़ा था तो यह पानी नापाक है।

मसअ्ला :– दूघ पीते लड़के और लड़की का एक ही हुक्म है कि उनका पेशाब कपड़े या बदन में लगा है तो तीन बार धोना और निचोड़ना पड़ेगा।

मसअ्ला :– जो चीज़ निचोड़ने के क़ाबिल नहीं है (जैसे चटाई, बर्तन और जूता वग़ैरा) उसको धोकर छोड़ दें कि पानी टपकना रुक जाये यूँही दो मरतबा और धोयें तीसरी मरतबा जब पानी

टपकना बन्द हो गया तो वह चीज़ पाक हो गई। उसे हर बार धोने के बाद सुखाना ज़रूरी नहीं,यूँही जो कपड़ा बहुत नाज़ुक होने की वजह से निचोड़ने के क़ाबिल नहीं उसे भी ऐसे ही पाक किया जायेगा।

मसअ्ला :– अगर ऐसी चीज़ हो कि उस में नजासत जज़्ब न हुई जैसे चीनी के बर्तन या मिट्टी का पुराना इस्तेमाली चिकना बर्तन या लोहे, ताँबे पीतल वग़ैरा धातों की चीज़ें तो उसे सिर्फ़ तीन बार धो लेना काफ़ी है इसकी भी ज़रूरत नहीं कि उसे इतनी देर छोड़ दें कि पानी टपकना रुक जाये।

मसअ्ला :– नापाक बर्तन को मिट्टी से माँझ लेना बेहतर है।

मसअ्ला :– पकाया हुआ चमड़ा अगर नापाक हो गया तो अगर उसे निचोड़ सकते हैं तो निचोड़ें नहीं तो तीन बार धोयें और हर बार इतनी देर तक छोड़ दें कि पानी टपकना बन्द हो जाये।

मसअ्ला :– दरी टाट या कोई नापाक कपड़ा बहते पानी में रात भर पड़ा रहने दें तो पाक हो जायेगा और अस्ल यह है कि जितनी देर में यह ग़ालिब गुमान हो जाये कि पानी से नजासत बह गई तो पाक हो गया बहते पानी से पाक करने में निचोड़ना शर्त नहीं।

मसअ्ला :– कपड़े का कोई हिस्सा नापाक हो गया और यह याद नहीं कि वह कौन सी जगह है तो बेहतर यही है कि पूरा ही धो डालें (यानी जब बिल्कूल न मालूम हो कि किस हिस्से में नापाकी लगी है और अगर मालूम है कि जैसे आस्तीन या कली नजिस हो गई मगर यह नहीं मालूम कि आस्तीन या कली का कौन सा हिस्सा है तो आस्तीन या कली का धो लेना ही पूरे कपड़े का धोना है) और अगर अन्दाज़ से सोचकर उसका कोई हिस्सा धो लें जब भी पाक हो जायेगा और जो बिला सोचे हुये कोई टुकड़ा धो लिया जब भी पाक है मगर इस सूरत में अगर चन्द नमाज़ें पढ़ने के बाद मालूम हो कि नजिस हिस्सा नहीं धोया गया तो फिर धोये और नमाज़ें लौटाये और जो सोच कर धो लिया था और बाद को ग़लती मालूम हुई तो अब धो ले लेकिन नमाज़ों के लौटाने की ज़रूरत नहीं।

मसअ्ला :– यह ज़रूरी नहीं कि एक दम तीनों बार धोयें बल्कि अलग–अलग वक़्तों बल्कि अलग–अलग दिनों में यह तादाद पूरी की जाये जब भी पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– लोहे की चीज़ जैसे चाकू तलवार और छुरी वग़ैरा जिसमें न ज़ंग हो और न बेल, बूटे बने हों अगर उसमें नजासत लग जाये तो अच्छी तरह पोंछ डालने से वह छुरी या इस क़िस्म की दूसरी चीज़ें पाक हो जायेंगी और इस सूरत में नजासत के दलदार या पतली होने में कुछ फ़र्क़ नहीं। इसी तरह चाँदी, सोने, पीतल, गिलट और हर क़िस्म की धात की चीज़ें पोंछने से पाक हो जाती हैं। मगर शर्त यह है कि नक़्शी न हों और अगर नक़्शी हों या लोहे में ज़ंग हो तो धोना ज़रूरी है पोंछने से पाक न होगी।

मसअ्ला :– आईना और शीशे की तमाम चीज़ें और चीनी के बर्तन या मिट्टी के रोग़नी बर्तन या पालिश की हुई लकड़ी ग़र्ज़ कि वह तमाम चीज़ें जिनमें सुराख़ न हों कपड़े या पत्ते से इस क़द्र पोंछ ली जायें कि नजासत का असर बिल्कुल जाता रहे तो पाक हो जाती हैं।

मसअ्ला :– मनी अगर कपड़े में लग कर सूख जाये तो सिर्फ़ मलकर झाड़ने और साफ़ करने से कपड़ा पाक हो जायेगा अगर्चे मलने के बाद उसका कुछ असर कपड़े में बाक़ी रह जाये

इस मसअ्ले में औरत, मर्द, इन्सान ,हैवान तन्दुरुस्त और जिरयान के मरीज़ सब की मनी का एक ही हुक्म है।

मसअ्ला :– बदन में अगर मनी लग जाये तो भी इसी त़रह़ पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– पेशाब कर के त़हारत न की पानी से न ढेले से और मनी उस जगह पर गुज़री जहाँ पेशाब लगा हुआ है तो यह मलने से पाक न होगी बल्कि धोना ज़रूरी है अगर त़हारत कर चुका था या मनी जस्त करके यानी कूद कर निकली कि उस नजासत की जगह पर न गुज़री तो मलने से पाक हो जायेगी।

मसअ्ला :– जिस कपड़े को मलकर पाक कर लिया अगर वह पानी से भीग जाये तो नापाक न होगा।

मसअला :– अगर मनी कपड़े में लगी है और अब तक तर है तो धोने से पाक होगा मलना काफ़ी नहीं। यानी जब मनी सूख जाए तो मल कर पाक कर सकते हैं और तर होने की ह़ालत में कपड़ा या बदन पाक करना है तो धोना ज़रूरी है।

मसअ्ला :– चमड़े वाले मोज़े या जूते में दलदार नजासत लगी जैसे पाख़ाना गोबर या मनी तो अगर्चे वह नजासत तर हो खुरचने और रगड़ने से पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– और अगर पेशाब की त़रह़ कोई पतली नजासत चमड़े वाले जूते या चमड़े वाले मोज़े में लगी हो और उस पर मिट्टी या राख या रेता वग़ैरा डाल कर रगड़ डालें जब भी पाक हो जायेगी और अगर ऐसा न किया यहाँ तक कि वह नजासत सूख गई तो अब बे–धोये पाक न होगी।

मसअ्ला :– अगर नापाक ज़मीन सूख जाये और नजासत का असर यानी रंग और बू जाती रहे तो पाक हो जायेगी चाहे वह हवा से सूखी हो या धूप या आग से मगर उससे तयम्मुम करना जाइज़ नहीं अलबत्ता उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं।

मसअ्ला :– जिस कुँए में नापाक पानी हो और वह कुँआ सूख जाये तो पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– पेड़,पौधे,घास,दीवार और ऐसी ईंट जो ज़मीन में जड़ी हो सूखने के बाद पाक हो जाती है और अगर ईंट ज़ड़ी न हो तो सूखने से पाक न होगी बल्कि धोना ज़रूरी हैं। इसी त़रह़ नापाक दरख़्त या नापाक घास सूखने से पहले काट लीं तो पाक करने के लिए धोना ज़रूरी है।

मसअ्ला :– अगर पत्थर ऐसा हो कि ज़मीन से जुदा न हो सके तो ख़ुश्क होने से पाक है नहीं तो धोने की ज़रूरत है।

मसअ्ला :– चक्की का पत्थर सूख जाने से पाक हो जायेगा ।

मसअ्ला :– कंकरी जो ज़मीन के ऊपर है सूखने से पाक न होगी, और जो ज़मीन में चिपकी हुई हो वह ज़मीन के हुक्म में है।

मसअ्ला :– जो चीज़ ज़मीन से लगी हुई थी और नजिस हो गई फिर सूखने के बाद अलग की गई तो अब भी पाक ही है।

मसअ्ला :– अगर किसी ने नापाक मिट्टी से बर्तन बनाये तो जब तक कच्चे हैं नापाक हैं लेकिन पकाने के बाद पाक हो जायेंगे।

मसअ्ला :– तन्दूर या तवे पर नापाक पानी का छींटा डाला और आँच से उसकी तरी जाती रही अब उसमें जो रोटी पकाई गई पाक है।

मसअला :– उपले जलाकर खाना पकाने को लोग मकरूह कहते हैं मगर ऐसा नहीं है बल्कि उपले जलाकर खाना पकाना जाइज़ है। जो चीज़ सूखने या रगड़ने से पाक हो गई उसके बाद भीग गई तो नापाक न होगी।

मसअला :– सुअर के अलावा हर जानवर चाहे वह हलाल या हराम हो जब कि ज़िबह करने के क़ाबिल हो और बिस्मिल्लाह कह कर ज़िबह किया गया हो तो उसका गोश्त और खाल पाक है कि नमाज़ी के पास अगर वह गोश्त है या उसकी खाल पर नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ हो जायेगी मगर हराम जानवर ज़िबह करने से हलाल न होगा बल्कि हराम ही रहेगा।

मसअला :– सुअर के सिवा हर मुर्दार जानवर की खाल सुखाने से पाक हो जाती है चाहे उसको खारी नमक वग़ैरा किसी दवा से पकाया हो या सिर्फ़ धूप या हवा में सुखा लिया हो और उसकी तमाम रतूबत ख़त्म होकर बदबू जाती रही हो तो इन दोनों सूरतों में पाक हो जायेगी और उस पर नमाज़ जाइज़ होगी।

मसअला :– दरिन्दे की खाल अगर्चे पकाली गई हो, न तो उस पर बैठना चाहिए और न उस पर नमाज़ पढ़नी चाहिये क्योंकि इससे मिज़ाज में सख़्ती और गुरूर पैदा होता है। बकरी और मेंढे की खाल पर बैठने और पहनने से मिज़ाज में नर्मी और आजिज़ी पैदा होती है। कुत्ते की खाल अगर्चे पकाली गई हो या वह ज़िबह कर लिया गया हो इस्तिअ़माल में न लाना चाहिए कि इमामों का इस में इख़्तिलाफ़ और लोगों को इस से नफ़रत है इसलिए इस से बचना ही ठीक है।

मसअला :– रूई का अगर इतना हिस्सा नजिस है कि उसे धुनने से उड़ जाने का सही गुमान हो तो रूई धुनने से पाक हो जायेगी नहीं तो बिना धोये पाक न होगी। हाँ अगर यह पता न हो कि रूई कितनी नजिस है तो भी धुनने से पाक हो जायेगी।

मसअला :– ग़ल्ला जब पैर में हो और उसके निकालते वक़्त बैलों ने उस पर पेशाब किया तो अगर ग़ल्ला चन्द शरीकों में तक़सीम हुआ या उसमें से मज़दूरी दी गई या ख़ैरात की तो सब पाक हो गया और अगर ग़ल्ला सब का सब उसी तरह मौजूद है तो नापाक है अगर उसमें से इस क़द्र धोकर पाक कर लें कि जिसमें यह एहतेमाल (शक) हो सके कि इससे ज़्यादा नजिस न होगा तो सब पाक हो जायेगा।

मसअला :– रांग और सीसा पिघलाने से पाक हो जाता है।

मसअला :– जमे हूए घी में चूहा गिर कर मर गया तो चूहे के आस पास का घी निकाल डालें बाक़ी पाक है उसे खा सकते हैं और अगर पतला है तो सब नापाक हो गया उसका खाना जाइज़ नहीं अलबत्ता उसे ऐसे काम में ला सकते हैं कि जिसमें नजिस चीज़ों का इस्तेमाल मना न हो और तेल का भी यही हुक्म है।

मसअला :– शहद नापाक हो जाये तो उसके पाक करने का तरीक़ा यह है कि उससे ज़्यादा पानी डालकर इतना जोश दें कि शहद जितना था उतना ही रह जाये तीन बार ऐसा ही करें पाक हो जायेगा।

मसअला :– नापाक तेल के पाक करने का तरीक़ा यह है कि उसमें उतना ही पानी डालकर ख़ूब हिलायें फिर ऊपर से तेल निकाल लें और पानी फेंक दें यूँ ही तीन बार करें या उस बर्तन में नीचे

सूराख कर दें कि पानी बह जाये और तेल रह जाये ऐसे भी तीन बार में पाक हो जायेगा या ऐसा करें कि उतना ही पानी डाल कर उस तेल को पकायें यहाँ तक कि पानी जल जाये और तेल रह जाये यूँही तीन बार में पाक हो जायेगा और ऐसे भी कर सकते हैं कि पाक तेल या पानी दूसरे बर्तन में रखकर इस नापाक और उस पाक दोनों की धार मिलाकर ऊपर से गिरायें मगर इसमें यह ज़रूर ध्यान रखें कि नापाक की धार उसकी धार से किसी वक़्त अलग न हो और न उस बर्तन में कोई नापाक क़तरा पहले से पहुँचा हो और न बाद को नहीं तो फिर नापाक हो जायेगा।

बहती हुई आम चीज़ें घी वग़ैरा के पाक करने के भी यही तरीक़े हैं। और अगर घी जमा हो उसे पिघलाकर उन्हीं तरीक़ों में से किसी तरीक़े पर पाक करें और एक तरीक़ा इन चीज़ों के पाक करने का यह भी है कि परनाले के नीचे कोई बरतन रखें और छत पर से उसी जिन्स की पाक चीज़ पानी के साथ इस तरह मिलाकर बहायें कि परनाले से दोनों धारें एक हो कर गिरें सब पाक हो जायेगा या उसी जिन्स या पानी से उबाल लें पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– जानमाज़ में हाथ पांव पेशानी और नाक रखने की जगह का नमाज़ पढ़ने में पाक होना ज़रूरी है बाक़ी जगह अगर निजासत हो नमाज़ में हरज नहीं। हाँ नमाज़ में नजासत के क़ुर्ब से बचना चाहिए।

मसअ्ला :– किसी कपड़े में निजासत लगी और वह निजासत उसी तरफ़ रह गई दूसरी तरफ़ उसने असर नहीं किया तो उसको लौट कर दूसरी तरफ़ जिधर नजासत नहीं लगी है नमाज़ नहीं पढ़ सकते अगर्चे कितना ही मोटा हो मगर जबकि वह नजासत मवाज़ेए सूजूद(सजदे वाली जगहों) से अलग हो तो पढ़ सकते हैं।

मसअला :– जो कपड़ा दो तह का है अगर एक तह उसकी नजिस हो जाए तो अगर दोनों मिलाकर सी लिए गए हों तो दूसरी तह पर नमाज़ जाइज़ नहीं और अगर सिले न हों तो जाइज़ है।

मसअला :– लकड़ी का तख़्ता एक रुख़ से नजिस हो गया तो अगर इतना मोटा है कि मोटाई में चिर सके तो लौट कर उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं वर्ना नहीं।

मसअला :– जो ज़मीन गोबर से लेसी गई अगर्चे सूख गई हो उस पर नमाज़ जाइज़ नहीं। हाँ अगर वह सूख गई और उस पर कोई मोटा कपड़ा बिछा लिया तो उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं अगर्चे कपड़े में तरी हो मगर इतनी तरी न हो कि ज़मीन भीग कर उस को तर कर दे कि इस सूरत में यह कपड़ा नजिस हो जायेगा और नमाज़ न होगी।

मसअ्ला :– आँखों में नापाक सुर्मा या काजल लगाया या फैल गया तो धोना वाजिब है और अगर आँखों के अन्दर ही हो बाहर न लगा हो तो मुआफ़ है।

मसअला :– किसी दूसरे मुसलमान के कपड़े में निजासत लगी देखी और ग़ालिब गुमान है कि उस को ख़बर करेगा तो पाक कर लेगा तो ख़बर करना वाजिब है।

मसअला :– फ़ासिक़ों के इस्तेअ्माली कपड़े जिनका नजिस होना मा'लूम न हो पाक समझे जायेंगे मगर बेनमाज़ी के पाजामे वग़ैरा में एहतियात यही है कि रुमाली पाक कर ली जाए क्यूँकि अकसर बेनमाज़ी पेशाब करके वैसे ही पाजामा बांध लेते हैं और कुफ़्फ़ार के इन कपड़ों के पाक करने में तो बहुत ख़्याल करना चाहिए।

इस्तिन्जे का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ٥

तर्जमा :– "उस मस्जिद यानी मस्जिदे कुबा शरीफ़ में ऐसे लोग हैं जो पाक होने को पसन्द रखते हैं और अल्लाह दोस्त रखता है पाक होने वालों को"।

हदीस न.1 :– इब्ने माजा में अबू अय्यूब, जाबिर और अनस रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत है कि जब यह आयत शरीफ़ नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ऐ गिरोहे अनसार अल्लाह तआला ने तहारत (पाकी) के बारे में तुम्हारी तारीफ़ की तो बताओ तुम्हारी तहारत क्या है?उन्होंने अर्ज़ किया कि नमाज़ के लिये हम वुज़ू करते हैं,जनाबत से गुस्ल करते हैं और हम पाख़ाना करके पहले तीन ढेलों से जगह को पाक करते हैं उसके बाद फिर पानी से इस्तिन्जा करते हैं। फ़रमाया तो वह यही है इसको करते रहो।

हदीस न.2 :– अबू दाऊद और इब्ने माजा ज़ैद इब्ने अरक़म रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि यह पाख़ाने (लैट्रीनें)जिनों और शैतानों के हाज़िर रहने की जगह हैं तो जब कोई पाख़ाने को जाये तो यह दुआ पढ़ ले :–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

अऊज़ु बिल्लाहि मिनल ख़ुबसि वल ख़बाइसि

तर्जमा :– मैं अल्लाह की पनाह माँगता हूँ पलीदी और शैतानों से।

हदीस न.3 :– बुखारी शरीफ़ और मुस्लिम शरीफ़ में यह दुआ इस तरह है

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल ख़ुबसि वल ख़बाइसि

तर्जमा :– ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह माँगता हूँ पलीदी और (नापाकी)और शैतानों से।"

हदीस न.4 :– अमीरुल मोमिनीन हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से इस तरह रिवायत है कि जिन्नात की आँखों और औलादे आदम के सतर में पर्दा यह है, कि जब पाख़ाने को जाये तो कह ले

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हदीस न.5 :– तिर्मिज़ी इब्ने माजा और दारमी उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बैतुलख़ला से बाहर आते तो यूँ फ़रमाते :– غُفْرَانَكَ गुफ़रानाका

तर्जमा :– अल्लाह से मग़फ़िरत का सवाल करता हूँ।
हदीस न.6 :– इब्ने माजा की रिवायत हज़रते अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से इस तरह है कि जब हुजूर बैतुलख़ला से तशरीफ़ लाते तो यह फ़रमाते :–

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْھَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَ عَافَانِیْ

अललहम्दु लिल्लाहिल लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी
तर्जमा :– "हम्द है अल्लाह के लिए जिसने अजीयत(तकलीफ़)की चीज़ मुझ से दूर कर दी और मुझे आफ़ियत(आराम)दी।
हदीस न.7 :– हिस्ने हसीन में है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस तरह इरशाद फ़रमाते :–

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَخْرَجَ مِنْ بَطْنِیْ مَا یَضُرُّنِیْ وَ اَبْقٰی فِیْہِ مَا یَنْفَعُنِیْ

अललहम्दु लिल्लाहिल लज़ी अख़रजा मिम बतनी मा यदुर्रूनी व अब्का फ़ीहि मा यन फ़उनी
तर्जमा :– "तारीफ़ है अल्लाह के लिये जिसने मेरे पेट से वह चीज़ निकाल दी जो मुझे तकलीफ़ देती और वह चीज़ बाक़ी रखी जो मुझे नफ़ा देगी"।
हदीस न.8 :– कई किताबों में बहुत से सहाबए किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब पाखानों को जाओ तो क़िब्ले को न मुँह करो और न पीठ और उज़्वे तनासुल (पेशाब की जगह) को दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करने से मना फ़रमाया।
हदीस न.9 :– अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और नसई अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बैतुलख़ला को जाते तो अगूँठी उतार लेते कि उसमें नामे मुबारक खुदा था।
हदीस न.10 :– अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने उन्हीं से रिवायत की कि जब हुजूर क़ज़ाये हाजत का इरादा फ़रमाते तो कपड़ा न हटाते जब तक कि ज़मीन से क़रीब न हो जाते।
हदीस न.11 :– अबू दाऊद जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर जब क़ज़ाये हाजत को तशरीफ़ ले जाते तो इतनी दूर जाते कि उन्हें कोई न देखता ।
हदीस न.12 :– हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से तिर्मिजी और नसई ने रिवायत की कि हुजुर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि गोबर और हड्डियों से इस्तिन्जा न करो कि वह तुम्हारे भाईयों जिन्नों की ख़ुराक है और अबू दाऊद की एक रिवायत में कोयले से भी इस्तिन्जा मना फ़रमाया।
हदीस न 13 :– अबू दाऊद ,तिर्मिज़ी और नसई अब्दुल्लाह इब्ने मिग़फ़ल रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि कोई गुस्लख़ाने में पेशाब न करे फिर उसमें नहाये या वुजू करे कि अक्सर वसवसे उस से होते हैं।
हदीस न14 :– अबू दाऊद और नसई अब्दुल्लाह इब्ने सरजिस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर ने सूराख़ में पेशाब करने से मना फ़रमाया।
हदीस न.15 :– अबू दाऊद और इब्ने माजा मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से बयान करते हैं कि

हुजूर ने फरमाया कि तीन चीजें जो लअ्नत का सबब हैं उन से बचो वह तीन चीजें यह है 1 घाट पर पेशाब करने से। 2. बीच रास्ते में पेशाब करने से 3. और पेड़ के साये में पेशाब करने से।

हदीस न.16 :– इमामे अहमद तिर्मिजी और नसई उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत करते हैं कि वह फरमाती है कि जो शख्स तुम से यह कहे कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े हो कर पेशाब करते थे तो तुम उसे सच्चा न जानो हुजूर नहीं पेशाब फरमाते मगर बैठ कर।

हदीस न.17 :– इमाम अहमद, अबू दाऊद और इब्ने माजा अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो आदमी पाखाने को जायें और सत्र खोल कर बातें करें तो अल्लाह उन पर ग़जब फरमाता है।

हदीस न.18 :– बुख़ारी शरीफ़ और मुस्लिम शरीफ में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दो कब्रों पर गुजर फरमाया तो यह फरमाया कि उन दोनों को अजाब होता है और किसी बड़ी बात में अज़ाब नही दिए जा रहे है उन में से एक पेशाब की छींट से नहीं बचता था और दूसरा चुग़ली खाता फिर हुजूर ने खजूर की एक तर शाख ले कर उसके दो हिस्से किए और हर कब्र पर एक एक टुकड़ा गाड़ दिया सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह यह क्यूँ किया फ़रमाया इस उम्मीद पर कि जब तक यह खुश्क न हों उन पर अजाब में तखफीफ़ (कमी)हो

नोट :– इस हदीस से पता चलता है कि कब्रों पर फूल डालना जाइज़ है कि फूल भी जब तक हरे भरे रहेगे अजाब हल्का होगा और इनकी तस्बीह से मय्यत का दिल बहलता है।

इस्तिन्जे के मुतअ़ल्लिक़ मसाइल

मसअ्ला :– जब आदमी पाखाने को जाये तो मुस्तहब है कि पाख़ाने से बाहर यह पढ़ ले :–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजु बिका मिनल खुबसि वल ख़बाइसि

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह माँगता हूँ नापाकी और शैतानों से"। फिर बायाँ पाँव दाख़िल करे और निकलते वक्त पहले दाहिना पाँव बाहर निकाले और बाहर निकल कर यह पढ़े :–

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّیْ مَا يُؤْذِيْنِیْ وَ اَمْسَكَ عَلَیَّ مَا يَنْفَعُنِیْ

गुफरानाका अल्लहम्दु लिल्ला हिल्लजी अज़हबा अन्नी मा युअ्ज़ीनी व अम सिका अलय्या मा यन फउनी.

तर्जमा :– "अल्लाह से मग़फिरत का सवाल करता हूँ ह़म्द है अल्लाह के लिए उसने मेरे पेट से वह चीज निकाली जो मुझे तकलीफ देती और वह चीज रोकी जो मुझे नफ़ा देगी"।

मसअ्ला :– पाख़ाना या पेशाब फिरते वक्त या तहारत करने में या किसी वक्त शर्मगाह खुली हो तो न किब्ले की तरफ मुँह हो और न पीठ हो और यह आम हुक्म है चाहे मकान के अन्दर हो या मैदान मे अगर भूल से किब्ले की तरफ मुँह, पीठ कर के बैठ गया तो याद आते ही फौरन रूख बदल दे कि इस मे उम्मीद है कि फौरन उस के लिये मग़फिरत कर दी जाये।

मसअ्ला :– बच्चे को पाख़ाना पेशाब फिराने वाले को मकरूह है कि उस बच्चे का मुँह किब्ले को हो यह फिराने वाला गुनाह गार होगा।

मसअ्ला :– पाख़ाना पेशाब करते वक्त सूरज और चाँद की तरफ न मुँह हो न पीठ। ऐसे ही हवा

के रूख पेशाब करना मना है।

मसअला :– कुँए,हौज़ या चंश्में के किनारे या पानी में अगर्चे बहता हुआ हो या घाट पर या फलदार पेड़ के नीचे या उस खेत में जिस में खेती मौजूद हो या साये में जहाँ लोग उठते बैठते हो या मस्जिद या ईदगाह के क़रीब में या क़ब्रिस्तान या रास्ते में या जिस जगह पर मवेशी बंधे हों इन सब जगह में पेशाब पाख़ाना मकरूह है यूँ ही जिस जगह वुज़ू या गुस्ल किया जाता हो वहाँ पेशाब करना मकरूह है।

मसअला :– खुद नीची जगह बैठना और पेशाब की धार ऊँची जगह गिरना यह मना।

मसअला :– ऐसी सख़्त ज़मीन पर जिस से पेशाब की छींटे उड़ कर आयें पेशाब करना मना है ऐसी जगह को कुरेद कर नर्म कर लेना चाहिये या गढ्ढा खोद कर पेशाब करना चाहिए।

मसअला :– खड़े हो कर या लेट कर या नंगे हो कर पेशाब करना मकरूह है।

मसअला :– नंगे सर पाख़ाना पेशाब को जाना या अपने साथ कोई ऐसी चीज ले जाना जिस पर कोई दुआ या अल्लाह और रसूल या किसी बुजुर्ग का नाम लिखा हो मना है युँही बात करना भी मकरूह है।

मसअला :– जब तक बैठने के क़रीब न हो बदन से कपड़ा न हटाये और न ज़रूरत से ज़्यादा बदन खोले फिर दोनों पाँव फैला कर बायें पैर पर ज़ोर दे कर बैठे और किसी दीनी मसअ्ले में ग़ौर न करे कि यह महरूमी का सबब है और छींक या सलाम या अज़ान का जवाब ज़ुबान से न दे और अगर छींके तो अल्हम्दु ल्लिलाह ज़ुबान से न कहे हाँ दिल में कह ले और बिला ज़रूरत शर्मगाह की त़रफ़ न देखे और न उस नजासत को देखे जो उसके अपने बदन से निकली है और देर तक न बैठे कि इस से बवासीर का ख़त़रा है और पेशाब में न थूके और न नाक स़ाफ़ करे न बिला ज़रूरत खंकारे न बार बार इधर उधर देखे न बेकार बदन छुये,न आसमान की त़रफ़ देखे बल्कि शर्म के साथ सर झुकाये रहे। जब फ़ारिग़ हो जाये तो मर्द बायें हाथ से अपने आले को जड़ की त़रफ़ से सर की त़रफ़ सूँते कि जो क़तरे रुके हुये हैं सब निकल जायें फिर डेलों से स़ाफ़ कर के खड़ा हो जाये और सीधा खड़ा होने से पहले बदन छुपा ले जब क़तरों का आना रुक जाये तो किसी दूसरी जगह पाक करने के लिए बैठे और पहले तीन–तीन बार दोनों हाथ धोले और इस्तिन्जा ख़ाने में जाने से पहले यह दुआ पढ़े ।

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْإِسْلَامِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

बिस्मिल्लाहिल अ़ज़ीमि व बिहम्दिही वल ह़म्दु लिल्लाहि अ़ला दीनिल इस्लामि अल्लाहुम्मज अ़लनी मिनत्तव्वा बीन वज अ़लनी मिनल मुता़ त़हिहरीनल्ल–ज़ीना़ ला ख़ौफून अ़लैहिम वलाहुम यह़ज़नून 0

तर्जमा :– "अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा है और उसी की ह़म्द है ख़ुदा का शुक्र कि मैं दीने इस्लाम पर हूँ। ऐ अल्लाह! तू मुझे तौबा करने वालों और पाक लोगों में से कर दे जिन पर न ख़ौफ़ है और न वह ग़म करेंगे।

फिर दाहिने हाथ से पानी बहाये और बायें हाथ से धोये और पानी का लोटा ऊँचा रखे कि

छींटें न पड़ें और पहले पेशाब की जगह धोये फ़िर पाख़ाने का मक़ाम धोये और पाक करने के वक़्त पाखाने का मक़ाम साँस का ज़ोर नीचे को देकर ढीला रखे और खूब अच्छी तरह धोयें कि धोने के बाद हाथ में बदबू बाक़ी न रह जाये फ़िर किसी पाक कपड़े से पोंछ डाले और अगर पास में कपड़ा न हो तो बार बार हाथ से पोंछे। अगर हल्की सी तरी रह भी जाये तो कोई हरज़ नहीं और अगर वसवसे का ग़ल्बा हो तो रूमाली पर पानी छिड़क ले फ़िर उस जगह से बाहर आकर यह दुआ पढ़े

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ الْمَآءَ طَهُوْرًا وَّ الْاِسْلَامَ نُوْرًا وَّ قَآئِدًا وَّ دَلِیْلًا اِلَی اللّٰهِ وَ اِلٰی جَنّٰتِ النَّعِیْمِ اَللّٰهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِیْ وَ طَهِّرْ قَلْبِیْ وَ مَحِّصْ ذُنُوْبِیْ

अलहम्दु लिल्ला हिल्लज़ी जअलल माअ् तहुरंव वल इस्लामु नूरंव व क़ाइदवं व दलीलन इलल्लाहि व इला जन्नातिन्नईमि अल्लाहुम्मा हस्सिन फ़रजी व तहिहर क़ल्बी व महिहस जुनुबी।

तर्जमा :– "हम्द है अल्लाह के लिये जिसने पानी को पाक करने वाला और इस्लाम को नूर और खुदा तक पहुँचाने वाला और जन्नत का रास्ता बताने वाला किया। ऐ अल्लाह! तू मेरी शर्मगाह को महफ़ूज़ रख मेरे दिल को पाक कर और मेरे गुनाह दूर कर।"

मसअला :– आगे या पीछे से जब नजासत निकले तो ढेलों से इस्तिन्जा करना सुन्नत है और अगर सिर्फ़ पानी ही से धोलिया तो भी जाइज़ है मगह मुस्तहब यह है कि ढेले लेने के बाद पानी से धोये

मसअला :– आगे और पीछे से पेशाब और पाख़ाने के सिवा कोई और नजासत जैसे खून पीप वग़ैरा निकले या उस जगह बाहर से कोई नजासत लग जाये तो भी ढेले से साफ़ कर लेने से तहारत हो जायेगी जबकि उस जगह से अलग न हो मगर धो डालना मुस्तहब है।

मसअला :– ढेलों की कोई मुकर्रर गिन्ती सुन्नत नहीं बल्कि जितने से सफ़ाई हो जाये तो अगर एक से सफ़ाई होगई तो सुन्नत अदा होगई और अगर तीन ढेले लिए और फिर सफ़ाई न हुई तो सुन्नत अदा न होगी। अलबत्ता मुस्तहब यह है कि ढेले ताक़ (विषम)हों और कम से कम तीन हों तो अगर एक या दो से सफ़ाई हो जाये तो तीन की गिन्ती पूरी कर ले और अगर चार से सफ़ाई हो जाये तो एक और बढ़ा ले कि ताक़ ढेले हो जायें।

मसअला :– ढेलों से पाकी उस वक़्त होगी कि नजासत से नजासत निकलने की जगह या उस के आसपास की जगह एक दिरहम से ज़्यादा न सनी हो और अगर एक दिरहम से ज़्यादा सन जाये तो धोना फ़र्ज़ है मगर ढेले लेना अब भी सुन्नत है।

मसअला :– कंकर पत्थर और फटा हुआ कपड़ा यह सब ढेले के हुक्म में है इन से भी साफ़ करना जाइज़ है मकरूह नहीं। दीवार से भी इस्तिन्ज़ा सुखाया जा सकता है मगर बशर्ते कि वह दूसरे की दीवार न हो। अगर दीवार दूसरे की हो या वक़्फ़ हो तो उससे इस्तिन्जा करना मकरूह है और अगर कर लिया तो पाकी हासिल हो जायेगी। अगर किसी के पास किराये का मकान है तो उसकी दीवार से इस्तिन्जा सुखा सकता है।

मसअला :– पराई दीवार से इस्तिन्जे के ढेले लेना जाइज़ नहीं अगर्चे वह मकान उसके किराये में हो।

मसअला :– हड्डी, और खाने और गोबर, पक्की ईट,ठींकरी, शीशा, कोयला, जानवर के चारे से और ऐसी चीज़ से जिसकी कुछ क़ीमत हो अगर्चे एक आध पैसा हो इन चीज़ों से इस्तिन्जा किया मकरूह है।

मसअला :– काग़ज़ से इस्तिन्जा मना है अगरचे उस पर कुछ लिखा न हो या अबूजहल ऐसे काफ़िर का नाम लिखा हो।

मसअला :– दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करना मकरूह है अगर किसी का बायाँ हाथ बेकार हो गया हो तो उसके लिए दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करना जाइज़ है।

मसअला :– पेशाब के आले को दाहिने हाथ से छूना या दाहिने हाथ में ढेला लेकर उससे इस्तिन्जा करना मकरूह है जिस ढेले से एक बार इस्तिन्जा कर लिया उसे दोबारा काम में लाना मकरूह है मगर दूसरी करवट उसकी साफ़ हो तो उससे कर सकते हैं।

मसअला :– पाखाने के बाद मर्द के लिये ढेलों के इस्तेमाल का मुस्तहब तरीक़ा यह है कि गर्मी के मौसम में पहला ढेला आगे से पीछे को ले जाये और दूसरा पीछे से आगे की तरफ़ और तीसरा आगे से पीछे की तरफ़ ले जाये। और जाड़ों में पहला पीछे से आगे को और दूसरा आगे से पीछे को और तीसरा पीछे से आगे को ले जाए।

मसअला :– औरत पाख़ाने के बाद हर ज़माने में उसी तरह ढेले से इस्तिन्जा करे जैसे मर्दों के लिए गर्मियों में हुक्म है।

मसअला :– पाक ढेले दाहिनी जानिब रखना और काम में लाने के बाद बाईं तरफ़ इस तरह पर डाल देना कि जिस रूख़ में नजासत लगी हो नीचे हो मुस्तहब है।

मसअला :– पेशाब के बाद जिसको यह शक हो कि कोई क़तरा बाक़ी रह गया या पेशाब फिर आयेगा तो उस पर इस्तिबरा करना यानी पेशाब के बाद ऐसा काम करना कि अगर क़तरा रूका हो तो गिर जाये वाजिब है। इस्तिबरा टहलने से होता है या ज़मीन पर ज़ोर से पाँव मारने या दाहिने पाँव को बायें या बायें को दाहिने पर रख कर ज़ोर करने या ऊँचाई से नीचे उतरने या नीचे से बलन्दी पर चढ़ने या खंकारने या बाईं करवट पर लेटने से होता है और इस्तिबरा उस वक़्त तक करें कि दिल को इत्मिनान हो जाये। टहलने की मिक़दार कुछ आलिमों ने चालीस क़दम रखी है मगर सही यह है कि जितने में इत्मिनान हो जाये। इस्तिबरा का हुक्म मर्दों के लिये है औरत फ़ारिग़ होने के बाद थोड़ी देर ठहरे फिर धो ले। पाख़ाने के बाद पानी से इस्तिन्जा का मुस्तहब तरीक़ा यह है कि फैल कर बैठे और धीरे धीरे पानी डाले और उंगलियों के पेट से धोये उंगलियों का सिरा न लगे और पहले बीच की उंगली ऊँची रखे फिर जो उससे मिली है उसके बाद छंगुलिया ऊँची रखे और ख़ूब मुबालग़ा के साथ (खूब अच्छी तरह) धोये। तीन उंगलियों से ज़्यादा से तहारत न करे और आहिस्ता–आहिस्ता मले यहाँ तक कि चिकनाई जाती रहे।

मसअला :– हथेली से धोने से भी तहारत हो जायेगी।

मसअला :– औरत हथेली से धोये और मर्द के मुक़ाबिले में ज़्यादा फैल कर बैठे। तहारत के बाद हाथ पाक हो गये मगर धो लेना बल्कि मिट्टी लगाकर धोना मुस्तहब है। जाड़ों में गर्मियों के मुक़ाबले ख़ूब धोये और अगर जाड़ों में गर्म पानी से इस्तिन्जा करे तो उसी क़द्र मुबालग़ा करे जितना गर्मियों में मगर गर्म पानी से इस्तिन्जा (तहारत करने) में उतना सवाब नहीं जितना ठंडे पानी से और गर्म पानी से बीमारी का भी ख़तरा है।

मसअला :– रोज़े के दिनों में न ज़्यादा फैल कर बैठे और न मुबालग़ा (धोने में ज़्यादती) करे।

मसअला :– मर्द लुंजा हो तो उसकी बीवी इस्तिन्जा करा दे और औरत ऐसी हो तो उसका शौहर

और बीवी न हो या औरत के शौहर न हो तो किसी और रिश्तेदार बेटा बेटी भाई बहन से इस्तिन्जा नहीं करा सकते माफ़ है।

मसअला :– ज़मज़म शरीफ़ से इस्तिन्जा पाक करना मकरूह है और ढेला न लिया हो तो नाजाइज़

मसअला :– वुज़ू के बचे हुये पानी से तहारत करना अच्छा नहीं है।

मसअला :– इस्तिन्जे के बचे हुये पानी से वुज़ू कर सकते हैं। उस पानी को कुछ लोग फेंक देते हैं फेंकना न चाहिए फेंकना फुज़ूलख़र्ची है।

قَدْ تَمَّ بِحَمْدِ اللّٰهِ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعَالٰى هٰذَا الْجُزْءُ فِى مَسَائِلِ الطَّهَارَةِ وَ لَهُ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَ اٰخِرًا وَ بَاطِنًا وَ ظَاهِرًا كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضٰى وَ هُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٍ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ ابْنِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهٖ وَ اَوْلِيَاءِ اُمَّتِهٖ اَجْمَعِيْنَ اٰمِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ اَنَا الْفَقِيْرُ الْمُفْتَقِرُ اِلَى اللّٰهِ الْغَنِيِّ اَبُو الْعُلَا مُحَمَّدٌ اَمْجَدُ عَلِى الْاَعْظَمِى غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ وَ لِوَالِدَيْهِ اٰمِيْنَ. مُحَمَّدٌ اَمْجَدُ عَلِى اَعْظَمِى رَضْوِى.

तसदीके जलील व तक़रीज़ बे मसील इमाम अहले सुन्नत नासिरे दीन व मिल्लत मुहीइश्शरीआ कासिरुलफ़ितना कामेउलबिदंआ मुजद्दिदे अलमया तिल हाज़िरा साहिबुलहुज्जतिलक़ाहिरा सय्यदी व सनदी व कनज़ी व ज़ुख़्री लियौमी व ग़दी अअ़ला हज़रत मौलाना मोलवी हाजी क़ारी मुफ़ती अहमद **रज़ा ख़ाँ** साहिब क़ादरी बरकाती नफ़अ़ल्लाहुल इस्लामा वलमुसलिमीन बिफ़ुयूज़ेहिम व बरक़ातिहिम

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَ سَلَّمَ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَلْاَسَيَّمَا عَلَى الشَّارِعِ الْمُصْطَفٰى وَمُقْتَفِيْهِ فِى الْمَشَارِعِ اَوْلِى الطَّهَارَةِ وَ الصَّفَا.

फ़क़ीर ग़ुफ़िर लहुलमौललक़दीर ने मसाइले तहारत में यह मुबारक रिसाला बहारे शरीअ़त तसनीफ़े लतीफ़ अख़ी फ़िल्लाहि ज़िलमजदि वलजाह वत्तबइसलीम वल फ़िकरिल क़वीम वल फ़दले वल उ़ला मौलाना अबुलउ़ला मौलवी हकीम मुहम्मद अमजदअ़ली क़ादरी बरकाती आज़मी बिलमज़हबि वलमशरबि वस्सुकना रज़क़ाहुल्लाहु तआ़ला फ़िद्दारैनिलहुस्ना मुतालआ़ किया अलहम्मदु लिल्लाहि मसाइले सहीहा रजीहा मुहक़्क़िक़ा मुनक़्क़ा पर मुश्तमिल पाया आजकल ऐसी किताब की ज़रूरत थी कि अवाम भाई सलीस उर्दू में सहीह मसअले पायें और गुमराही व अग़लात के मसनूई व मुलम्मअ़ ज़ेवरों की तरफ़ आँख न उठायें मौला अ़ज़्ज़ व जल्ल मुसन्निफ़ की उ़म्र व अ़मल व फ़ुयूज़ में बरकत दे और अ़क़ाइद से ज़रूरी फ़ुरूअ़ तक हर बाब में उस किताब के और हसस काफ़ी व शाफ़ी व वाफ़ी व साफ़ी तालीफ़ कर ने की तौफ़ीक़ बख़्शे और उन्हें अहले सुन्नत में शाइअ़ व मामूल और दुनिया व आख़िरत में नाफ़ेअ़ व मक़बूल फ़रमाए आमीन।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ ابْنِهٖ وَ حِزْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ اٰمِيْنَ ١٢ رَبِيْعُ الْاٰخِرِ شَرِيْفُ ١٣٣٥ مَجْرِيَّهٖ عَلٰى صَاحِبِهَا وَ اٰلِهِ الْكِرَامِ اَفْضَلِ الصَّلٰوةِ وَ التَّحِيَّةِ اٰمِيْنَ.

फ़क़ीर अमजद अ़ली आज़मी

हिन्दी तर्जमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

मोबाइल :– 9219132423